बृहस्पतिवार,
६ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ६ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मजूरियों की न्यूनतम दरें

*६०. **सरदार हुक्म सिंह**: (क) क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उद्योग में श्रम के सेवायोजन के लिए मजूरियों की न्यूनतम दर निश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कोई अन्तिम तिथि निश्चित कर दी गई थी ?

(ख) यदि कर दी गई थी, तो वह तिथि क्या थी ?

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). अनुमानतः माननीय सदस्य न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ का निर्देश कर रहे हैं। उस अधिनियम में राज्य सरकारों से कहा गया था कि विधान में संलग्न अनुसूची के भाग १ में बताए गए उद्योग-रोजगारों में ३१ मार्च, १९५२ तक न्यूनतम मजूरी दरें निश्चित कर दें।

सरदार हुक्म सिंह: कृषि-उद्योगों के लिये क्या तिथि निश्चित की गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि: वही।

सरदार हुक्म सिंह: क्या उद्योगों ने वे न्यूनतम तथा अतिरिक्त-कालीन मजूरियां मान ली हैं, जिनकी उनसे आशा की गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि: कुछ राज्यों ने अधिनियम को कार्यान्वित किया है, कुछ ने नहीं। अतः उक्त समयावधि को बढ़ा देने और उक्त तिथि के बाद की गई कार्यवाहियों को वैध ठहरा देने का विचार किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या अधिनियम के उपबन्धों का पालन न करने वाले किसी उद्योग के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि: यह राज्य-सरकारों को करना है।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार अधिनियम को पूरे भारत में लागू करने का है ?

श्री वी० वी० गिरि: हां, यही विचार है।

श्री वी० एस० मूर्ति: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि इस उपबन्ध को अब तक कार्यान्वित न करने वाले राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ लाने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: यह मेरा, इस सदन का और माननीय सदस्यों का कर्त्तव्य है कि इसे कार्यान्वित करने के लिए उन राज्यों को समझाएं और यह किया जा रहा है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस निर्णय को किन-किन राज्यों ने कार्यान्वित किया है ?

श्री वी० वी० गिरि: अधिकांश ने कर दिया है, पर सविवरण उत्तर देने योग्य जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि भारतीय उद्योग-श्रम के कितने प्रतिशतक की न्यूनतम मजूरी-दरें निश्चित और कार्यान्वित हो गई हैं और कितने प्रतिशतक के विषय में अभी कार्यान्वित होनी हैं? इस असाधारण देर के कारण क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय: वह किसका प्रतिशतक पूछते हैं?

श्री नानादास: उद्योग श्रम का प्रतिशतक।

अध्यक्ष महोदय: कम से कम मेरे निकट तो यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री **नाना दास**: भारतीय उद्योग-श्रम के कितने प्रतिशतक की मजूरी-दरें निश्चित और कार्यान्वित हो गई हैं?

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मन्त्री समझ रहे हैं कि उनका क्या अभिप्राय है?

श्री वी० वी० गिरि: मैं नहीं समझा। प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न क्या है?

श्री पुन्नूस: श्रम के कितने प्रतिशतक को न्यूनतम मजूरियों का लाभ मिला है?

श्री वी० वी० गिरि: उद्योग विधान से संलग्न अनुसूची के भाग १ में गिनाए गए हैं। उस अनुसूची को देखने पर माननीय सदस्य को पता चल जाएगा कि यह न्यूनतम मजूरी अधिनियम किन किन उद्योगों पर लागू होता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न अस्पष्ट है। मेरे विचार से बात यह है कि देश में रोजगार में लगे हुए कुल श्रम की तुलना में कितने प्रतिशत लोगों को यह लाभ प्राप्त है।

श्री वी० वी० गिरि: अनुसूची के भाग १ में निर्दिष्ट सभी उद्योगों में काम करने वाले लोगों को यह लाभ मिलना है।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हूं कि खेतिहर-श्रम के विषय में कितने राज्यों ने अब तक इन उपबन्धों को कार्यान्वित किया है?

श्री वी० वी० गिरि: खेतिहर श्रम के विषय में कुछ राज्यों ने थोड़ा थोड़ा लागू किया है और हम उनको सर्वत्र लागू करने के लिए समझा रहे हैं।

श्री एच० एन० शास्त्री: क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को भी श्रम के लिए हानिप्रद रूप में कार्यान्वित किया गया है और वर्तमान मजूरियों में भी भारी कटौती की गई है?

श्री वी० वी० गिरि: सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री वेंकटारमन्: श्रीमान्, मैं पूछ सकता हूं कि खेतिहर श्रम के विषय में न्यूनतम मजूरियों को कार्यान्वित करने की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव क्या सरकार के सामने है?

अंतर्राष्ट्रीय ग्रास लैंड (घास भूमि) कांग्रेस

*६१. **सरदार हुक्म सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंसिलवानिया में अगस्त १९५२ में हुई छठी अन्तर्राष्ट्रीय ग्रास लैंड कांग्रेस में भारत के भी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे; तथा

(ख) क्या वहां किए गए कुछ निर्णय भारत के विशेष हित में थे?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां।

(ख) हां।

सरदार हुक्म सिंह: क्या हमारा प्रतिनिधि सं० रा० अमरीका से कुछ बीज प्रयोगार्थ यहां लाया था ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विचार से नहीं। कम से कम मुझे पता नहीं। उसे कुछ बीज लाने के लिए नहीं भेजा गया था।

सरदार हुक्म सिंह: अपनी एक प्रेस-भेंट में उन्होंने यह संकेत किया था कि वह उन बीजों को भारत ले जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे उन बीजों को यहां लाए हैं और क्या उनके उगाने के लिए अब तक कोई प्रयोग किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान् मुझे पता नहीं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या उन्होंने सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजी है और क्या उस पर विचार किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह रिपोर्ट अभी तक मेरे हाथ में नहीं आई है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: भाग १ के निर्देश में, उस कांग्रेस में किए गए निर्णय क्या हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: निर्णय नाम की तो कोई बात नहीं हुई। विश्व के विभिन्न भागों में काम करने वाले वैज्ञानिकों के सम्मेलन ने दूसरे देशों में होने वाले अनुसंधान के तरीकों के बारे में अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण सूचना प्रदान की। विशिष्ट विषय निम्न थे :-

बीज द्वारा चरागाहों का प्रबन्ध; सं० रा० अमरीका में बहुत होने वाला कृषिसार का उपयोग, फार्मों का मशीनीकरण और चौथे चरने योग्य घास के लिये बीजों के मिश्रण और चरागाहों के लिए खाद का विकास।

इन विविध विषयों पर चर्चा हुई थी और अत्यन्त मूल्यवान जानकारी दी गई थी। यह भी सुझाया गया था कि प्रत्येक देश की घास के मैदानों विषयक एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, जिसमें घास के मैदानों विषयक अनुसंधान परिमाप विस्तार और प्रबन्ध सम्मिलित होंगे।

सरदार हुक्म सिंह: क्या हमारे योजना आयोग ने हमारे देश के राष्ट्रीय घास के मैदानों के लिए कोई नीति अनुमोदित की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जहां तक मुझे ज्ञात है, नहीं।

स्विटजरलैंड के सर्वश्री श्लीरेन

***६२. श्री एस० एन० दास**: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अब तक स्विटजरलैंड के सर्वश्री श्लीरेन से, उक्त फर्म के साथ हुए प्राविधिक सहायता करार के अधीन प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता के विभिन्न रूप क्या हैं;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के अलग-अलग आंकड़ों समेत इस विषय में किया गया कुल व्यय क्या है;

(ग) अब तक प्राप्त हुई पूरी-पूरी धातु की बनी हलकी कोचों की संख्या क्या है; तथा

(घ) धातु की ही बनीं हलकी कोचों के निर्माण के लिए भारत में एक कारखाना स्थापित करने की योजना किस अवस्था में है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) (१) सर्वश्री श्लीरेन के विशेषज्ञों द्वारा सर्वधातुक हलकी कोचों की

डिजाइन बनाने में हमारे प्रविधिज्ञ कर्मचारी-वर्ग को दी गई सहायता ;

(२) हलकी कोचों के निर्माण के लिए उपयुक्त एक कारखाने की डिजाइन बनाने में दिया गया परामर्श;

(३) कारखाने के लिये आवश्यक संयन्त्र मशीनों और सामग्री के विवरण और प्रकार निर्देश;

(४) भारतीय डिजाइन बनाने वालों और ड्राफ्टमैनों का स्विटजरलैण्ड में श्लीरेन कारखाने में प्रशिक्षण ।

(ख) प्राविधिक सहायता के सम्बन्ध में अब तक किया गया कुल व्यय है :

	रुपए
(१) वार्षिक मूल शुल्कें	८.७० लाख
(२) भारत आने वाले श्लीरेन विशेषज्ञों को बि।वध भुगतान	२.०० लाख
(३) स्विटजरलैंड भेजे गए भारतीय ड्राफ्टमैंनों को विदेश भत्ता	·१९ लाख
	१०.८९ लाख

(ग) आज तक भारत में २ मूल-नमूने और २४ पूर्णतः सजी हुई कोचें आ चकी हैं ।

(घ) कारखाने के नागरिक इंजीनियरी-निर्माण के निमित्त २.६८ करोड़ रुपयों का आकलन मंजूर किया गया है । ३ दूकानों के बनाने के लिए ठेके दिये जा चुके हैं और शेष काम के लिए प्राकलन-पत्र मंगाए गए कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण, जमीन का समतल करना, प्रांगण का पुनः बनाया जाना आदि कार्य भी हाथ में हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि भारत-सरकार करार का पूरा उपयोग न कर सकी और यदि सच है, तो इसका कारण क्या था ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् इस अर्थ में यह सच है कि करार के पहले वर्ष में हम विशेषज्ञों को वांछित संख्या में स्विटजरलैण्ड न भेज सके ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा टिप्पणियों को देखने के बाद क्या सरकार द्वारा कोई पग उठाए गए हैं ?

श्री अलगेशन : हां श्रीमान्, मैं एकदम कह सकता हूं कि हम करार को पुनरीक्षित करने जा रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या करार की कमियों को सुधारने के लिये पग उठाए गए हैं और इस करार को आगामी तीन वर्षों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिये अन्य आवश्यक कार्यवाहियां की गई हैं ।

श्री अलगेशन : मेरा उत्तर इस बात को भी समेट लेता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को सन्तोष है कि प्रशिक्षण के लिए स्विटजरलैण्ड भेजे जाने वाले व्यक्ति करार के समाप्त होने से पहले ही भेज दिये जायेंगे ?

श्री अलगेशन : करार १२ वर्ष का दीर्घकालीन करार है । यह शीघ्र समाप्त न होगा । हम अपने विशेषज्ञ भी शीघ्र भेज देंगे ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी द्वारा तयार की गई

सर्वधातुक कोचों की लागत की तुलना में इस फर्म की सर्वधातुक कोचों की लागत कितनी है ?

श्री अलगेशन: यदि आंकड़े मांगे गए तो मैं दे दूंगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मैं जान सकता हूं कि अब तक उस फर्म को कितनी राशि दी गई है ?

श्री अलगेशन: हां श्रीमान्, पहले दो वर्षों के अपने आर्डरों के लिए हम निम्न अग्रिम राशियां प्रदान कर चुके हैं:

पहले वर्ष में ३०.४७ लाख;

दूसरे वर्ष में ३१.४० लाख;

और आई हुई कोचों के आगे ४५.९२ लाख।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह विधि द्वारा प्रसहय-प्रवर्तनीय करार है और स्विस फर्म द्वारा करार के भंग होने पर क्या उसके समाप्त कर देने का उपबन्ध है ?

श्री अलगेशन: हां श्रीमान।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। पहली व्यक्तिगत मत की बात है और दूसरी बात लेख्य सम्बन्धी है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि इन कोचों के लिए पहला आर्डर कब दिया गया था ?

श्री अलगेशन: पहला आर्डर १९५० वर्ष में दिया गया था।

श्री एस० एन० दास: क्या यह सच है कि आर्डर दिए गए थे और फर्म समय पर कोचें न भेज सकी थी; यदि सच है तो सरकार द्वारा फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अलगेशन: यह सच है कि फर्म पहले आर्डर का संभरण न कर सकी थी, पर अब वह इसे पूरा कर रही है और कोचें भेज रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: हम अगला प्रश्न लेंगे।

कालीकट-तेलीचेरी-सड़क

*६३. **श्री एन० पी० दामोदरन**: (क) क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मालाबार में माही की फ्रांसीसी बस्ती को छोड़कर कालीकट से तेलीचेरी तक के लिए एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण सरकार द्वारा अक्टूबर, १९४८ की माही की घटनाओं के पहले कभी सोचा गया था ?

(ख) यदि सोचा गया था, तो क्या वह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है या छोड़ दिया गया ?

(ग) क्या इस सम्बन्ध में माही रेलवे पुल को एक संयुक्त रेलवे पुल में बदल देने की भी बात सोची गई थी ?

(घ) यदि वैकल्पिक सड़क का प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है, तो क्या सड़क का मार्ग अन्तिम रूप से निश्चित किया जा चुका है और यदि किया जा चुका है तो वह क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): इस विषय पर मद्रास सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इसका सम्बन्ध एक राज्य-राजमार्ग से है।

श्री एन० पी० दामोदरन: क्या सरकार को विदित है कि भारतीय नागरिकों का बहुत सारा धन .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। यह मद्रास सरकार के क्षेत्र का प्रश्न है।

श्री एन० पी० दामोदरन: पर यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसमें भारत सरकार को चाव होना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध फ्रांसीसी राज्य क्षेत्र से है।

अध्यक्ष महोदय: यह केन्द्रीय सरकार की दायिता पर कैसे प्रभाव डालेगा ? मेरे विचार से इस प्रश्न पर कल अंशतः विचार हुआ था।

श्री एन० पी० दामोदरन: श्रीमान्, ऐसा नहीं हुआ था।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय मन्त्री के पास कोई सूचना है?

श्री अलगेशन: नहीं श्रीमान्। इसका सम्बन्ध मद्रास सरकार से है और वह फ्रांसीसी अधिकारियों से बात चला रही है।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

नए प्रकार का हल

*६४. **श्री एस० सी० सामन्त**: (क) **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप में तैयार किया गया एक इस्पात का सादा हल कानपुर में बनाया गया है?

(ख) यदि सच है, तो किन किन विशेषज्ञों और प्रविधिज्ञों ने उसकी डिजाइन बनाई है तथा उसका निर्माण किया है?

(ग) इस नए प्रकार के हल को बनाने के लिए भारत में प्रयुक्त होने वाले साधारण हल में क्या मौलिक परिवर्तन किए गए हैं?

(घ) उत्पादन लागत क्या है और इस नए प्रकार के हल को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या पग उठा रही है?

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) सरकार को पता है कि कानपुर में 'केयर प्लाऊ' (अप्रमाद हल) नामक एक नया हल बनाया गया है।

(ख) सर्वश्री कोसुल एण्ड कम्पनी कानपुर के श्री वी० सी० कपूर और एक अमरीकी प्रविधिज्ञ श्री एच० स्किनर ने मिलर हल की डिजाइन बनाई है और सर्वश्री कोसुल एण्ड कम्पनी लिमिटेड कानपुर उसका निर्माण कर रहे हैं।

(ग) सरकार को बताया गया है कि यह हल खड़ी सनई की हरी खाद को बिछाने के और सब प्रकार की प्रचलित जुताइयों के काम का एक बहुलक्ष्यी हल है। मौल्ड बोर्ड, शेयर और लैंड स्लाइड इस्पात के हैं। ११ फीट लम्बी हरीस (लट्ठा) बैलों के आकार के अनुसार ठीक की जा सकती है। तली पर जुताई का कीला बदला जा सकता है। बीज के लिए जगह बनाने के लिए उसमें देशी फाला लगाया जा सकता है। इसे खींचने के लिये आवश्यक सहारे की जांच के लिए निर्माताओं द्वारा अभी कुछ परीक्षण नहीं किया गया है।

(घ) हत्थे और हरीस समेत पर शेष संलग्न सामान रहित प्रत्येक हल की लागत लगभग ५१ रुपए है। हल की अभी परीक्षा हो रही है और इनके फल विदित होने पर ही सरकार इसे प्रोत्साहन देने या न देने की बात पर विचार करेगी।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को हल ने विशेष रूप से प्रसन्न बनाया है और वह इसे जरूरतमन्द किसानों में बांटने का विचार कर रही है? क्या भारत में कार्यारम्भ हो गया है?

डा० पी० सी० देशमुख: भारत में कार्यारम्भ नहीं हुआ है। निर्दिष्ट 'अप्रमाद हल' इस देश में नहीं लाया गया है, पर निर्माताओं ने इसे बेच दिया है और सुनने में आया है कि विदेशों को निर्यात के प्रयोजन से यूरोप और एशिया को अमरीकी प्रदानों के सहयोग (केयर) द्वारा इस प्रकार के बहुत से हल बनाए गए हैं। जहां तक भारत का सम्बन्ध है इसकी परीक्षा हो रही है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि यह हल पूसा–संस्था में बने दोधारू हल की तुलना में कैसा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसमें कुछ विशेषताएं हैं, पर दोनों की तुलना करके सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं किया है ।

श्री चट्टोपाध्याय: मैं जान सकता हूं कि बिना मौत मरने वाले भारतीय किसानों का कितना प्रतिशतक इस अद्भुत नई वस्तु को खरीद सकता है ?

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझता कि इसका उत्तर आवश्यक है । माननीय सदस्य ने इसे ऐसी भाषा में पूछा है, जो उचित नहीं।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री द्वारा बताए गए दो परिवर्तनों के सिवा कोई दूसरे परिवर्तन भी किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैंने हल का पूरा वर्णन कर दिया है। मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री बी० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि यह हल बम्बई में भारी पैमाने पर बनाया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख: नहीं श्रीमान् । यह सब तो कानपुर में चल रहा है।

श्री बी० के० दास: प्रश्न संख्या ६५ श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं निवेदन कर सकता हूं कि आप प्रश्न संख्या ८४ का भी उत्तर इसी के साथ देने की आज्ञा दे दें। दोनों का विषय एक ही है ।

अध्यक्ष महोदय: यह करने से पूर्व मुझे सदस्यगण से निवेदन करना है कि उन्हीं स्थानों पर बैठें, जिन पर पिछले सत्र में बैठते थे। पहले प्रश्न पर मैं श्री सामन्त को छोड़े जा रहा था, क्योंकि मैंने उनको पहले के स्थान पर नहीं पाया था । मैं तो बिल्कुल यही समझ रहा था कि वह सदन से अनुपस्थित हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय: श्रीमान्, बहुत से विस्थापित व्यक्ति जो हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह सर्वसाधारण निवेदन सभी से है । सदस्यगण अध्यक्ष की कठिनाई समझ लेंगे। जब तक वे अपने स्थानों पर न बैठेंगे, अध्यक्ष स्थान नियत न कर सकेगा और सदस्यों का स्थान न खोज सकेगा।

श्री दाभी: हमारे स्थानों पर दूसरे लोग बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है । प्रत्येक सदस्य यह तर्क रख सकता है कि उसके स्थान पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है । अतः मेरा सर्वसाधारण निवेदन सभी सदस्यों से है कि अपने पिछले सत्र वाले स्थानों पर ही बैठे। तब सब कुछ व्यवस्थित होगा। यह पारस्परिक समन्वय का प्रश्न है। अन्यथा मेरे लिये यही रास्ता बचेगा कि स्थान बदलने वाले सदस्यों को प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न न पूछने दूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हमारे स्थान उपमन्त्रियों ने ले लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि उप-मन्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण स्थानों में कुछ परिवर्त्तन होगा। उस बात को छोड़ और कोई औचित्यपूर्ण हेतु नहीं है कि माननीय सदस्य अपने पुराने स्थानों पर क्यों न बैठें । जब तक कोई सदस्य अपने पुराने स्थान पर न बैठे, मेरे लिये उसको उपस्थित या अनुपस्थित समझना कठिन है।

एक माननीय सदस्य: और मेरा स्थान, जो मेरे पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा रिक्त कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य इस प्रकार के प्रश्न पूछ कर सदन का समय नष्ट न करें। यही समय जानकारी प्राप्त करने में भली भांति प्रयुक्त किया जा सकता है।

श्री ए० सी० गुहा: क्या मैं प्रश्न संख्या ६५ और ८४ साथ साथ लेने के सम्बन्ध का अपना निवेदन फिर दुहरा दूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मन्त्री दोनों का उत्तर साथ-साथ दे दें।

पश्चिमी बंगाल को चावल का संभरण

*६५. **श्री बी० के० दास**: क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल को इस वर्ष अब तक दिए गए चावल की कुल मात्रा; तथा

(ख) आयात किए हुए चावल और दूसरे राज्यों के स्थानीय समाहार वाले चावल की मात्राएं और उनका क्रमश: मध्य-मान-मूल्य ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): २०–१०–१९५२ तक, जब तक के ताजे से ताजे आंकड़े उपलब्ध हैं, पश्चिमी बंगाल को १०,२,८४८ टन चावल दिया गया है।

(ख) इन संभरणों का आयातित स्कंधों से, उड़ीसा से और यू० पी० से प्रबन्ध किया गया था और दी गई मात्रा क्रमश: ७९,२१७ टन, १५,५३२ टन और ८,०९९ टन थी। आयातित चावल का दाम उसके प्रकार पर निर्भर होता है और बन्दरगाह पर अच्छे प्रकार के चावल का दाम रु० २८-५-० प्रति मन और मोटे प्रकार के चावल का दाम रु० २४–०–० प्रति मन होता है। यू० पी० और उड़ीसा से दिए गए चावल का मध्यमान दाम बोरों समेत क्रमश: रु० २३–१४–११ और रु० १६–५–२ प्रति मन है।

पश्चिमी बंगाल को चावल का संभरण

*८४. **श्री ए० सी० गुहा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की अपनी पिछली यात्रा के समय कलकत्ते की जन-संख्या को भोजन देने के केन्द्र के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये मन्त्री जी ने पश्चिमी बंगाल को कुछ चावल देने का वचन दिया था; तथा

(ख) पश्चिमी बंगाल को प्रति मास यह मात्रा कैसे-कैसे दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि उपमन्त्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) हां श्रीमान्।

(ख) अगस्त से दिसम्बर तक की कल-कत्ते के उद्योग-क्षेत्र की चावल सम्बन्धी जरूरत पूरी करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से परामर्श करके तैयार की गई योजना में उड़ीसा से ६०,००० टन चावल (४६,००० टन साधारण और १४,००० टन अति-उत्तम) के निम्न रूप से संभरण का विचार था :

अगस्त १९५२	...	२०,००० टन
सितम्बर ,,	...	१०,००० टन
अक्टूबर ,,	...	१०,००० टन
नवम्बर ,,	...	२०,००० टन
		६०,००० टन

अगस्त और सितम्बर १९५२ में होने वाले ३०,००० टन चावल के संभरण के स्थान पर उड़ीसा ने २०–१०–५२ तक १०,३६३ टन ही चावल भेजा। प्रेषण में शीघ्रता कराने के लिये सभी संभव पग उठाए गए हैं। उड़ीसा से होने वाले संभरणों में देर होने के कारण पैदा होनें वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए केंद्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल को अक्टू-बर की समाप्ति तक ४९,००० टन चावलों का दूसरे स्रोतों से संभरण कर दिय

और नवम्बर १९५२ में १५००० टन के संभरण का और प्रबन्ध कर रही है।

श्री बी० के० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक कुल संभरण कितना किया जाएगा ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हमारे द्वारा किया गया आवंटन लगभग १,४५,००० टन है।

श्री बी० के० दास: क्या मैं समझूं कि किया गया संभरण पश्चिमी बंगाल के राशन वाले क्षेत्र के लिए है, अभाव वाले क्षेत्र के लिए नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इसमें दोनों सम्मिलित हैं।

श्री बी० के० दास: क्या इसमें अभाव वाले क्षेत्र में सस्ते अनाज वाली दुकानों द्वारा बेचा जाने वाला चावल भी सम्मिलित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इसमें वह सम्मिलित नहीं है।

श्री बी० के० दास: क्या उसके लिए दी गई मात्रा में अंदाजन जान सकता हूं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मेरे पास आंकड़े तत्काल प्रस्तुत नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं बता दूंगा।

श्री बी० के० दास: १९५३ के लिए क्या योजना बनाई गई है—पश्चिमी बंगाल को उसके क्षेत्र के लिए क्या मात्रा प्रदान की जाएगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री किदवई): बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ते की आवश्यकताओं के लिये भेजे गए विवरण के आधार पर केन्द्र द्वारा उस क्षेत्र के लिए संभरण किया जाएगा।

श्री बी० के० दास: और नीति ?

श्री किदवई: लगभग साढ़ तीन लाख टन चावल—ढाई लाख टन राशन के लिए और एक लाख टन खुली बिक्री के लिए।

श्री बी० के० दास: क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल को डेढ़ लाख टन का एक अभ्यंश पश्चिमी बंगाल के लिए संभरण करने वाले केन्द्रीय समूहन में देना पड़ेगा ?

श्री किदवई: यह सच है।

श्री ए० सी० गुहा: क्या माननीय मन्त्री को सन्तोष है कि कलकत्त के उद्योग-क्षत्रों और आंशिक राशन वाले देहाती क्षेत्रों के लिए पश्चिमी बंगाल को किए जाने वाले संभरण के लिए किए गए प्रबन्धों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: हां, हम इसे कार्यान्वित कर रहे ह। जनवरी से अगस्त तक हमारी एक योजना है और अगस्त के बाद एक दूसरी योजना है। हमारी दो योजनाएं हैं, एक कलकत्ते के लिए और दूसरी कलकत्ता छोड़ शेष पश्चिमी बंगाल के लिए।

श्री ए० सी० गुहा: क्या यह सच है कि कुछ राशनिंग वाले देहाती क्षेत्रों से राशनिंग उठा लिया गया है, और यदि सच है तो क्यों—क्या इसलिए कि औस की फसल को अभी काटा नहीं गया है ?

श्री किदवई: मैं नहीं जानता कि बंगाल सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है।

श्री ए० सी० गुहा: मैं जान सकता हू कि किन देहाती क्षेत्रों में अब राशनिंग उठाया जा रहा है और इससे चावल के दाम पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

श्री किदवई: मेरे पास पश्चिमी बंगाल से अभी यह रिपोर्ट नहीं आई कि आगामी वर्ष के लिए उनके क्या प्रस्ताव हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय सदस्य को विदित है कि बंगाल के राशनिंग वाले देहाती क्षेत्रों में हाल में ही मात्रा कम की जा चुकी है ?

श्री किदवई: मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या माननीय मन्त्री बंगाल सरकार से इसका पता लगाएंगे ?

श्री किदवई: निश्चय ही ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में खपत के लिये अनुपयुक्त चावल फिर मद्रास भेज दिया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: इस प्रश्न का सम्बन्ध उबले चावल से है, जिसे माननीय सदस्य ने सड़ा बताया था क्योंकि वह उसके अभ्यस्त न थे । पर यह मद्रास में खूब प्रयोग में आता है और वे लोग इसे चाहते हैं।

श्री गिडवानी: वे किस आधार पर कहते हैं .....

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं ।

श्री रघवय्या: क्या मैं वे विशेष कारण जान सकता हूं, जिन्होंने भारत सरकार को रायलासीमा जैसे क्षेत्रों के ऊपर, जहां वादा किया गया चावल भी ठीक से नहीं दिया गया, अग्रस्थान देकर केवल कलकत्ते के लोगों को ही भोजन देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिये विवश किया ?

श्री नम्बियार: उबले और सड़े चावल के सम्बन्ध में, क्या यह सच है कि मद्रासवासी केवल सड़े चावल ही खा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री रघवय्या: मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए, क्योंकि रायलासीमा के लोग ....

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल जानकारी प्राप्त करने के लिए है, तर्क रखने के लिए नहीं ....

श्री रघवय्या: और मेरे प्रश्न में मन्त्री से जानकारी नहीं मांगी गई थी ।

अध्यक्ष महोदय: वह उस बात पर तर्क ही किए जा रहे हैं ।

श्री गिडवानी: माननीय मन्त्री को कैसे ज्ञात है कि यह सड़ा चावल लोकप्रिय है ?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य तर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस अनुमान का कारण क्या है कि यह सड़ा चावल है—एक प्रेस समाचार ही न ?

श्री रघवय्या: श्रीमान्, मेरे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न, श्री तुषार चटर्जी । माननीय सदस्य और प्रश्न न रखेंगे ।

सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी

*६६. **श्री तुषार चटर्जी**: (क) श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राजतंत्र (यू० के०) से दो सामाजिक-सुरक्षा-पदाधिकारी नियुक्त किए हैं ?

(ख) उनकी नियुक्ति के पद क्या हैं ?

(ग) क्या भारत में कोई ऐसा श्रम पदाधिकारी या मजदूर-संघ का कार्यकर्त्ता नहीं है, जो यह कार्य कर सके, जिसके लिए विदेशी विशेषज्ञ आ रहे हैं ?

(घ) क्या इस विशेष कार्य के लिए भारतीयों को प्राप्त करने या प्रशिक्षित बनाने के लिये यत्न किए गए थे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) भारत सरकार द्वारा प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन अपने को तथा कर्मचारी-राज्य-बीमा-निगम को परामर्श

देने के लिये भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के बीच हुए एक करार के आधार पर संयुक्त राजतन्त्र के राष्ट्रीय बीमा तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के तीन सामाजिक सुरक्षा के विशेषज्ञ पदाधिकारियों की सेवाएं छः महीने के लिये प्राप्त की गई हैं।

(ख) भारत सरकार की दायिता देश में यात्रा-भत्ता और यात्रा-दिवसों का दैनिक भत्ता चुकाने, रहने और कार्यालय के लिए स्थान देने, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और अस्पताल-सुविधा तथा अन्य आवश्यक साचिव्य-सहायता देनी की ही है। उनके वेतन और भारत के बाहर यात्रा भत्ते अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ द्वारा चुकाए जा रहे हैं।

(ग) नहीं।

(घ) चूंकि यह योजना भारत में अपने प्रकार की पहली ही है, आवश्यक योग्यता वाले ऐसे भारतीयों का प्राप्त कर सकना सम्भव न था, जो यह काम सम्भाल सकें।

श्री तुषार चटर्जी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सामाजिक सुरक्षा के किस विशेष कार्य के लिये, जिसके लिए भारतीयों की सेवाएं प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, इन पदाधिकारियों को लाया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: इन विशेषज्ञों को इस विशेष प्रकार के बीमा के प्रशासन सम्बन्धी काम हमें समझा देने के लिए देश में लाया गया है, जो यहां पहले न होता था और इसीलिये विशेषतः उनको यहां लाया गया है।

श्री तुषार चटर्जी: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि संयुक्त राजतन्त्र के विशेषज्ञों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजदूर-संघों की कितनी सहायता ली गई हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मजदूर-संघों की सहायता ली जा रही है।

श्री बी० एस० मूर्ति: भारत में इन विशेषज्ञों के स्वल्पकाल-निवास के लिए भारत को कुल कितना व्यय करना पड़ा है ?

श्री वी० वी० गिरि: छः महीने लगभग २५,००० रुपये।

श्री एम० ए० आयंगर: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि यह जानने के लिये क्या पग उठाए गए थे कि इस काम के व्यावहारिक अनुभव वाले नवयुवक देश में विद्यमान है या नहीं ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह योजना देश में पहली ही बार शुरू की जा रही है, और लाए गए पदाधिकारी संयुक्त राजतन्त्र के राष्ट्रीय बीमा और स्वास्थ्य मन्त्रालय में काम कर चुके थे।

डा० एस० पी० मुखर्जी: क्या जब तक ये पदाधिकारी भारत में रहें, योग्य भारतीयों को प्रशिक्षित बनाने का कोई विचार है।

श्री वी० वी० गिरि: हां, श्रीमान्।

श्री नानादास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि भारत में अपने निवास-काल में इन पदाधिकारियों द्वारा किस प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्य के पूरे किए जाने की आशा है ?

श्री वी० वी० गिरि: वे इस सम्बन्ध में समूचे संगठन को खड़े करने में हमारी सहायता करने के लिए आये हैं।

जापानी अंतभूमि केबिल्स (समिति)

*६७. **श्री एस० एन० दास**: (क) संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने जापानी अन्तर्भूमि के बिल्स की खरीद की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है ?

(ख) यदि की है, तो समिति के सदस्य कौन हैं ?

(ग) समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

संचरण उपमन्त्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). हां श्रीमान्। सम्बन्धित सरकारी संकल्प की एक प्रति मैं सदन-पटल पर रखता हूं। [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**।]

श्री एस० एन० दास: सदन-पटल पर रखे गये संकल्प से यह प्रतीत होता है कि संभरण तथा उत्सर्जन के महा संचालक ने एक फर्म का अन्तर्भूमि केबल्स के लिए आर्डर दिया था। मैं जान सकता हूं कि क्या उस समय जापान स्थित हमारी व्यापारिक एजेंसी से परामर्श किया गया था?

श्री राज बहादुर: इससे न केवल परामर्श किया गया था, बल्कि केबिल्स के प्रकार सम्बन्धी गुणों की जांच का भार तक इसे सौंपा गया था।

श्री एस० एन० दास: क्या सरकार का ध्यान नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक की इस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि यदि आर्डर सीधे-सीधे दिया गया होता, तो इससे धन की कुछ बचत ही होती?

श्री राज बहादुर: मुझे भय है कि शायद माननीय सदस्य को विदित नहीं है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट का वह अंश वापस ले लिया गया है—देखिए शुद्धि पत्र दिनांक ३ मई, १९५२।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि रिपोर्ट द्वारा कब रिपोर्ट प्रेषित होने की सम्भावना है या रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है?

श्री राज बहादुर: मैं ठीक समय नहीं बता सकता, पर समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है और मुझे आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित की जाएगी।

श्री नटेसन: मैं जान सकता हूं कि त्रुटि सबसे पहले कब और कहां पकड़ी गई थी?

श्री राज बहादुर: यह एक ही स्थान पर मिली थी। केवल कलकत्ते में ही यह पता चला कि कुछ स्थानों पर ऊपर का जूट का आच्छादन घिस सा रहा था। अब इनमें से अधिकांश पर फिर टेप लगा दी गई है। पर दूसरे स्थानों पर यह पूर्णतः सन्तोषजनक पाया गया।

श्री नटेसन: क्या निर्यात से पहले इन केबिल्स का निरीक्षण जापान में नहीं किया गया था?

श्री राज बहादुर: एक निरीक्षक भेजा गया था, पर केबिल्स के पूरे के पूरे ढेर का निरीक्षण सम्भव न था और केवल एकांश का ही निरीक्षण किया गया था।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या जापान में भारत-सरकार की कोई क्रय-एजेंसी है?

श्री राज बहादुर: वहां एक भारतीय सम्पर्क मिशन है, और यह सामान्यतः इसके लिए भी काम करता है।

श्री टी० एन० सिंह: क्या यह सच है कि केबिल्स के निरीक्षण के लिए जापान स्थित लोगों के पास निदेश बहुत ही पीछे अथवा माल के बिल्कुल बांधे जाते समय भेजे गए थे?

श्री राज बहादुर: वास्तव में वे निर्मित तो हो चुके थे, पर वस्तुतः प्रेषित नहीं किए गए थे, वे भेजे जाने वाले थे। करार के पदों में यह उपबन्ध था कि निर्माण की प्रक्रिया के बारे में निरीक्षण किया जाएगा और कुछ नमूने की जांच की गई थी।

राजयक्ष्मा

*६८. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) आजकल भारत में राजयक्ष्मा से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या

(ख) क्या १९४७ से इस रोग का वेग बढ़ता जा रहा है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो रोग की वृद्धि के कारण; तथा

(घ) किन क्षेत्रों में राजयक्ष्मा बहुत पाया जाता है ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) लगभग २५ लाख।

(ख) ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। पर हर ओर के वृत्तांतों से यह अनुमान किया जा सकता है कि रोग का उपद्रव बढ़ता जा रहा है।

(ग) रोग की वृद्धिशील गति के कारण हैं : सार्वजनीन दरिद्रता और फलतः निम्न जीवन-स्तर, नगरों में घनी आबादी और पौष्टिक आहार का अभाव। भीषण दशाओं में लोगों के विभाजन के पश्चात् के भारी प्रव्रजन ने भी संक्रमण बढ़ाने में सहायता दी है।

(घ) अत्यन्त उद्योगीकृत नगरी क्षेत्र कलकत्ता, अहमदाबाद, बम्बई, कानपुर आदि में राजयक्ष्मा सर्वाधिक देखा जाता है। देहाती क्षेत्रों की तुलना में यह नगरी या अर्द्ध नगरी क्षेत्रों में अपेक्षतया अधिक होता है।

श्री वी० पी० नायर: क्या राजयक्ष्मा में किन्हीं भौगोलिक कारणों से भी वृद्धि हो जाती है ?

अध्यक्ष महोदय: इससे माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है ?

श्री वी० पी० नायर: जलवायु सम्बन्धी दशाएं।

श्रीमती चन्द्रशेखर: सम्भव है, पर मेरे पास तत्काल कोई जानकारी नहीं है।

श्री वी० पी० नायर: क्या हमारे देश-वासियों को उपलब्ध क्रमशः कम होते जाने वाले भोजन तत्व भी राजयक्ष्मा की वृद्धि में सहायक कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरी समझ से अब हम विशेषज्ञता के प्रश्नों को ले रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर: श्रीमान्, यह दिए गए उत्तर से ही अद्भूत होता है।

अध्यक्ष महोदय: वह जानकारी या आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर: मैं आंकड़े पूछूंगा। राजयक्ष्मा से पीड़ित कितने प्रतिशत व्यक्तियों की सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा की जाती है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: बहुत थोड़े प्रतिशत व्यक्तियों की, पर मैं ठीक प्रतिशतक नहीं बता सकती।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से अब अच्छा हो कि हम अगला प्रश्न लें।

श्री एम० ए० आयंगर: क्या मैं छोटा सा सुझाव दे सकता हूं ? जब किसी मन्त्रालय के मन्त्री और उपमन्त्री दोनों ही सदन में उपस्थित हों, तो दोनों ही उत्तर दे सकते हैं और सदन को जानकारी प्रदान करने का यत्न कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय उपाध्यक्ष महोदय से मेरा मत भिन्न है। इन प्रश्नों में मैंने देखा है कि वे सरकार से शुद्ध जानकारी की ही मांग नहीं करते बल्कि विशेषज्ञों के ज्ञान, रोग के उद्भव और विस्तार आदि कारणों की जिज्ञासा करते हैं, जो बहुत कुछ विचार और कल्पना का विषय है।

एक माननीय सदस्य: हम इस विषय की शिक्षा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। कोई भी स्वास्थ्य मन्त्री राजयक्ष्मा या और किसी रोग का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, और तद्विषयक प्रश्न वस्तुतः नहीं पूछे जाने चाहिएं।

वे फायलों में विद्यमान सूचना या प्राप्त आंकडों सम्बन्धी जानकारी दे सकते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी: मैं एक निवेदन कर दूं? श्रीमान्, आपने प्रश्न ६८ के भाग (ग) को नियमत माना है, जिसमें राजयक्ष्मा की वृद्धि के कारणों का निर्देश किया गया था। स्वभावतः हम सम्बन्धित मन्त्री से कुछ कारणों के बताए जाने की आशा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: पर वे सब कारण नहीं, जिनसे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। राजयक्ष्मा की वृद्धि के अनेक कारण हैं और सभी उनको जानते हैं या सभी से उनके जानने की आशा की जाती है। पर इन विषयों पर तर्क में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन बातों पर तर्क करने की अपेक्षा इनको समझना अधिक अच्छा है।

राज्यक्षमा के रोगी (भेषजों की लागत)

***६९. श्री वी० पी० नायर**: (क) क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के एक अस्पताल में राजयक्ष्मा के एक रोगी की चिकित्सा के लिये वांछित दवाओं और भेषजों की मध्यमान मासिक लागत क्या है?

(ख) क्या सरकार भारत में राजयक्ष्मा की चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवाओं और भेषजों की लागत कम करने के लिए कोई पग उठा रही है?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) राजयक्ष्मा के लिए केन्द्रीय सरकार का कोई अस्पताल नहीं है। एक अच्छे क्षय-सैनेटोरियम में विशेष भेषजों की लागत को छोड़ एक शय्या का व्यय १२५ रुपए से १५० रुपए प्रतिमास तक आता है। पीड़ितों की भेषज सम्बन्धी आवश्यकता रोगी-रोगी में भिन्न रहती है। प्रति जैविक दवाओं (एंटीवायोटिक्स) को छोड़ साधारण दवाओं की मध्यमान लागत एक क्षय अस्पताल में लगभग ५० रुपए प्रति रोगी प्रति वर्ष आती है। प्रति जैविकीयों की मध्यमान लागतों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर वे प्रति रोगी प्रति वर्ष अनुमानतः २२५ रुपये की पड़ती हैं।

(ख) राजयक्ष्मा की चिकित्सा में मुख्यतः प्रयुक्त होने वाली भेषजें हैं:

(१) स्ट्रेप्टोमाइसिन।

(२) पैरा-आमिनो-सालीसाइलिक एसिड।

(३) क्षय-भेषजों का थायोसेमीकारबेजोन वर्ग।

(४) ईसोनिको टिन एसिड का हाइड्रेज़ाइड।

पहली तीन भेषजें उनके विषय में अपनाई गई उदार आयात नीति के कारण उचित दाम पर मिल जाती हैं। स्ट्रैप्टोमाइसिन को भेषज (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५० के अधीन भी नियन्त्रित रखा जाता है। अन्तिम भेषज के विषय में उचित दाम का उद्धरण देने वाले लोगों को ही आयात-अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं, और इसका देश में ही निर्माण करने की इच्छा रखने वाली फर्मों को भी सहायता दी जा रही है। निर्धन क्षय रोगियों को विशेष भेषजों के विषय में यथा सम्भव सहायता दी जाती है।

श्री वी० पी० नायर: २५ लाख भारतीयों के राजयक्ष्मा द्वारा पीड़ित होने की दृष्टि में, क्या सरकार देश में स्ट्रैप्टोमाइसिन, पैरा-आमिनो-सालीसाइलिक एसिड और ईसोनिकोटिन एसिड हाइड्रेज़ाइड के निर्माण का विचार कर रही है?

श्रीमती चन्द्रशेखर: प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में अंतिम मद अर्थात् ईसोनिकोटिन एसिड के हाइड्रेज़ाइड के विषय में मैं बता

चुकी हूं कि देश में इसके निर्माण की इच्छा रखने वाली फर्मों को सहायता दी जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर: क्षय-रोगियों का कितना प्रतिशतक १२५ रुपए प्रति मास के आस पास आने वाला चिकित्सा-व्यय सहन कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह व्यक्तिगत अभिमत का विषय है। अगला प्रश्न ।

मंच तथा संगीत के कलाकार (रेलवे रियायतें)

*७०. **श्री के० एस० राव** : (क) रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंच तथा संगीत के कलाकारों को रेलवे-रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

(ख) क्या इस बारे में सरकार को अभ्यावेदन किए गए हैं ?

(ग) इन अभ्यावेदनों के विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) इस विषय में निर्णय करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

(ङ) क्या अन्य जरूरत वाले वर्गों को रियायतें देने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): (क) सरकार ने हाल में ही इस बात की जांच की है और कुछ समय बाद पुनरवलोकन करने का विचार कर रही है।

(ख) हां ।

(ग) यद्यपि मंच तथा संगीत के कलाकारों को मिलने वाली युद्ध-पूर्व की रेल रियायतें फिर से देना तो सम्भव नहीं समझा गया, पर फिर भी विशिष्ट मामलों में तदर्थ आधार पर गुणानुसार इनकी अनुमति दी गई है।

(घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर की ओर निर्देश किया जाता है।

(ङ) हां ।

श्री के० एस० राव: मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसूचित जाति के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री बी० एस० मूर्ति: रायलासीमा अकाल के दिनों में बहुत से ये कलाकार धन एकत्र करने के लिये जगह-जगह खेल दिखाने के लिए न जा सके थे; तो मैं जान सकता हूं कि सरकार निःशुल्क खेल दिखाने वालों को रेलवे-रियायतें देने के लिये क्या कर रही है ।

श्री अलगेशन: जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, व्यक्तिगत आवेदनों पर गुणानुसार विचार किया जाता है और ये रियायतें 'तदर्थ' आधार पर दी जाती हैं।

श्री के० के० बसु: प्रश्न के भाग (ङ) से उठने वाला यह प्रश्न मैं पूछ सकता हूं कि जरूरत वाले वर्ग कौन से हैं ?

श्री अलगेशन: मैं पहले अध्यापकों को रखूंगा ।

श्री चट्टोपाध्याय: मैं जान सकता हूं कि क्या यह रियायत उन संसद् सदस्यों को भी दी जाएगी, जो कलाकार हैं ?

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

भारतीय चीनी प्रोद्योगिकी सस्था कानपुर

*७३. **प्रो० अग्रवाल** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय चीनी प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर में चीनी इंजीनियरी के प्राध्यापक के स्थान की कब से पूर्ति नहीं की गई है ?

(ख) चीनी संस्था के लखनऊ स्थित नए भवन में कब तक चले जाने की सम्भावना है ।

कृषि मन्त्री (डा० पी० एस० देशमुख) (क) अगस्त १९५० से ।

(ख) ठीक मिति बताना सम्भव नहीं ।

(ख) ठीक मिति बताना संभव नही नए भवन का शिलान्यास फरवरी १९५२ में हुआ था और निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश के लोक-निर्माण विभाग को सौंपा गया है ।

एगमार्क उत्पाद

*७४. **प्रो० अग्रवाल**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार एगमार्क उत्पादों विशेषतः घी पर किस प्रकर नियन्त्रण करती है ?

(ख) मिलावट के मौके और कम करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) एगमार्क उत्पादों का श्रेणी निरूपण उत्पादकों द्वारा भारत सरकार के कृषि-पण्य-परामर्शदाता द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों के प्रमाण पत्रों के अधीन किया जाता है । अधिकृत पक्षों को कृषि-उंत्पाद (श्रेणी निरूपण और चित्रांकन) अधिनियम, १९३७ के अधीन बनाए गए नियमों का पालन करना होता है और इन नियमों के अनुसार पदार्थों का श्रेणी निरूपण करना होता है । अधिकृत दलों द्वारा नियमों का समुचित पालन विशेष निरीक्षक कर्मचारी द्वारा बहुधा किए गए निरीक्षणों द्वारा और श्रेणी निरूपण और वितरण केन्द्रों से कुछ श्रेणी निरूपित पदार्थों को यों ही चुन कर उनके विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है ।

घी तथा भोज्य तेलों के विषय में प्रत्येक अधिकृत विक्रेता को एक प्रयोगशाला रखनी पड़ती है तथा एक रसायनज्ञ नियुक्त करना पड़ता है, जो या तो सरकारी कर्मचारी होता है या नियुक्ति और पदच्युति के बारे में सरकारी नियन्त्रण में रहता है । बन्द किए गए घी तथा भोज्य तेलों के नमूने रसायनिक विश्लेषण के लिए कानपुर और राजकोट की सरकारी नियंत्रण प्रयोगशालाओं में भी भेजे जाते हैं । यदि कोई नमूना विहित निर्देशों के अनुकूल नहीं पाया जाता, तो तत्संबंधी पदार्थ को या तो श्रेणीच्युत कर दिया जाता है, या अश्रेणीकृत रूप में ही बिकने दिया जाता है ।

भयानक त्रुटि के मामलों में अधिकार देने वाले प्रमाणपत्र विलम्बित या रद्द किए जा सकते हैं । श्रेणी-निरूपित पदार्थों वाले डिब्बों में गड़बड़ी करके या जाली चिप्पियां प्रयुक्त करके होने वाली धोखेबाजी के लिये भी निरीक्षक पदाधिकारी वर्ग उत्तरदायी है ।

(ख) कृषि उत्पादन (श्रेणी निरुपण और चिन्हांकन) अधिनियम १९३७ के कुछ उपबन्धों को नियोगीय बनाने तथा नियमों की अवज्ञा के लिए अधिक कठोर दंडों का उपबन्ध करने के लिये कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । एगमार्क के अनुसार श्रेणी-निरूपित होने वाले सभी घी के लिए फिलोस्टरोल एसीटेट (पी० ए०) टैस्ट भी अनिवार्य रूप से आरम्भ करने का विचार है ।

प्रो० अग्रवाल: क्या मैं जान सकता हूं कि इन फैक्टरियों में रखे जाने वाले रसायनज्ञों का वेतन सरकार देती है या वे मालिक ?

डा० पी० एस० देशमुख: जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया वे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं । उनमें से कुछ निजी मालिकों की प्रयोगशालाओं के कर्मचारी हैं और कुछ सरकारी कर्मचारी । पर प्रत्येक दशा में उनकी नियुक्ति और पदच्युति हमारे नियंत्रण में है ।

प्रो० अग्रवाल: क्या में जान सकता हूं कि इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये

विश्लेषण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाने की कोई योजना सरकार के पास है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो नहीं।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन कैमिस्ट (रसायनज्ञ) लोगों की योग्यताएं कौन तय करता है, सरकार या जो नौकरी देने वाले हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, जब तक सरकार इसे सुपरवाइज़ (अधीक्षित) करती है और नियुक्ति में दख़ल देती है, तब तक सरकार ही यह तय कर सकती है कि क्या क्वालीफ़िकेशन्स (योग्यताएं) होनी चाहिएं।

श्री वेलायुधन : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास इस विशिष्ट एग-मार्क घी में मिलावट के बारे में कोई शिकायतें आई हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां, मुझे यह कहते हुए खेद है कि बहुत सी शिकायतें आई हैं।

श्री दाभी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि देश में घी में वनस्पति की मिलावट भारी पैमाने पर चल रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां श्रीमान्, यह सच है।

श्री दाभी : सरकार इसे समाप्त करने के लिए क्या करना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सरकार अनेकों उपाय कर रही है। मेरे पास जानकारी है, पर पूर्ण उत्तर देने में बहुत समय लग जाएगा।

श्री वेलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विशिष्ट कम्पनी को सरकार से सहायता मिल रही है ?

कुछ माननीय सदस्य : एगमार्क कोई कम्पनी नहीं हैं।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उस समूचे स्कंध को नष्ट कर देने का कोई उपबन्ध है, जिसमें यों ही चुन कर विश्लेषण करते समय मिलावट पाई गई हो ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक ऐसे उपबन्ध का अनुध्यान किया जा रहा है।

कोलार सोना खानों में चट्टान फटना

७५. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : (क) क्या **श्रम** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोलार की सोना खानों में हाल में चट्टान फटने की जांच करने के लिए बैठाई गई समिति ने क्या अपनी रिपोर्ट भेज दी है ?

(ख) यदि भेज दी है, तो इसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां।

(ख) पहली दो दुर्घटनाओं के विषय में, जांच-न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि उसके लिए प्रबंधकों या किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि अपनाए गए खनन-उपाय माने गए सिद्धान्तों के अनुकूल ही हैं। तीसरी दुर्घटना के बारे में न्यायालय का मत है कि यह अकस्मात् हुई घटना है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्त्तव्य निर्वाह में असावधान न था।

साथ ही मैं यह भी बता दूं कि मन्त्रालय द्वारा देखे जाने के बाद तुरन्त ही सरकार उस रिपोर्ट को सदन-पटल पर रख देना चाहती है, जिससे माननीय सदस्य यदि उचित समझें तो और प्रश्न रख सकें।

श्री नम्बियार : पर श्रीमान् इस बीच मैं यह जान सकता हूं कि सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

सामाजिक आर्थिक परिमाप

*७६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के खेतिहर मज़दूरों की दशा का विवेचन करने वाला सामाजिक आर्थिक परिमाप पूरा हो चुका है ?

(ख) यदि हो चुका है, तो मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ?

(ग) किस राज्य म और कितने खेतिहर परिवारों में परिमाप किया गया था ?

(घ) खेतिहर तथा अखेतिहर परिवारों का प्रतिशतक क्या है ?

(ङ) सरकार उपपत्तियों को किस प्रकार निपटाने जा रही है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) खेतिहर श्रम-जांच से सम्बद्ध मौके की पड़ताल पहले ही पूरी हो चुकी है। पहली और दूसरी अवस्था में एकत्र किये गये तथ्यों का आंकड़ों के रूप में विश्लेषण किया जा चुका है और शीघ्र प्रकाशित किये जायेंगे। तीसरी और अन्तिम अवस्था से संबद्ध तथ्यों का अब विश्लेषण किया जा रहा है।

(ख) पहली दो अवस्थाओं की मुख्य उपपत्तियों को शीघ्र ही दो शीर्षकों 'भारत में कृषि सम्बन्धी मजूरियां' और 'भारत में देहाती जनशक्ति' नाम से शीघ्र प्रकाशित किया जायेगा। मुख्य उपपत्तियों का सारांश देने वाली एक संक्षिप्त टिप्पणी सदन-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**]

(ग) सब मिलाकर नमूने के लिये चने गये गांवों में रहने वाले १,०४,००० परिवारों का परिमाप किया गया था। इन में से ८१,००० खेतिहर परिवार थे। विभिन्न राज्यों के सामान्य-परिवार परिमाप मे लिये गये परिवारों की संख्या बताने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३**]

(घ) नमूने के लिये चुने गये गांवों में खेतिहर और अ-खेतिहर परिवारों के प्रतिशतक क्रमश: ७८ और २२ थे।

(ङ) उपपत्तियों का राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए परीक्षण किया जायेगा, और उचित समय में उन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि खेतिहर परिवार की वह क्या परिभाषा की गई है, जिस पर यह रिपोर्ट आधारित है।

श्री वी० वी० गिरि : मैं माननीय सदस्य को अभी सदन पटल पर रखे गये पत्रों का निर्देश करूंगा। मुझे पूरा यकीन नहीं कि रिपोर्ट में कहीं पर परिवार की परिभाषा की गई है। मैं विषय की जांच करके ठीक से बता सकूंगा। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य कोई प्रश्न रखें, मैं सूचना दे दूंगा।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से पता चलता है कि उड़ीसा में कृषि सम्बन्धी दैनिक मजूरी दर रु० ०-१२-३ है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने न्यूनतम मजूरी अधिनियम वहां पर लागू किया है ?

श्री वी० वी० गिरि : वह अधिनियम उपबन्धों के अनुसार उड़ीसा सरकार को करना है। मुझे आशा है कि सरकार इस बात पर ध्यान देगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार द्वारा इस रिपोर्ट के ऊपर कोई अंतिरिमकालीन पग उठाए जायेंगे ?

श्री वी० वी० गिरि : हम यह करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मोहिउद्दीन : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेतिहर-श्रम के मजदूर-संघों के बनने को प्रोत्साहित करना चाहती है, जिससे उनकी मजूरी ठीक बनी रहे ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं इसे बहुत पसन्द करूंगा ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (आई० एन० टी० यू० सी०) के अधीन खेतिहर मजदूर-संघ सरकार द्वारा पहले ही से मान्यता प्राप्त कर चुके हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे पता नहीं कि सरकार द्वारा मान्यता दी गई है । बहुत संभव है कि उस प्रकार के मजदूर संघ विद्यमान हों ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सच है स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में खेतिहर मजदूरों ने संघ बना लिये हैं इसका कारण क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि : इस बारे में मुझे पूरा यकीन नहीं ।

श्री वी० ऐस० मूर्ति : क्या सरकार का विचार इसलिये विधान बनाने का है, जिससे उपपत्तियों द्वारा खेतिहर मजदूरों को लाभ हो सके ?

श्री वी० वी० गिरि : सचमच ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस परिमाप में सरकार ने अ० भा० किसान सभा या खेतिहर मजदूरों के ऐसे ही दूसरे संघों से परामर्श किया था, जो खेतिहर लोगों में जनप्रिय रूप में काम कर रहे हैं ।

श्री वी० वी० गिरि: वास्तव में सभी के साथ परामर्श किया जाता है ।

कोका-कोला

*७७. **श्री दाभी** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोका-कोला का निर्माण करने के लिये हाल में कई कारखाने खुले हैं ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो. तो उन स्थानों के नाम जहां ये कारखाने खले ह और उन म से प्रत्येक में बनने वाले कोका-कोला की मात्रा;

(ग) क्या यह सच है कि कोका-कोला म्लेच्छी (कैफीन) होती है; तथा

(घ) क्या यह सच है कि कोका-कोला पेय देह के कैलशियम-भंडार और खून में विद्यमान चीनी के अंश को कम कर देता है और इस प्रकार 'पोलियो' होन में सहायता देता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) तथा (ख) भारत में आजकल कोका-कोला को बोतलें भरने वाली दो फैक्टरियां हैं एक बम्बई में और दूसरी दिल्ली में । बनने वाले कोका-कोला की मात्रा के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) हां, मुझे पता चला है कि कोका-कोला की एक बोतल में उतनी ही कैफ़ीन होती है, जितनी चाय के एक प्याले में ।

(घ) इस आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है ।

श्री दाभी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि एक निर्माता रसायनज्ञ और अमरीका की व्यवहारिक पोषण तत्व अकाडमी के एक सदस्य श्री डुओन एच० मिलर द्वारा निकाले गये एक पैम्फलैट में बताया गया है कि कोका-कोला पेय शरीर के कैलशियम भंडार और खून में विद्यमान चीनी के अंश

को कम कर देता है और इस प्रकार पोलियो हो जाने में मदद करता है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। मैं ने अमरीका से भी पता लगाया है। लाखों लोग कोका-कोला पीते हैं। कोई हानिप्रद प्रभाव सुनने में नहीं आया।

श्री दाभी : क्या सरकार को यह विदित कि फ़्रांस में १९५० में बैठाई गई एक जांच-समिति की एक मत सिफ़ारिश पर वहां कोका-कोला-पान को विधि द्वारा निषिद्ध कर दिया गया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह जानकारी गलत है। फ़्रांस में कोका-कोला पर कोई रोक नहीं लगाई गई। सं० रा० अमरीका से इसके यथेष्ठ मात्रा में आयात की अनुमति है। फ़्रांस के मदिरा-उत्पादकों द्वारा अवश्य आंदोलन किया गया था कि यदि कोका-कोला का बहुत आयात होने दिया गया, तो उनके व्यापार पर प्र भाव पड़ेगा।

कई माननीय सदस्य उठे --

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस से कोई परिणाम न होगा।

श्री एम० ए० आयंगर : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि बनने वाले कोका-कोला की मात्रा के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। भारत में कोका-कोला बनाने वाली दो ही फैक्टरियां हैं। क्या इस का अर्थ यह है कि माननीय मंत्री ने उनसे मात्रा की बात पूछी थी, या उनसे बिना पूछे ही यहां मन्त्रालय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। माननीय मंत्री की यह बात कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, हम समझ नहीं पाये।

राजकुमारी अमृत कौर : फर्म द्वारा दी गई सूचना गोपनीय रखने के लिये निवेदन किया गया है। इस कारण मैं इसे बता सकने में समर्थ नहीं हूं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : कोका-कोला के निर्माण और उत्पादित मात्रा के सम्बन्ध में प्रकट हुई कुछ संदिग्ध बातों की दृष्टि में क्या सरकार इस विदेशी पेय पर रोक लगाने का विचार कर रही है, जो इस देश में विशेष लोकप्रिय नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह निश्चय ही क्रिया के लिये सुझाव है। समय कम है। हमें यथासंभव अधिक प्रश्न समाप्त कर देने चाहियें। अगला प्रश्न।

बम्बई में नल कूपों का खोदा जाना

*७८. **श्री दाभी** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई सरकार ने नल-कूप खुदवाने का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने बम्बई सरकार को ऋण या अनुदान के रूप में कोई राशि दी है, और यदि दी है तो कितनी ?

(ग) नलकूप खोदने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हां।

(ख) ४०० नलकूपों की कुल योजना के अर्थ सहमत हुए २१० रुपये के कुल ऋण में से अब तक ४० लाख रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

(ग) पूरे क्षेत्र का परिमाप पूर्ण हो चुका है, १५ अक्टूबर, १९५२ तक १५ नल-कूप खोदे जा चुके हैं, और दो खोदे जा रहे हैं।

श्री दाभी : कितने नल-कूप खोदे जा रहे हैं, और राज्य के किस भाग में तथा कितनी लागत पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : बम्बई सरकार द्वारा उत्तर गुजरात में ४०० नल-कूपों के निर्माण की एक योजना भारत सरकार के पास ऋण के लिये निवेदन करते हुए भेजी गई थी। उन में अधिकांश गुजरात में स्थित हैं। एक कम्पनी को ठेका दिया गया है और वह काम कर रही है। बम्बई सरकार समय न बढ़ाये तो इन नल-कूपों के ३१ मार्च, १९५३ तक पूरे हो जाने की आशा है। काम आगे बढ़ रहा है।

श्री दाभी : पूरे हो जाने पर प्रत्येक नल-कूप द्वारा कितने एकड़ भूमि सिंचने की संभावना है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रत्येक नल-कूप द्वारा २०० एकड़ भूमि की सिंचाई की आशा है। सभी नल-कूप कुल ८०,००० एकड़ भूमि सींचेंगे।

श्री गाडगिल : मैं जान सकता हूं कि क्या गुजरात में नलकूपों का कार्यक्रम स्थानीय भूतत्वीय परिमाप करने के बाद ही हाथ में लिया गया था और क्या दक्षिण की टुकड़ी में यह परिमाप किया गया है, जहां सामान्यतः अकाल रहता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रश्न की पूर्वसूचना चाहूंगा।

कर्नल जैदी : माननीय मंत्री ने बताया कि ठेका एक कम्पनी को दिया गया था। क्या वह कंपनी नल-कूप खोद रही है, या उसने ठेका फिर किसी विदेशी कंपनी को उठा दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र द्वारा दी गई सूचना शायद सही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल पूरा हो गया।

कर्नल जैदी : मैं पूछना चाहता था कि क्या ठेकों को फिर उठाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री ने कह दिया कि फिर उठा दिया गया है।

डा० पी० एस० देशमुख : यह मेरी जानकारी है, पर इसे सुधारा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल पूरा हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार में चावल के मिल

*७१. **श्री झूलन सिन्हा :** (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान बिहार विधान-सभा द्वारा पिछले सत्र में पारित किये गये एक असरकारी संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है, जिस में राज्य से बिहार के चावल मिलों को बंद करने और केंद्रीय सरकार से भी वैसा करने की सिफारिश की गई थी ?

(ख) यदि किया गया है, तो जहां तक संकल्प का केंद्रीय सरकार से सम्बन्ध है, सरकार सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये यदि कुछ करना चाहती है, तो क्या करना चाहती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत सरकार सम्बन्धित संकल्प की एक प्रति देख चुकी है।

(ख) उसने उचित प्रतिबंध पहले ही लगा दिये हैं और चावल-मिल उद्योग के ऊपर और कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार नहीं है।

गन्ना (दाम)

*७२. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब गन्ने का न्यूनतम दाम केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है;

(ख) यदि सच है, तो क्या यह सभी राज्यों के लिये निश्चित किया जाता है, या भारत के थोड़े से ही राज्यों में ही ;

(ग) क्या यह सच है कि यह न्यूनतम दाम गन्ना पेरने की सम्बन्धित फसल से ठीक पहले निश्चित किया जाता है ?

(घ) क्या यह भी सच है कि गन्ने की उत्पादन लागत विभिन्न राज्यों में अलग अलग है, पर चीनी का नियंत्रित दाम पूरे देश में एक ही है ; तथा

(ङ) यदि सच है, तो गन्ने की खेती को दृढ़ आधार पर स्थित करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कुछ उठाये गये हों, तो क्या पग उठाये गये हैं या उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) हां, पर वैकुअम पैन वाले चीनी कारखानों को भेजे जाने वाले गन्नों के ही लिए ।

(ख) भारत के गन्ना उत्पन्न करने वाले सभी राज्यों के लिये ।

(ग) हां, चूंकि गन्ने के दाम सम्बन्धित गन्ने की फ़सल और गुड़ के दाम तथा अन्य वैकल्पिक फ़सलों की दशाओं और विस्तार को ध्यान में रख कर निश्चित किये जाते हैं, गन्ने के दाम कटाई के समय से पहले निश्चित करना संभव नहीं पाया गया । इस वर्ष भी गन्ने के दाम उसी समय निश्चित किये गये हैं, यद्यपि पहले एक संकेत किया गया था कि कमी की जाएगी ।

(घ) विभिन्न राज्यों में गन्ने के उत्पादन की लागत के विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, पर यह राज्य-राज्य में भिन्न रहता है। १९४९-५० तक पूरे भारत में चीनी का दाम एक ही रहता था । पर १९५०-५१ और १९५१-५२ की फसलों में चीनी के उत्पादन की लागतों के स्थानीय अंतरों को ध्यान में रख कर चीनी के दाम प्रादेशिक आधार पर निश्चित किया गया था ।

(ङ) यह ठीक ठीक योजना बनाना संभव नहीं किसी विशेष वर्ष की उपज उस वर्ष की आवश्यकता से अधिक न होने पाये, क्योंकि यद्यपि गन्ने की फसल की जमीन को तो नियमित किया जा सकता है, पर फसल तो ऋतु पर निर्भर रहती है और एक वर्ष पूर्व उस की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

फिर सब मिला कर गन्ने की खेती सुसंगठित होती जा रही है और केन्द्रीय सरकार सतत वही उद्योग कर रही है, जिससे कम से कम जगह में जरूरी गन्ने की उपज होती रहे ।

श्रम के लिए केंद्रीय परामर्शदात्री समिति

*७९. **श्री एम० पी० सिन्हा :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९५१ से श्रम के लिये केंद्रीय परामर्शदात्री समिति की कितनी बैठकें संपन्न हुई हैं और किन किन स्थानों पर ?

(ख) 'उचित मजूरी' के विषय में क्या निर्णय किये गये ?

(ग) समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) (क) माननीय सदस्य अनुमानतः सितंबर १९४८ में बनी केंद्रीय श्रम परामर्शदात्री परिषद् का उल्लेख कर रहे हैं । यदि कर रहे हैं, तो इस परिषद् का जुलाई १९४९ के बाद कोई सत्र नहीं हुआ ।

(ख) केंद्रीय परामर्शदात्री परिषद् को उसके उचित-मजूरी विषय के अध्ययन में एक त्रि-दली समिति द्वारा सहायता दी गई थी, जिसने व्यवहारतः एकमत रिपोर्ट भेजी। समिति की परिषद् द्वारा मानी गई सिफारिशों को बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखियें परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ग) जुलाई, १९४९ सम्बन्धी एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखियें परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]**

रेलवे टाइम टेबिल

*८०. **श्री कृष्णचन्द्र**: (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि पहले रेलवे द्वारा दो टाइम टेबिल प्रकाशित किये जाते थे, जिनमें एक सस्ता और संक्षिप्त होता था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस सस्ते संस्करण का प्रकाशन अब बंद कर दिया गया है ?

(ग) क्या इस सस्ते संस्करण को फिर से निकालने का विचार है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभासचिव (श्री शाह नवाजखां): (क) हां, जहां तक अंग्रेज़ी टाइम टेबिल का सम्बन्ध है।

(ख) तथा (ग)। छ रेलवे-प्रशासनों में से चार, नामतः मध्य, उत्तर, उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण रेलवे, अंग्रेजी टाइम टेबिल के दो संस्करण निकाल रहे हैं। शेष दो रेलवे में पश्चिम रेलवे का एक ही अंग्रेजी टाइम टेबिल चार आने का है और पूर्व रेलवे का भी एक ही संस्करण छः आने का है। पूर्व रेलवे १ अप्रैल, १९५३ से एक सस्ता संस्करण भी छापने का विचार कर रही है।

किढीडपुर और इंदारा स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटनाएँ

*८१. **श्री रघुवीर सहाय**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर पूर्व रेलवे के किढीडपुर और इंदारा स्टेशनों के में बीच २८ सितंबर, १९५२ के आस पास संपन्न हुई रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे ?

(ख) दुर्घटना के कितने घंटे बाद दुर्घटनास्थल पर चिकित्सा-सहायता पहुंची ?

(ग) दुर्घटना के कारण क्या थे ?

(घ) क्या निरीक्षक, रेलवे की जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है और क्या उसकी एक प्रति सदन पटल पर रखी जायेगी ?

(ड़) भारतीय रेलवे में अंतर्ध्वंस के मामलों को रोकने के लिये सरकार और क्या पग उठाना चाहती है ?

(च) इस दुर्घटना द्वारा रेलवे को कितनी क्षति हुई ?

रेल तथा यातायात उप-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) २८ सितम्बर, १९५२ को किढीडपुर और इंदारा जंकशन स्टेशनों के बीच संपन्न हुई दुर्घटना में तीन व्यक्ति मारे गये।

(ख) दुर्घटना के पश्चात् तुरंत ही गाड़ी के गार्ड द्वारा अन्य यात्रियों की सहायता से आहतों का प्राथमिक उपचार किया गया। रेलगाड़ी में प्राथमिक उपचार का बक्स था। चिकित्सा सहायता-गाड़ी मऊ जंकशन स्टेशन से दुर्घटना के पौने तीन घंटे बाद पहुंची।

(ग) तथा (घ)। सरकारी निरीक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। उसकी अस्थायी उपपत्ति यह है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लाइन उखाड़े

जाने के कारण दुर्घटना संपन्न हुई। संचरण मंत्रालय से, जो दुर्घटनाओं पर सरकारी निरीक्षक की रिपोर्टों को प्रकाशित करता है, रिपोर्ट के अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद उसे सदन पटल पर रखने के लिये कहा जाएगा।

(ड़) रेलवे सदा सतर्क रहती है, और सभी संभव सावधानियां काम में लाती है। इन अंतर्ध्वंसकारियों को तो पुलिस द्वारा ही निपटाया जायेगा, क्योंकि यह मूलत: विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है। इस विशिष्ट मामले की जांच के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया जा रहा है।

(च) इंजिन, डब्बों और लाइन की कुल अनुमानित हानि रु. ८४,१०० है।

सीतामढ़ी के लिए टेलीफोन विनिमय-केन्द्र

*८२. **श्री डी० एन० सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार को सीतामढ़ी (बिहार) के लोगों से वहां एक टेलीफ़ोन विनिमय-केंद्र खोलने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां।

(ख) पहले तो मार्च, १९५३ से पहले-पहले एक सार्वजनिक टेलीफ़ोन कार्यालय खोला जायेगा और अगले वर्ष धन और सामग्री उपलब्ध हुई तो एक नियमित टैलीफ़ोन-विनिमय केंद्र खोल दिया जायगा।

मछली मारने में प्रशिक्षण

*८३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय मछुओं को वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिये कोई पग उठाया गया है ?

(ख) ये लोग कहां प्रशिक्षित किये जाते हैं और कितने केन्द्र स्थापित किये गये हैं ?

(ग) क्या मछली मारने के आधुनिक वैज्ञानिक ढंग में लोगों को प्रशिक्षित बनाने के लिये भारत से बाहर भेजा जाता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां।

(ख) बम्बई के गहरे समुद्र के मछली मारने के केन्द्र में जहाजों पर, और केवल एक केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) हां। १९४७ में सात व्यक्ति मछली मारने के ढंग में प्रशिक्षण के लिये इंगलैंड के नौटिकल (समुद्र सम्बन्धी) स्कूल ग्रिम्सबी में भेजे गये थे।

मुद्रणालय

*८५. **श्री विट्टल राव** : क्या **रेल** मंत्री रेलवे मुद्रणालयों के विषय में ९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५८८ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जे० डब्ल्यू० एच० एलकिन द्वारा होने वाली जांच हाथ में ली गई है ;

(ख) यदि ली गई है, तो रिपोर्ट के कब प्राप्त होने की संभावना है ?

(ग) रेलवे मुद्रणालयों को छोड़ अन्य मुद्रणालयों को छपाई का कुछ काम देने के कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) केंद्रीय रेलवे मुद्रणालय, बम्बई सम्बन्धी एक प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है।

(ग) सम्बन्धित रेलवे मुद्रणालयों में पर्याप्त सुविधायें या सामर्थ्य का अभाव।

भूतपूर्व निजाम राज्य रेलवे के कर्मचारी

*८६. **श्री विट्टल राव** : क्या रेल मंत्री १३ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८४३ के उत्तर का निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व एन० एस० रेलवे में न्यायनिर्णायक के निर्णय को अब कार्यान्वित कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि नहीं, तो कब तक उसके कार्यान्वित होने की संभावना है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं। मध्य रेलवे के भूतपूर्व एन० एस० रेलवे उपविभाग में न्यायनिर्णायक का निर्णय अभी कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है।

(ख) काम के घंटों और सामयिक विश्राम के विषय में यह पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे-प्रशासन ३१-३-१९५३ तक निर्णय के पूर्णतः कार्यान्वित करने में समर्थ हो जायेगा। अवकाश-संरक्षणों के विषय में अभी निश्चित लक्ष्यबिंदु निश्चित नहीं किया जा सकता।

चीन से चावल का आयात

*८८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत को अपेक्षतया अधिक चावल की रसद के संभरण के विषय में सरकार ने चीन-सरकार से एक करार किया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस समझौते के पद क्या हैं, और भारत में कितने टन चीनी चावल आने की आशा है और कब ?

(ग) यदि यह पदार्थ-विनिमय का करार है, तो भारत द्वारा कौन कौन पदार्थ चीन को दिये जाते हैं और किन दरों पर ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) नवम्बर–दिसम्बर, १९५२ के महीनों में नगद भुगतान के रूप में ५०,००० टन की मात्रा।

(ग) जैसा पहले बताया गया, भुगतान नगद होगा।

सेवायोजनालय (कृत)

८. **सरदार हुक्मसिंह** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा अन्य नौकरियों में भरती करने में सेवायोजनालयों को क्या काम करना पड़ता है ?

(ख) क्या भारती अफसरों को कोई निदेश हैं कि अभ्यर्थियों से भेंट करने से पहले वे सेवायोजनालयों के परिचय पत्रों पर विशेष आग्रह करें ?

(ग) क्या किसी विशिष्ट पद के लिये आवश्यक योग्यताओं वाले किसी पंजीबद्ध अभ्यर्थी को भेजने या रोकने का कोई स्वविवेकानुसार अधिकार सेवायोजनालयों को प्राप्त है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : निर्दिष्ट रिक्तस्थानों की पूर्ति के लिये नौकर रखने वाले अधिकारियों का आवेदन प्राप्त होने पर सेवायोजनालय अपने यहां पंजीबद्ध लोगों में से सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थियों को सेवायोजनालय के पास भेज देते हैं। अंतिम चुनाव नियोजक विभागों या कार्यालयों के ऊपर निर्भर रहता है।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के रिक्त-स्थानों में भरती का प्रश्न है, सरकार ने नियोजक अधिकारियों को निदेश दे दिया है कि जब तक सम्बन्धित सेवायोजनालय यह न कह दे कि वह उपयुक्त अभ्यर्थी भेजने में असमर्थ है, तब तक (संघीय लोक सेवा योजना या खुली स्पर्द्धा-परीक्षाओं द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को छोड़) किसी भी रिक्त स्थान की पूर्ति सीधी भरती द्वारा न की जाय। फिर भी रेलवे तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय इस नियम के अपवाद हैं।

(ग) हां। सेवायोजनालयों द्वारा एक सीमित स्वविवेक निर्णय काम में लाया जाता है। आवेदकों के चुनाव के बारे में उन के पास स्पष्ट निदेश होते हैं। सेवा-नियोजक की आवश्यकता के अनुसार सर्व-श्रेष्ठ योग्यता वाले आवेदक चुने जाते हैं और समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों में चालू पंजिका में सर्वाधिक पुराने लोगों पर पहले विचार किया जाता है। जब तक मालिक भेजने के लिये ठीक संख्या न बताए, सेवायोजनालय साधारणतः ३-४ अभ्यर्थी प्रत्येक रिक्त स्थान के लिये भेजते हैं। चुनाव अभ्यर्थियों की तुलनात्मक उपयुक्तता पर आधारित है।

नई रेलगाड़ियों का शुरू होना

९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १ अप्रैल, १९५२ से अब तक विभिन्न खंडों (जोनों) में चलाई गई नई रेलगाड़ियों की संख्या; तथा

(ख) इन नई रेलगाड़ियों के चलाने में अंतर्ग्रस्त लागत ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १ अप्रैल से १ अक्टूबर १९५२ के समय में १०९ नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं और १०८ रेलगाड़ियों की यात्रा बढ़ा दी गई है। इससे प्रति दिन ९९१५ रेल मीलों की वृद्धि हुई, पर ३०६५ रेल मीलों वाली ६५ रेलगाड़ियां बंद कर दी गई हैं, अतः शुद्ध वृद्धि ६८५० दैनिक रेल-मीलों की हुई है।

(ख) बड़ी लाइन और छोटी लाइन पर एक मील सवारी-गाड़ी चलाने की अखिल भारतीय लागत के आधार पर १९५०-५१ (उपलब्ध ताजे से ताजे आंकड़े) में भाग (क) में निर्दिष्ट रेल मीलों की दैनिक वृद्धि की लागत लगभग ६८,७४४ रुपये आएगी।

वायुयान चालक तथा भूमि इंजीनियर

१०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : (क) क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक भारत में प्रशिक्षित वायुयान-चालकों और भूमि-इंजीनियरों की संख्या क्या है ?

(ख) कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

(ग) वायुयान-चालकों और भूमि इंजीनियरों के प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा अलग अलग प्रति वर्ष क्या राशि व्यय की जाती है ?

(घ) उड्डयन क्लबों का संगठन कैसा है और वे सरकार से किस तरह संबद्ध हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १९२८ से २३२२ वायुयान चालक और ४८५ भूमि-इंजीनियर।

(ख) १९८ वायुयान-चालक तथा ३९४ भूमि-इंजीनियर।

(ग) वायुयान-चालकों और भूमि इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने वाले उड्डयन-क्लबों को अर्थ सहायता देने में तथा वायुयान-चालकों और भूमि-इंजीनियरों के साथ ही संचरण तथा वायु-यातायात

नियंत्रण के व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने वाले नागरिक-उड्डयन-प्रशिक्षण-केंद्र, इलाहाबाद के संचालन में सरकार द्वारा १९५१-५२ में कुल रु० १९,६५,१६९ (आवर्ती) तथा रु० १,६४,५६३ (पूंजी) व्यय किया गया था।

(घ) उड्डयन क्लब समवाय-अधिनियम के अधीन बनने वाले सीमित दायित्व वाले समवाय हैं। उनके साथ होने वाले एक करार के पदों के अनुसार उनको भारत-सरकार द्वारा अर्थ-सहायता दी जाती है। इस करार के आदर्श प्रपत्र की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [प्रति पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या पी-६७/५२] करार में अन्य बातों के साथ साथ नागरिक उड्डयन के महा-संचालक द्वारा प्रत्येक उड्डयन-क्लब की प्रबंध समिति में दो व्यक्तियों के नाम-निर्देशन और क्लब के कार्यों पर महा संचालक के ऊपरी अधीक्षण का भी उपबन्ध है।

विकास परियोजनाएं

११. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोर्ड प्रतिष्ठान तथा भारत सरकार के बीच हुए करार के अधीन बने प्रशिक्षण तथा विकास केंद्रों में प्रशिक्षण के लिये विविध राज्य सरकारों ने अपने प्रशिक्षणार्थी चुन लिये हैं,

(ख) यदि चुन लिये हैं, तो प्रत्येक राज्य द्वारा चुनी गई संख्या, और वे किन केंद्रों में प्रशिक्षणार्थ भेजे गये हैं; तथा

(ग) ऐसे कितने प्रशिक्षण तथा विकास केंद्र खोले गये हैं और वे कहां स्थित हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां।

(ख) वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) पांच :—

१. बख्शी का तलाव, लखनऊ, यू० पी०
२. सिदेवाही (मध्य प्रदेश)
३. कृषि संस्था आनंद, बम्बई
४. बर्दवान फार्म, बर्दवान (पश्चिमी-बंगाल)
५. विश्वेश्वरैया नहर फार्म, मंडया (मैसूर)

विवरण

केंद्र का नाम	राज्य जहां स्थित है	प्रारंभ होने की तिथि	राज्यों के नाम तथा उनके द्वारा भेजे गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		छोड़ देने वालों और निकाल दिए जाने वालों की संख्या	प्रशिक्षण पा चुकने और पाने वालों की संख्या
१	२	३	४		५	६
बख्शी का तलाब, लखनऊ	यू० पी०	३-५-५२	यू०पी०	४०	१	३९
			दिल्ली	३	—	३
			राजस्थान	५	१	४
			हिमाचल-प्रदेश	५	—	५
			बिहार	४	—	४
			पंजाब	५	—	५
			योग	६२	२	*६०

*पहले उत्तीर्ण हो चुके हैं।

१	२	३	४	५	६
सिंदेवाही	मध्य प्रदेश	१६-६-५२	मध्य प्रदेश	२०	२	१८
			भूपाल	८	१	७
			बंबई	५	–	५
			विंध्य प्रदेश	४	–	४
			मध्य भारत	३	–	३
			योग	४०	३	३६
कृषि-संस्था, आनंद	बंबई	१५-६-५२	बंबई	१५	–	१५
			सौराष्ट्र	१	–	१
			कच्छ	१	–	१
			योग	१७	–	१७
बर्दवान फ़ार्म, बर्दवान	पश्चिमी बंगाल	१-६-५२	पश्चिमी बंगाल	३६	१	३५
			मनीपुर	२	–	२
			त्रिपुरा	१	–	१
			उड़ीसा	२	१	१
			योग	४१	२	३९
विश्वेश्वरैया, नहर फ़ार्म	मैसूर	१५-५-५२	मैसूर	१९	–	*१९
				२०	–	२०
			योग	३९	–	३९

* पहले उत्तीर्ण हो चुके हैं।

खाद्य तथा जल के अभाव की दशा

१२. श्री एस० एन० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० मई, १९५२ को दिये गये मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ३२ का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर में निर्दिष्ट क्षेत्रों में विद्यमान खाय तथा जल के अभाव की दशाओं में कहां तक सुधार हुआ है;

(ख) क्या प्राकृतिक आपत्तियों के कारण उत्पन्न हुई अभाव दशाओं का वृत्तांत किसी राज्य ने भेजा है और यदि भेजा है तो किस किस ने;

(ग) यदि ऐसा कोई वृत्तांत मिला है, तो वे कौन कौन से क्षेत्र हैं और विद्यमान उपप्लव के निवारण के लिये क्या पग उठाये गये या उठाये जा रहे हैं; तथा

(घ) विभिन्न राज्यों में खड़ी अनाज की फ़सलों से सब मिला कर कैसी आशा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) सौराष्ट्र और कच्छ में अब कोई अभाव नहीं है। पंजाब में अभाव सम्बन्धी

कार्यवाहियां अगस्त, १९५२ में बंद कर दी गईं थीं। पर वर्षाभाव के कारण सिरसा डिवीजन और हिसार जिले की फतहाबाद तहसील में हालत फिर खराब हो गई।

यू० पी०, बम्बई, राजस्थान और मध्य भारत राज्यों में दशा सब मिलाकर अब सुधर गई है, यद्यपि इन क्षेत्रों के कुछ भागों में और मद्रास तथा मैसूर में अब भी परेशानी है।

(ख) पश्चिमी बंगाल, बिहार, मैसूर, पटियाला संघ और विंध्य प्रदेश ने अपने कुछ क्षेत्रों में अभाव-दशा का समाचार भेजा है।

(ग) पटियाला-संघ और विंध्य प्रदेश में अब अभाव नहीं है। अन्य राज्यों के अभाव ग्रस्त क्षेत्र निम्न हैं :

पश्चिमी बंगाल—जलपाई, गुडी, नदिया, कूच बिहार तथा २४ परगना जिलों के भाग।

मैसूर— कोलर तथा चीतलद्रुग जिले, और टंकर, बंगलौर, मैसूर, चिचमागलुर, हसन और शिमोगा ज़िलों के भाग।

बिहार— पटना, गया, शाहाबाद, सारन, चंपारन, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, सेंठल, पूर्निया, सहरसा, हजारीबाग, पालामऊ और रांची जिलों के भाग।

पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये राज्य सरकारे आवश्यक पग उठा रही हैं। साधारणतः निम्न प्रकार के उपाय अपनाये जा रहे हैं :

(१) सहायता कार्य।

(२) निःशुल्क सहायता।

(३) ऋण देना।

(४) वस्त्रों, औषधियों आदि का वितरण।

(५) बांधों की मरम्मत।

(६) रियायती दामों पर चारे का वितरण।

(७) लगान की माफ़ी।

(घ) १९५२ की खरीफ फसल की स्थिति सब मिला कर संतोषप्रद है। हैदराबाद मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन् और बम्बई के कुछ हिस्सों को छोड़ शेष सब जगह दक्षिण पश्चिमी मानसून सामान्य रहा। पर इन क्षेत्रों में सितंबर की समाप्ति के बाद सामान्य से अधिक वर्षा हो चुकी है, जिस के फलस्वरूप सूखती हुई फसलें फिर, कुछ हरी हो गई हैं। इस बचत की सीमा का मूल्य निर्धारण अभी करना है।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

१३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा प्राविधिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना के अधीन कितने प्रशिक्षण केंद्र शुरू किये गये हैं ?

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये केंद्र खोले गये हैं ?

(ग) अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षित बनाये गये हैं ?

(घ) उनमें से कितने फैक्टरियों में नियुक्त हो गये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ६२।

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थिति समेत उन की एक सूची सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ग) ४१,६१२।

(घ) कारखानों में कितने प्रशिक्षाणार्थी लग गये हैं, यह सूचना तो उपलब्ध नहीं

है, क्योंकि प्रत्येक भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थी के जीवन क्रम का पता रखने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है ।

तेलीचेरी रेलवे-स्टेशन

१४. **श्री एन० पी० दामोदरन** :(क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दक्षिण रेलवे की तेलीचेरी स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिये क्या राशि स्वीकृत की गई है?

(ख) स्वीकृत राशि में से अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ग) आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

(घ) क्या योजना में एक ऊपरी पुल का निर्माण भी सम्मिलित है ?

(ङ) काम की वर्तमान अवस्था क्या है ?

(च) क्या स्टेशन का आधुनिकीकरण कार्य अभी निलंबित किया गया था और यदि किया गया था, तो क्यों ?

(छ) यदि यह अभी निलंबित किया गया था, तो क्या काम का पुनरारंभ हो चुका है और इस के कब पूरे होने की आशा है ?

(ज) क्या यह सच है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में स्टेशन की इमारत का एक भाग जमीन में कुछ इंच घुस गया ?

(झ) यदि यह सच है तो दोषों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथोचित समय में सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

चीनी उद्योग (संरक्षण)

१५. **श्री झूलन सिनहा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी उद्योग को संरक्षण कब से दिया जा रहा है, और इस काल में संरक्षणात्मक (आयात) शुल्क की दर क्या रही है ?

(ख) इन वर्षों में उद्योग द्वारा क्या प्रगति की गई है और भारत का चीनी का वर्तमान दाम अन्य चीनी पैदा करने वाले देशों की तुलना में कैसा है ?

(ग) वर्तमान संरक्षण कब तक चलाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) चीनी उद्योग को अप्रैल, १९३२ से मार्च, १९५० तक १८ वर्ष से संरक्षण मिलता रहा जो मार्च, १९५० में उठा लिया गया । कुल संरक्षण-शुल्क की दर उक्त काल में प्रति हंड्रेडवेट रू० ९-१-० से रू० १२–९–७ तक रही, जैसा कि सदन-पटल पर रखे जाने वाले विवरण में बताया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७**] ।

(ख) संरक्षण के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन १९२९-३१ के १·२ लाख टनों के मध्य मान से बढ़ कर १९५१-५२ में लगभग १५ लाख टन तक हो गया है । देश आत्मनिर्भर हो गया है और निर्यात के लिये कुछ अतिरेक भी बच जाता है। फिर भी भारतीय चीनी के दाम दुनियां के अन्य अतिरेक वाले देशों की अपेक्षा अधिक हैं ।

(ग) संरक्षण १९५० में उठा लिया गया था । अतः इसके आगे चलाने का प्रश्न नहीं उठता ।

कोयला उद्योग (डब्बे)

१६. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

कि १९५० तथा १९५१ वर्षों में भारत के विभिन्न भागों में कोयले को ले जाने के लिये तथा निर्यात के लिये कलकत्ते के बंदरगाह पर ले जाने के लिये (अलग-अलग) कोयला उद्योग की मालगाड़ी के डब्बों सम्बन्धी मांग क्या थी ?

(ख) कमी पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

(ग) १९५२ में भारत में कितने डब्बों के निर्मित होने की आशा है और उसी वर्ष में कितनों का निर्यात किया जायगा और किस स्थान से ?

(घ) इससे डब्बों की कमी का कितने प्रतिशत भाग पूरा हो जायगा ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) डब्बों की मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, कोयला उद्योग द्वारा नहीं ।

आंकड़े निम्नांकित हैं :

डब्बों की मांग	वर्ष १९५० (डब्बे)	वर्ष १९५० (डब्बे)
(१) संघ मे आवश्यक कोयले के लिये	१५,१७,५५६	१५,४६,५४५
(२) निर्यात (कलकत्ता बंदरगाह) के लिये	६१,०७४	८१,९४२
(३) पाकिस्तान के लिये	कुछ नहीं	६२,०८०

(ख) समूची मांगों पर उचित ध्यान देते हुए उपलब्ध डब्बों में से उनकी यथा-संभव अधिकतम संख्या समय समय पर कोयला लादने के लिये निकालते रहने के प्रयत्न निरंतर चल रहे हैं । उपाय तथा साधन की स्थिति के अनुकूल रहते हुए देश तथा विदेश में अनेकों नये डब्बों के लि आर्डर दिये गये थे । १९५१-५२ के कार्यक्रम से ले कर प्रति वर्ष ९५०० की मध्यमान दर पर बड़ी लाइन और छोटी लाइन दोनों ही के नये डब्बों के लिये आर्डर दिये जा रहे हैं । यदि निर्माता लोग प्राप्ति की तिथि का पालन करते रहें, तो प्रति वर्ष उपलब्ध डब्बों की संख्या ३००० और बढ़ सकती है, और साथ ही शेष डब्बे उन चारों डब्बों के स्थान पर काम आ सकते हैं, जिनका आगे काम में लाया जाना उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है ।

(ग) भारत में निर्मित सभी प्रकार के ४७३० डब्बे ३०-९-५२ तक उपलब्ध हुए थे और ३१-१२-१९५२ तक १७४८ डब्बों के और प्राप्त होने की आशा है । भारत में ३०-९-५२ तक आस्ट्रेलिया, बेलजियम, हालैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली से आयात किये गये ५७०७ डब्बे प्राप्त हुए थे और ३१-१२-१९५२ तक १७६४ के और आने की आशा है ।

(घ) डब्बों की उपलब्धता में वृद्धि को कोयला समेत सभी प्रकार के माल के यातायात में उचित रूप से बांट दिया जायेगा और बढ़ती हुई मांगों और समय-समय पर उनकी तुलनात्मक महत्ता और शीघ्रता का भी ध्यान रखा जायेगा ।

जूट उद्योग

१७. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जूट उद्योग में लगे हुए कामकरों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) ऐसे जूट कामकरों की संख्या क्या है, जिन को स्थायी कर्मचारी माना जाता है ?

(ग) ऐसे जूट-कामकरों की संख्या क्या है, जिनको अभी तक स्थापिता-संबंधी अधिकार नहीं मिला है ?

(ग) 'बदलीवालों' के रूप में पंजीबद्ध जूट-कामकरों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) १९५० में लगे हुए कामकरों की संख्या मध्य-मानतः प्रति दिन ३,०३,३६४ थी।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है, और उचित समय में सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

फोरवसगंज से बीरपुर तक टेलीग्राफ-लाइन

१८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सामने फोरवेस गंज से बीरपुर तक नरपतगंज और बालुआ बाजार होकर टेलीग्राफ लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि है तो इस समय उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां।

(ख) चूंकि वह क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त था, उस प्रस्ताव के परीक्षण में कुछ प्रगति करना संभव न हो सका। अब इस विषय को हाथ में ले लिया गया है, और आशा है कि इस योजना को अगले वर्ष के आयव्ययक में ले लिया जाएगा।

अवनियंत्रित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के दाम

१९. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत संघ के विभिन्न राज्यों के अवनियंत्रित क्षेत्रों में अगस्त, १९५२ के महीने में खाद्यान्नों के चालू दाम ;

(ख) उचित दाम वाली दूकानों पर तत्संबंधी दाम ; तथा

(ग) यदि कुछ वृद्धि हो, तो वृद्धि का प्रतिशतक ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**]

डाकघरों से राजस्व

२०. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचरण मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में, डाकघरों से – डाक के टिकटों की बिक्री, मनीआर्डरों, वी० पी० पारसलों, सेविंग्स बैंक तथा डाक-संगठन द्वारा की गई अन्य सार्वजनिक सेवाओं से या सरकार या राज्यों की तत्संवादी सेवाओं से पृथक्-पृथक्-अर्जित राजस्व ;

(ख) सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में तारों से–अंतर्देशीय तारों, समुद्रपार या विदेशी तारों और बेतार या रेडियो संचरण से पृथक्-पृथक्-अर्जित राजस्व ;

(ग) क्या अपनी डाक-तार-प्रणाली के लिए आवश्यक मशीनों, पुरजों और सामग्रियों के भारत में उत्पादन के लिए कोई प्रबंध किया गया है और यदि किया गया है तो क्या ; तथा

(घ) मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक में विदेशों से इन पदार्थों के आयात की लागत क्या थीं, और क्या इन पदार्थों और सामग्रियों का देश में उत्पादन करने के लिए कोई प्रबंध किया गया है, जिससे उसे निकट भविष्य में इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जा सके ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार द्वारा ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में डाक घरों से प्राप्त किया गया राजस्व नीचे दिया जाता है:

(लाख रुपयों में)

वर्ष	डाक के टिकट	मनी-आर्डर	अन्य आय	योग
१९४७-४८ (विभाजन के पश्चात्)	७,१८	१,१७	७८	९,१३
१९४८-४९	१३,३९	२,१७	१,१७	१६,७३
१९४९-५०	१५,४४	२,९२	१,७०	२०,०६
१९५०-५१	१६,७३	२,६५	१,८४	२१,२२
१९५१-५२	१७,४०	३,१०	२,४४	२२,९४

वी० पी० पार्सलों से प्राप्त राजस्व को अलग नहीं जोड़ा जाता, बल्कि 'डाक के टिकटों' में ही गिना जाता है।

डाक तथा तार विभाग सेविंग्स बैंक, नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स तथा अन्य तत्संबंधी सेवाओं का एजेंसी के आधार पर संचालन करता है। इन सेवाओं के लिए किया गया व्यय संबंधित विभागों से वसूल कर लिया जाता है। वसूली को कार्यवाहक व्ययों के सामने जमा किया जाता है। इन सेवाओं के लिए गत पांच वर्षों में वसूल की गई राशियां निम्नांकित हैं :-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	सेविंग्स बैंक	नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट	सीमा शुल्क	सैनिक भुगतान	अन्य	योग
१९४७-४८ (विभाजन के पश्चात्)	३०	५	४	३	१	४३
१९४८-४९	४९	८	३	८	१	६९
१९४९-५०	५२	१२	३	८	१	७६
१९५०-५१	५५	५	२	७	२	७१
१९५१-५२	८६	८	४	७	१०	१,१७

(ख) ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा तारों से प्राप्त राजस्व निम्नांकित है :-

(लाख रुपयों में)

विभाजन के पश्चात्	१९४७-४८	३,५९
	१९४८-४९	६,२४
	१९४९-५०	५,९०
	१९५०-५१	५,९५
	१९५१-५२	६,११

वित्तीय-लेखे में अंतर्देशीय तथा विदेशी तारों का हिसाब अलग-अलग नहीं रखा जाता।

रखे गये आंकड़ों के अनुसार अंतर्देशीय तथा विदेशी तारों का राजस्व निम्नांकित है :–

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अंतर्देशीय	विदेशी
विभाजन के पश्चात् १९४७-४८	३,११	२८
१९४८-४९	४,६६	३१
१९४९-५०	४,४२	८५
१९५०-५१	४,१९	१,२०
१९५१-५२	४,२०	१,२२

टिप्पणी :–इन आंकड़ों के योग और तारों की कुल आय का अंतर तारों की अन्य आय बतलाता है ।

(ग) डाक तथा तार विभाग के तीन कारखाने हैं – अलीपुर, जबलपुर और बंबई में एक-एक । ये कारखाने विभाग की लाइनों के सामान हुस्त्य टेलीफोन विनिमय-केंद्र की सामग्री, तार और बौदोत सामग्री आदि सम्बन्धी सारी आवश्यकता को पूरा करते हैं । साथ ही बंगलौर में १९४८ में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को संस्थापित किया गया है, जिसका एक मात्र उद्देश्य स्वयंगतिक विनिमय-केंद्र की सामग्री, टेलीफोन यंत्र तथा अन्य उपसामग्रियों को बनाना है । हाल में चितरंजन के पास रूपनारायणपुर में टेलीफोन-तारों के निर्माण के लिए एक फैक्टरी बनायी गयी है ।

(घ) ३१ मार्च, १९५२ को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में दूर-संचरण (टेली-कम्यूनिकेशन) सामग्री के आयात का मूल्य निम्नांकित था :—

वर्ष	रुपए
१९४७-४८	१३,३२,०८३
१९४८-४९	५६,५१,४७३
१९४९-५०	२४,०६,९००
१९५०-५१	१४,०९,४४९
१९५१-५२	२३,४६,२८३

इंडियन टलीफोन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के संस्थापित हो जाने और तीन विभागीय कारखानों के उत्पादन के साथ केबिल फैक्टरी के विद्यमान होने से यह आशा की जाती है कि देश की `लीफोन और तार संबंधी सामग्री तथा मशीनों की अधिकांश आवश्यकता उनके द्वारा पूरी हो जाएगी । फिर भी कुछ अत्यावश्यक कच्चे माल तथा हाल में बने प्राविधिक यंत्रों का आयात चलता रहेगा ।

खरीफ फसल

२१. **श्री बाल्मीकी** : (क) क्या **खाद्यतथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सभी राज्यों में खरीफ की फसलों से कैसी प्रत्याशाएं हैं ?

(ख) किस राज्य में खरीफ फसल सर्वश्रेष्ठ है ?

(ग) टिड्डियों के दल ने उनको कितनी हानि पहुंचाई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) तथा (ख) सब मिला कर १९५२ की खरीफ फसल की स्थिति काफी संतोषजनक है । हैदराबाद, मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर कोचीन और बंबई के कुछ भागों को छोड़ दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य रहा । पर सितंबर के अंत के बाद से इन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा हो गई है, जिसके फलस्वरूप सूखती हुई खेती फिर बहुत हरी हो गई है । इस बचत का मूल्य-निर्धारण अभी होना है ।

(ग) राजस्थान, पटियाला संघ और पंजाब से कुछ हानि का वृतांत मिला था ।

चलते डाक घर

२२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि चलते डाक घर कहां-कहां शुरू किए गए हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : दिल्ली, मद्रास, नागपुर तथा कानपुर ।

मछलियों का जीवन

२३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के किसी मछली मारने वाले केन्द्र में मछलियों के जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि किया जा रहा है तो कहां ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) हां ।

(ख) बारकपुर तथा मंडपम के केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र और उनके उपकेंद्र अखिल भारतीय आधार पर ताजे पानी, मुहाने और समुद्र में मछली मारने की विविध समस्याओं की पड़ताल कर रहे हैं। मद्रास, त्रावणकोर-कोचीन, बंबई, सौराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और यू० पी० राज्य सरकारों के विविध मत्स्य अनुसंधान केंद्र अपनी पड़ताल को स्थानीय महत्व की समस्याओं तक ही सीमित रखते हैं।

मत्स्य अनुसंधान केंद्र तथा उपकेंद्र निम्न स्थानों पर स्थित हैं :

(१) **केन्द्रीय** : बारकपुर, कटक, मंडपम, नरक्कल, कालीकट तथा करबार।

(२) **मद्रास राज्य** : मद्रास मैटूर, रोलेश्वरम्, होस्पेट, तूतीकोरन, कुसाडी, वेस्ट हिल तथा एन्नोर।

(३) **त्रावण कोर-कोचीन राज्य** । त्रिवेंदम्, तथा कायमकुलम्।

(४) बंबई राज्य : बंबई ।

(५) सौराष्ट्र राज्य : सिक्का ।

(६) उड़ीसा राज्य : कटक ।

(७) पश्चिमी बंगाल राज्य : कलकत्ता

(८) यू० पी० राज्य : लखनऊ।

रूस से खाद्य-भेंट

२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत मजदूर संघों की अखिल संघीय केंद्रीय परिषद् ने भारत में अकाल पीड़ित लोगों में वितरण के लिए कुछ खाद्य भेंटें भेजी हैं ; तथा

(ख) यदि सच है, तो इन खाद्य-भेटों की कुल मात्रा क्या थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां।

(ख) १०,००० टन गेहूं, ५,००० टन चावल और ५ लाख डब्बे जमा हुआ दूध। भेंट में २,५५,००० नकद रुपए भी सम्मिलित थे।

डाक्टर

२५ **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, १९५० के बाद अस्पतालों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण के लिए कोई भारतीय डाक्टर विदेश भेजे गए हैं ;

(ख) यदि भेजे गए हैं, तो वे किस देश या देशों को भेजे गए हैं ; तथा

(ग) उनकी कुल संख्या क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) (क) हां।

(ख) मुख्यतः इंगलैंड, सं०रा० अमरीका तथा कनाडा को और कभी-कभी यूरोप के देशों न्यूजीलैंड और फिलीपीन्स को भी।

(ग) ८७।

जूट तथा कपास मिल

२६. **श्री के० के० बसु** : (क) क्या **श्रम** मंत्री पश्चिमी बंगाल के ऐसे जट तथा

कपास मिलों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे, जहां न्यूनतम मजूरी अधिनियम प्रवर्तित किया गया है ?

(ख) क्या श्रम-विधानों की कार्यप्रणाली पर निरोध रखने के लिए सरकार के पास कोई साधनिका है ?

(ग) क्या राज्यों में श्रम-विधियों की कार्य-प्रणाली के संबंध में सरकार को राज्य-सरकारों से नयमित रिपोर्ट मिला करती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जूट तथा कपास मिलों में सेवा-नियुक्ति न्यूनतम-मजूरी-अधिनियम १९४८ के अधीन नहीं ली जाती ।

(ख) श्रम विधियों का राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकांशतः राज्य-सरकारों का हीं उत्तरदायित्व है । जहां तक विदित है, इन सरकारों ने विविध विधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उनके द्वारा अपेक्षित पर्याप्त व्ययवस्था कर दी है । केंद्रीय क्षेत्र में अधिनियमों का प्रशासन खानों के मुख्य निरीक्षक और कारखानों के मुख्य परामर्शदाता के अधीन विद्यमान श्रम-संपर्क व्यवस्था या संघों के द्वारा, या प्रवजित श्रम के नियंत्रक, कामकर-राज्य-बीमा निगम के महा संचालक, कोयला खान कल्याण-आयुक्त, अभ्रक-खान-श्रम कल्याण आयुक्त तथा कोयला खान भविष्य-निधि-आयुक्त जैसे स्वायत्त संगठनों के द्वारा, किया जाता है । राज्य सरकारों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन निरीक्षकों और दावा अधिकारियों की नियुक्ति करनी होती है और अधिनियम की लक्ष्यपूर्ति के लिए धारा ३० के अधीन नियम बनाने हाते हैं । ये नियम अधिकांशतः कद्रीय सरकार द्वारा प्रचलित आदर्श नियमों के ही आधार पर बनाए गए हैं ।

(ग) हां ।

रेलवे विज्ञाप्न

२७. **श्री के० के० बस** : क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन दैनिक-समाचार पत्रों के राज्यवार नाम जिनमें रेलवे विज्ञापन प्रकाशित होते हैं ;

(ख) पत्रों को किस आधार पर चुना जाता है ; तथा

(ग) नाम चुनने का अधिकार किसे है ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उन दैनिक-समाचार पत्रों के राज्य-वार नाम, जिनमें रेलवे-विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, निम्नांकित हैं :—

उत्तर प्रदेश :

(१) लीडर ।
(२) अमृत बाजार पत्रिका ।
(३) नेशनल हेरल्ड ।
(४) पायोनियर ।
(५) टेलीग्राफ ।
(६) आज ।
(७) भारत ।
(८) जागरण
(९) नवजीवन ।
(१०) प्रताप ।
(११) सैनिक ।
(१२) सन्देश ।
(१३) सन्मार्ग ।
(१४) संसार ।
(१५) स्वतंत्र-भारत ।
(१६) विश्वमित्र ।
(१७) हक ।
(१८) कौमी आवाज ।
(१९) अमृत पत्रिका ।

आसाम :

(१) आसाम ट्रिब्यून ।
(२) नूतन असमिया

बिहार :

(१) इंडियन नेशन ।
(२) सर्चलाइट ।
(३) आर्यावर्त ।
(४) प्रदीप ।
(५) राष्ट्रवाणी ।
(६) नवराष्ट्र ।
(७) विश्वमित्र ।
(८) सदा-ऐ-आम ।
(९) साथी ।

पश्चिमी बंगाल :

(१) अमृत बाजार पत्रिका ।
(२) हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ।
(३) स्टेट्समैन ।
(४) आनंद बाजार पत्रिका ।
(५) जुगांतर ।
(६) बसुमती ।
(७) सत्ययुग ।
(८) लोक-सेवक ।
(९) विश्वमित्र ।
(१०) लोक-मान्य ।
(११) सन्मार्ग ।
(१२) जागृति ।
(१३) रोजाना हिंद ।
(१४) देश-दर्पण।
(१५) इंडियन ट्रेड जर्नल ।

दिल्ली :

(१) हिंदुस्तान टाइम्स ।
(२) हिंदुस्तान स्टैंडर्ड ।
(३) दिल्ली एक्सप्रेस ।
(४) स्टेट्समैन ।
(५) हिंदुस्तान ।
(६) वीर-अर्जुन ।
(७) डेली मिलाप ।
(८) तेज़ ।
(९) टाइम्स आफ इंडिया ।
(१०) श्विमित्र ।
(११) आज ।
(१२) प्रताप ।
(१३) लाहौर का बंदेमातरम् ।
(१४) वीर भारत ।
(१५) वतन ।
(१६) अलजमीयत ।
(१७) नवभारत टाइम्स

पंजाब :

(१) ट्रिब्यून ।
(२) हिंद समाचार
(३) मिलाप ।
(४) हिंदी मिलाप ।
(५) प्रभात ।
(६) अजीत ।
(७) वीर भारत ।
(८) अकाली पत्रिका ।
(९) सिख ।
(१०) खालसा सेवक ।

बम्बई :

(१) टाइम्स ऑफ इंडिया ।
(२) भारत ।
(३) बाम्बे क्रानिकल ।
(४) बाम्बे सेन्टिनेल ।
(५) ईवनिंग न्यूज आफ इंडिया ।
(६) फ्री प्रेस जर्नल ।
(७) नेशनल स्टैंडर्ड ।
(८) बम्बई समाचार ।
(९) हिंदुस्तान (गुजराती) ।
(१०) जाम-ए-जमशेद ।
(११) जन्म भूमि ।
(१२) वंदे मातरम् ।
(१३) सन्देश ।
(१४) श्री सयाजी विजय ।
(१५) नवभारत टाइम्स ।
(१६) विश्व मित्र ।
(१७) गावकरी ।

(१८) लोकमान्य ।
(१९) लोक सत्ता ।
(२०) नवाकाल ।
(२१) नवभारत ।
(२२) नवशक्ति ।
(२३) सकाल ।
(२४) शोलापुर-समाचार ।
(२५) आफताब ।
(२६) अजमल ।
(२७) इंकिलाब ।
(२८) संयुक्त कर्नाटक ।
(२९) हिंदुस्तान (सिंधी) ।
(३०) विशाल कर्नाटक ।
(३१) इकबाल ।
(३२) गुजरात मित्र ।
(३३) गुजरात-समाचार ।

मद्रास :

(१) हिंदू ।
(२) इंडियन एक्सप्रेस ।
(३) दी मेल ।
(४) आंध्र प्रभा ।
(५) आंध्र-पत्रिका ।
(६) लिबरेटर ।
(७) इंडियन रिपब्लिक ।
(८) स्वदेश मित्रन ।
(९) दिन मणि ।
(१०) भारत देवी ।
(११) डेली तंती ।
(१२) नव इंडिया ।
(१३) मातृभूमि ।

हैदराबाद :

(१) डकन क्रौनीकल ।
(२) डेली न्यूज़ ।
(३) गोलकुंडा पत्रिका ।
(४) नई जिंदगी ।
(५) सियासत ।

मध्य भारत :

(१) नव प्रभात ।
(२) इंदौर-समाचार ।
(३) नई दुनियां ।

मध्य प्रदेश :

(१) हितवाद
(२) नागपुर टाइम्स ।
(३) जय हिंद ।
(४) नवभारत ।
(५) महाराष्ट्र ।
(६) तरुण भारत ।
(७) लोकमत ।

भूपाल :

डेली नदीम ।

उड़ीसा :

(१) ईस्टर्न टाइम्स ।
(२) समाज ।
(३) प्रजातंत्र ।

मैसूर :

(१) डकन हैरल्ड ।
(२) बंगलौर डेली पोस्ट
(३) प्रजावाणी ।
(४) ताई नाडू ।

सौराष्ट्र :

(१) नूतन सौराष्ट्र ।
(२) जय हिंद ।

अजमेर :

नव ज्योति ।

राजस्थान :

(१) दैनिक जागृति ।
(२) लोकवाणी ।
(३) राष्ट्रदूत ।

पेप्सू :

प्रकाश ।

जम्मू तथा काश्मीर :

डेली खिदमत ।

(ख) पत्रों को भारतीय समाचार-पत्रों और सामयिक पत्रों की सूची में से भारत सरकार के विज्ञापनों के लिए व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त समझते हुए चुना जाता है। यह सूची सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन परामर्शदाता द्वारा तैयार की जाती तथा रखी जाती है । किसी समाचार-पत्र की बिक्री—संख्या तथा प्रकार दोनों ही दृष्टि से—तथा विशेष प्रकार के विज्ञापन के लिए इसकी उपयुक्तता प्रधान विचारणीय बातें हैं ।

(ग) संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक ।

बृहस्पतिवार,
६ नवम्बर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ६ नवम्बर, १९५२

सदतकी बैठक पौने ग्यारह बजे समवेतहुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

पैट्रोल कर निधि के उड्डयन अंश के सम्बन्ध में विवरण

अध्यक्ष महोदय : अब सदन-पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्री जगजीवन राम।

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें यह बतलाया गया है कि १९५०–५१ में पैट्रोल कर निधि का उड्डयन अंश कहां कहां खर्च हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या पी-६४/५२**]

भारतीय श्रम सम्मेलन के ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं, अगस्त १९५१ में नई दिल्ली में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही के संक्षिप्त वृत्तान्त की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या ४, आर० ओ० (३८)**]

भारतीय तटकर (चतूर्थ संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ को अग्रेतर संशोधित करने वाले एक विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

खाद्य मिलावट विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि खाद्य वस्तुओं में मिलावट को रोकने की व्यवस्था करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

सम्पति शुल्क विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री सी० डी० देशमुख द्वारा कल प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा जिसमें

[अध्यक्ष महोदय]

सम्पत्ति शुल्क सम्बन्धी विधेयक के एक प्रवर समिति को सौंपे जाने की व्यवस्था है।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस विधेयक का समर्थन तो कर रहा हूं किन्तु मैं यह भी साफ़ साफ़ कह देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री के भाषण से मुझे अत्यन्त निराशा हुई है। वित्त मन्त्री ने इस विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के दो कारण उल्लिखित किये—एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। विधेयक के आर्थिक पहलू के बारे में हमें ऐसा कोई आभास नहीं दिया गया जिससे हमें यह पता लग सकता कि इससे कितनी आय होगी। जहां तक इसके सामाजिक पहलू का प्रश्न है, मैं इस विधेयक में समाजवादी राज्य या, जैसा कि गांधी जी कहा करते थे, राम राज्य के कोई चिन्ह नहीं देख पा रहा हूं अन्य देशों में तो यह कर बहुत पहले लगाया जा चुका है और उससे वहां के राजस्व को काफ़ी योग मिलता है।

निस्सन्देह, यह विधेयक ठीक दिशा में एक कदम है। परन्तु मैं इससे कुछ अधिक आशा कर रहा था। मैं चाहता था कि एक ऐसा विधेयक लाया जाये जिससे भारत में सम्पत्ति रखने की प्रथा ही समाप्त हो जाये। हमारा देश एक निर्धन देश है। लाखों व्यक्ति अब भी कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिन्ताएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। कुछ राज्यों में तो लोग पहले से भी अधिक दुखी हैं।

हां, मैं एक बात और कहना चाहता हूं यदि हम यह रुपया राज्यों को दें तो इस बात का ध्यान रखें कि राज्य धन का समुचित रूप से प्रयोग करें; वे कोई ऐसी योजना हाथ में न लें जिससे सरकार को हानि होती हो। उदाहरण के लिये बम्बई राज्य में मद्य निषेध योजना से जनता को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है; वहां के देहातों में अब भी अनधिकृत रूप से शराब बनाई जाती है। इसी प्रकार, पंजाब सरकार ने अपने विधान मंडल का सत्र पन्द्रह दिन के लिये स्थगित कर दिया है ताकि वे कांग्रेसी प्रतिनिधियों के चुनाव में संलग्न रह सकें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस प्रसंग में ये बातें कहां तक संगत और उचित हैं ?

श्री गिडवानी : मैं इन बातों को इसलिये संगत समझता हूं क्योंकि यह उपबन्धित किया गया है कि इस कर से होने वाली आय राज्यों को दे दी जायेगी।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : ऐसा इस लिये उपबन्धित किया गया है, क्योंकि संविधान में यह दिया हुआ है कि राज्यों को जो शुल्क दिये जायेंगे उनमें से एक कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगाये जाने वाला सम्पत्ति शुल्क भी शामिल है।

श्री गिडवानी : इसीलिये मैंने इसे संगत समझा।

श्री श्यामनन्दन सहाय : (मुजफ्फरपुर मध्य) : अब तो माननीय सदस्य की बात और भी अधिक मज़बूत हो गई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री गिडवानी : चाहे कुछ लोग इस कर का विरोध भी करें, तब भी यह कर रहेगा उचित ही। इससे अधिक धनवान् व्यक्तियों के चिन्ता होने का कोई कारण नहीं है। मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस विधेयक पर विचार करते समय यह बात ध्यान में रखेगी कि हम एक ऐसे ज़माने में होकर गुज़र रहे हैं जिसमें बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तथा ऐसी सिफारिशें करेगी जो कांग्रेसी

सरकार के सिद्धान्तों के अनुकूल हों । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ दक्षिण) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह संसार की शुल्क लगाने की वर्तमान पद्धति के अनुकूल है । यह कर कोई प्रयोग रूप में नहीं लगाया जा रहा है—दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों में यह कर विद्यमान है । पूंजी-निर्माण अथवा उद्योग विकास पर इस कर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है ।

अब यह प्रश्न उठता है कि सम्पत्ति शुल्क एक उचित कर है या अनुचित कर । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक उचित कर है । जब कोई सम्पत्ति उस के उत्तराधिकारी को मिलती है तो इस कर के देने में कोई कठिनाई नहीं होती । देश के विकास के लिये धन तो चाहिये ही, और धन प्राप्त करने के लिये करारोपण अनिवार्य सा हो जाता है ।

तीसरा प्रश्न यह उठाया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उस की सम्पत्ति पर कर लगाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में मैं सर विलियम हारकोर्ट द्वारा कहे गये शब्दों की ओर निर्देश करूंगा जिन में उन्हों ने यह कहा है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति के व्यवस्थापन के अधिकारों पर कुछ शर्तें लगा सके । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई और तर्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या यह शुल्क इस समय लगाया जाना चाहिये । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिस का भविष्य बहुत उज्जवल है । संसार का नियम है कि यदि आप समय के साथ नहीं चलते तो आप के पीछे रह जाने का डर है । अतएव यह उचित ही है कि यह शुल्क इस समय लगाया जाये जिससे योजना आयोग को अधिक धन उपलब्ध हो सके और विकास कार्य में सहायता मिल सके ।

इस के अतिरिक्त उससे एक लाभ और होगा । इस देश में एक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का है जो कुछ काम नहीं करते और जिन्हें किसी संकट का खतरा नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोग भी कुछ काम करें जिस से देश की उन्नति में सहायता मिल सके । हमें देश से असमानता समाप्त करनी है तथा लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना है । इस कर से हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी । जैसा कि वित्त मंत्री ने बतलाया, हमारे देश में बहुत थोड़े लोग धनवान हैं । गरीबों की संख्या बहुत अधिक है । तो हमें अमीरों और गरीबों के बीच इस असमानता को बहुत कम करना है । यह एक ऐसा कदम है जिस से लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और उन्हें कुछ काम करने की प्रेरणा मिलेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन नहीं कर सकता हूं । बात यह है कि इस सभागृह में जितने दल हैं सब दल सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं, परन्तु जिस प्रकार से यह विकेन्द्रीकरण हो रहा है, उस रास्ते से, मैं नहीं समझता कि ज्यादा लोगों को फ़ायदा होगा । यह सच्चे रास्ते पर गलत क़दम उठाया जा रहा है । पहली बात तो यह है कि मेरे एक मित्र ने कहा कि यह समाजवादी रास्ते पर एक क़दम है । मैं समझता हूं कि सम्पत्ति को क़ायम रखना और सम्पत्ति के मालिक के मरने के पश्चात् उस के पास से कुछ लेना

[श्री वी० जी० देशपांडे]

समाजवाद के रास्ते पर क़दम नहीं है । आज सरकार इस प्रस्ताव द्वारा यही तो कर रही जो सोने का अंडा चाहता है वह मुर्ग़ी को मारता नहीं है । आज हमारी सरकार चाहती है वह निजी सम्पत्ति को ले ले । मैं नहीं समझता कि यह समाजवाद के रास्ते पर एक क़दम होगा । यह बिल्कुल ग़लत है । अमरीका इंगलैंड आदि जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं वहां बहुत समय से यह कर है । पूंजीपति और पूंजीवादी सरकार अपनी पूंजी आपस में बांटते हैं । यह समझ कर कि यह समाजवाद के रास्ते पर एक क़दम है, अपने को बधाई देने की आवश्यकता नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण आप को करना है और आप यदि समझते हैं कि सम्पत्ति बहुत थोड़े हाथों में गई है तो आप सम्पत्ति पर उस के स्वामी के जीवित अवस्था में कर लगा सकते हैं न कि सम्पत्ति कमाने वाले के मरने के पश्चात् । उस के मरने का दुःख तो है ही, उस की सम्पत्ति के जाने का भी दुःख देना ठीक नहीं है । मैं समझता हूं कि जो सम्पत्ति है उस पर कर बढ़ा सकते हैं, इन्कमटैक्स बढ़ा सकते हैं, प्रापर्टी टैक्स बढ़ा सकते हैं, मेरा विरोध पूरी डैथ ड्यूटी (मृत्यु शुल्क) पर नहीं है, परन्तु जिस प्रकार से आप डैथ ड्यूटी लगा रहे हैं, और खास तौर से इस बिल में जो मृत्यु कर है उस के तय करने का परिणाम क्या होगा उस तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हिन्दुस्तान में जो उत्तराधिकार विधान है उस से हमारे यहां अपने आप सम्पत्ति का विकेन्द्रीकरण होता है । आप जानते होंगे कि इंगलैंड में खाली बड़े लड़कों को सम्पत्ति मिलती है, लेकिन यहां सभी लड़कों को मिलने के कारण दो या तीन पीढ़ियों में जितनी सम्पत्ति होती है उस का विकेन्द्रीकरण हो जाता है । लेकिन इस के साथ ही अगर आप किसी की सम्पत्ति को जल्दी खत्म करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप का रास्ता गलत है । इंगलैंड और हिन्दुस्तान की परिस्थिति भिन्न है । इंगलैंड में यह नहीं होता कि सम्पत्ति वाले का लड़का मर गया तो उस से सम्पत्ति कर कोई नहीं लेता । आप का जो उसूल है, उस में जो संयुक्त कुटुम्ब है उस में ज्वाइंट फ़ैमिली का हर एक आदमी मिताक्षर पद्धति से कोपार्सनर होता है । उस की सम्पत्ति है । हमारे जो अर्थ मंत्री हैं उन्हों ने कृपावन्त हो कर यह कर दिया है कि जो १८ साल का बच्चा है उस पर यह कर नहीं लागू होगा, लेकिन जो १९-२० साल का लड़का है उस के मरने के पश्चात् यह कर लग सकता है । उस के पिता को जवान लड़के की मृत्यु का तो शोक होगा ही परन्तु उसी के साथ साथ उस की सम्पत्ति भी इस कर से चली जायेगी । केवल बाहर से मिलने वाली सम्पत्ति पर यह कर नहीं है, अपने जीवन में ही सम्पत्ति खत्म करने का तरीका इस में दिया गया है । इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मिताक्षर के साथ आप ने हिन्दू कोड बिल के द्वारा काफी खेल करने का प्रयोग किया, लेकिन उस प्रयोग में आप सफल नहीं हुए अब उस के पश्चात् आप इस कर द्वारा संयुक्त कुटुम्ब पद्धति पर आघात कर रहे हैं, जो कृषि विषयक सम्पत्ति है, जो पुश्तों से चली आती है किसी ने कमाई है, वह दूसरों के पास जा रही हो ऐसी बात नहीं है । मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, परदादा ने जमीन ली है, ५, ५०, १०० वर्ष से मेरा कुटुम्ब इस का स्वामी है । उस का मालिक मैं हूं, मेरा पिता भी था, दादा भी था, परदादा भी था, पता नहीं कब से यह चली आ रही है, हम लोग हमेशा इस ज़मीन के मालिक रहे हैं । आज आप इसको समाप्त कर रहे हैं । जो आदमी मरता है मिताक्षर ला के अनुसार उस

के हिस्से की जो जायदाद है उसके ऊपर आप डैथ ड्यूटी लेंगे यह बात बड़े अन्याय की होगी। विकेन्द्रीकरण अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ यह मिताक्षर पद्धति को समाप्त करने का जो तरीका है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आज यह कहना कि इस देश में बहुत थोड़े लोगों के पास सम्पत्ति है यह भी गलत है। आप देहात में जाकर पूछिये ज़मीन के मालिक ज्यादा हैं या लेंडलैस लेबरर्स (भूमिहीन श्रमिक)। लोगों के पास थोड़े थोड़े खेत होते हैं लेकिन हर एक आदमी अपनी अपनी सम्पत्ति का मालिक होता है। कर योग्य सम्पत्ति की लघुत्तम सीमा हर बजट के समय बनाई जाएगी। लेकिन हरेक खेती करने वाले पर इसका असर पड़ने वाला है।

आगे चल कर हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस भी बड़ी भयानक चीज़ है। देहातों में जो मार्केट प्राइस आप रक्खेंगे उसको अफसर लोग ही निश्चित करेंगे। खेती के लिये देहातियों में विशेष भावना होती है और उसकी कीमत आज दीखने को बहुत दीखती है लेकिन कर देते समय उसको बेचना पड़ेगा। उसके बाद मैं समझता हूं कि एस्टेट के टुकड़े टुकड़े हो जायेंगे। यह बात नहीं है कि मुझे दूसरी ओर से एस्टेट मिलने वाली है मगर फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा यह अन्याय होगा। आगे चल कर दूसरी सम्पत्ति पर भी टैक्स लगना अन्याय हो सकता है खास करके अपने यहां शहरों में बहुत से लोग घरों के मालिक होते हैं। जिन घरों में वह रहते हैं और जिनकी कीमत अर्बन प्रापर्टी (शहरी जयदाद) होने के कारण बहुत थोड़ी है, अगर उन घरों पर आप को टैक्स देना हुआ तो उनको बेचना तक पड़ेगा और इस के कारण लोगों पर बहुत आपत्ति आयेगी। इन सब कारणों से मैं समझता हूं कि इस बिल को पेश करते वक्त यह जो प्रावीजन है उसको रख कर अगर आप इस विधेयक का समर्थन कराना चाहते हैं तो कभी नहीं होगा। आगे चल कर मेरे एक मित्र बहुत दुःखित हुए कि इस कर का पैसा मुरारजी देसाई के प्रान्त को मिलेगा। परन्तु बम्बई में यह कर नहीं लगेगा। बम्बई और पंजाब ने इसको पास नहीं किया है और इस कारण पांच छै प्रान्तों पर ही यह कानून लगने वाला है। यूनीफारमिटी (एकरूपता) लाने के लिये सेंटर (केन्द्र) इसको पास कर रहा है। लेकिन यूनिफारमिटी आयेगी नहीं क्योंकि बंगाल और पंजाब में यह टैक्स नहीं लगेगा और बाकी के प्रान्तों में ही लगेगा। अभी भी बंगाल बाकी है। मैं चाहता हूं कि बंगाल में भी पास हो जाय फिर शायद बंगाल के सदस्य इसका विरोध करेंगे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के टैक्सेशन में डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) नहीं होना चाहिये। तो मेरी यही प्रार्थना है कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर इसको पास किया जाय। आज देश में सरकारों को पैसे की ज़रूरत है और मालदार लोगों को गरीब करना आवश्यक है। परन्तु इसके लिये कृषिकार और मध्यम वर्ग के लोगों पर अन्याय करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आदमी को मरते वक्त भी शान्ति नहीं मिलेगी क्योंकि उसको मरते वक्त इस बात की चिन्ता लगी रहेगी। क्योंकि यह अनसरटेन्टी होगी और पता नहीं होगा कि कितना टैक्स लगेगा इसलिये उसको अनसरटेन्टी में मरना पड़ेगा। करमर्यादा और प्रमाण तो फायनान्स बिल में निश्चित होंगे। स्वर्ग तो यह जायेगा ही पर पृथ्वी पर उसको बहुत कष्ट होगा। इस दृष्टि से इन सब बातों को टाल कर इस विधेयक को पास करें इतनी मेरी प्रार्थना है।

श्री लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न है, मैं इस विधयक

[डा० लका सुन्दरम्]

का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं सदैव यह अनुभव करता था कि जबकि देश भर में जमींदारी उन्मलन विधान बनाये जा रहे हैं, इस प्रकार का कानून बहुत जरूरी है।

संविधान की सप्तम अनुसूची की केन्द्रीय सूची के पद ८७ में "कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति शुल्क" की व्यवस्था है। राज्य सूची के पद ४८ में कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के विषय में सम्पत्ति शुल्क राज्य-विषय के अधीन रखा गया है। अब एक ऐसी प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है जिससे केन्द्र एकरूप आधार पर विधान बना सके। इस सम्बन्ध में संविधान का अनुच्छेद २५२ बिल्कुल स्पष्ट है उसके अनुसार, संसद् के लिये यह विधिसंगत होगा कि वह किसी विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करे?

इस विधेयक के बारे में मुझे कुछ सन्देह भी हैं। यद्यपि मुझे इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि मेरे माननीय मित्र श्री देशपाण्डे ने कुछ मिनट पूर्व पश्चिमी बंगाल, त्रावणकोर-कोचीन तथा सौराष्ट्र के इससे अलग रहने के बारे में व्यक्त की; परन्तु मेरा विचार यह अवश्य है कि यदि ये राज्य अलग रहे आये तो इस विधान का प्रवर्तन पूरा नहीं समझा जा सकता। अब मैं धारा १ के खंड २ की ओर निदश करूंगा। इसमें कहा गया है कि यह अमुक विधान जम्मू तथा काश्मीर राज्य को छोड़ कर सारे भारत में लागू होगा। इस विषय में मुझे एक सुझाव देना है। इस सदन में काश्मीर के जो छै प्रतिनिधि हैं वे हमें यह आश्वासन दे दें कि वे अपनी सरकार से यह आग्रह करेंगे कि वह भी भारत सरकार के परामर्श से कोई एसा विधान बनाये ताकि धारा १ (२), अर्थात् जम्मू तथा काश्मीर पर इस विधेयक का लागू न होना, ऐसे महत्वपूर्ण विधान को सफल कार्यान्विति में बाधक न हो।

माननीय वित्त मन्त्री ने कल कहा था कि इस विधेयक के कानन बन जाने पर पूंजी निर्माण आदि के सम्बन्ध में कोई विशेष कठिनाइयां अनुभव नहीं होगी। उन्होंने कहा कि निजी सम्पत्ति के संयुक्त स्कन्ध समवायों में बदल जाने से हमें कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस शुल्क का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बचत तथा पूंजी निर्माण के विरुद्ध नहीं होगा। मैं उनसे सहमत हूं जबकि वह यह कहत हैं कि फल अधिकांश रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि छूट-सीमा तथा करारोपण दर क्या निश्चित की गई है। मैं चाहता हूं कि सदन वर्तनमान विधान में कोई न कोई छूट सीमा रखे जाने की आवश्यकता को समझे। इससे समाज के प्रत्येक भाग में सन्तोष की भावना उत्पन्न हो जायेगी।

कल वित्त मंत्री ने कहा था कि विधेयक को करारोपण जांच समिति द्वारा की जाने वाली जांच के पहले ही पारित किया जा सकता है; इसके लिए प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु, मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि करारोपण जांच समिति अपना काम इस विधेयक के पारण की ओर निर्देश किये बिना जारी रख सकती है। मैं नहीं कह सकता कि इस विधेयक के फलस्वरूप कितनी आय, होने की सम्भावना है; यदि इसके कोई विशेष आय नहीं होती--जिससे कि देश के विकास तथा पुनर्निर्माण कार्य में सारवान सहायता मिल सके--तो इसके पारित किये जाने से क्या लाभ होगा? अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वह यह बतलाएं कि इससे कितनी आय होने की सम्भावना है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देश में प्रत्यक्ष करारोपण के लिए अब भी काफ़ी गुंजाइश है ; किन्तु साथ ही मेरा यह भी कहना है कि इस दिशा में कदम बड़ी सावधानी से बढ़ाया जाना चाहिये। इस विधेयक के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले निकायों को नियम बनाने के जो अधिकार दिये जायेंगे, उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ सन्देह हैं। प्रस्तुत विधेयक के खंड १७ (४) के अन्तर्गत नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। ये नियम संसद् के समक्ष रखे जाने होंगे। उधर, खंड ७४ में केवल यह उपबन्ध है कि यह नियम लागू किये जाने से पहले प्रकाशित कर दिये जायें, इसमें बस यह शर्त लगी हुई है कि ऐसे नियम विधान से असंगत न हों। तो मुझे कहना यह है कि यह एक अजीब सी बात है कि एक धारा के अन्तर्गत तो ये नियम संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हैं और दूसरी के अधीन उनका पहले प्रकाशित किया जाना ही काफ़ी है। तो हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना होगा।

एक और बात जिसका मुझे उल्लेख करना है, यह है। नियन्त्रकों को, विशेषतया मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में दिये गये अधिकारों के सम्बन्ध में मुझे कुछ आशंका है। धारा ३९ तथा धारा ५६ में सरकार के पदाधिकारियों को इस प्रस्तावित विधान की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अत्यन्त व्यापक अधिकार दिये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कर-निर्धारकों की व्यवस्था नहीं है ? मैं समझता हूं कि इसमें कर-निर्धारकों की व्यवस्था है।

डा० लंका सुन्दरम् : यह तो है। मेरा कहना तो केवल यह है कि इस विधान को बहुत सावधानी से लागू किया जाये क्योंकि मेरे विचार में इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस प्रकार से लागू किया गया। यदि ऐसा न हुआ तो इससे दमन का भय बना रहेगा।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं मैं इस विधेयक का सिद्धांत रूप से स्वागत करता हूं। परन्तु मेरा एक निवेदन है कि सामाजिक न्याय स्थापित करने और आय की असमानताओं को दूर करने का कार्य इस प्रकार सम्पादित किया जाये कि उससे अधिक से अधिक सफलता मिल सके। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री सम्भावित आय का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते, किन्तु यदि इस शुल्क के फलस्वरूप केवल मात्र १०-१५ करोड़ रुपये की आय होने की सम्भावना है, तो उस दशा में, मैं नहीं समझता कि इससे राष्ट्र का कुछ हित होने वाला है। मैं इस विधेयक में निहित सिद्धान्त का समर्थन करता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग पश्चिम) : उपसभापति महोदय, आप को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ने मुझे इस बिल पर बोलने के लिये आज्ञा दे दी। मैं यहां यह वायुमंडल देख रहा हूं कि सब लोग इस बिल के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं और मैं पूंजीपतियों के पक्ष में एक बात भी बोलने को तैयार नहीं हूं। किन्तु जैसी हमारी सरकार बनी हुई है इस के पक्ष में भी मैं कुछ कहने को तैयार नहीं हूं।

सभापति महोदय, इस बिल के स्टेटमेंट आफ औबजैक्ट्स और रीजन्स (उद्देश्यों और कारणों के विवरण) में यह लिखा हुआ है कि यह बिल इस गरज से लाया गया है कि जो बहुत बहुत धनी हैं उन के धन को कुछ कम कर दिया जाय और जिन के पास धन नहीं है उन को दिया जाये।

बाबू रामनारायण सिंह]

मेरे जो कम्युनिस्ट भाई हैं उन का तो यह कहना है कि सब को खाना और कपड़ा मिलना चाहिये और रहने के लिये घर और ज़मीन मिलनी चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह : (रोहतक) : हम भी चाहते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : आप चाहते हैं, ठीक है, ईमानदार आदमी हैं, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि आप की सरकार तो ईमानदार नहीं है । ठीक है, आप ने इतना कहने का साहस तो किया कि आप भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप की सरकार भी यही चाहती है तो वह ऐसा बिल या विधेयक क्यों नहीं लाती कि जिस से देश में जितनी सम्पत्ति है या तो सब एक कर दी जाय और जो पैदावार हो सब को खाने और पहनने को दी जाय या एक ऐसा बिल लाये कि जिस से सारी ज़मीन अथवा सम्पत्ति घरबार सब को बांट दिया जाय, सारी सम्पत्ति का समान बंटवारा हो जाये और अगर सरकार की ऐसा करने की नियत है तो फिर इस तरह का एक सीधा साधा बिल लावें । अभी जब हमारे देशमुख भाई से पूछा जाता है कि इस बिल के ज़रिये कितना पैसा सरकार के पास आयेगा तो उसका जवाब देने में हमारे भाई को कठिनता होती है, उनको पता नहीं लगा है कि हर साल कितने धनी आदमी मरते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : (प्रतापगढ़ ज़िला-पूर्व) : आप को पता है ।

बाबू रामनारायण सिंह । न मुझे पता है और न इसका पता रखने की ज़रूरत है ।

अभी उस रोज जब हमारे देशमुख साहब बजट स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि उन को एक ऐसा आदमी मिल गया है जो सरकार की मदद के लिये हर साल पांच रुपया भेजता है । मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि जैसी सरकार है और जिस तरह से सरकार का खर्च होता है, उस को देखते हुए, कोई भी आदमी खुशी से सरकार को एक पैसा भी देने के लिये तैयार नहीं होगा, यह बात दूसरी है कि देशमुख साहब ने एक आदमी ऐसा खोज लिया है जो उनको हर साल पांच रुपया देता रहेगा ।

आप जानते हैं कि हम लोगों ने महात्मा गांधी की रहनुमाई में किस तरह आज़ादी की लड़ाई लड़ी और महात्मा जी ने एक करोड़ रुपया जनता से जमा किया और हरसाल हम लोग रुपया जमा करते थे और जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्हों ने इनकम टैक्स नहीं अदा किया और इनकम टैक्स से बचने के लिये अपनी सही सही आमदनी का हिसाब छपाया, ऐसे लोग जो सरकार को पैसा नहीं देना चाहते, उन लोगों से भी हम लोग रुपया कांग्रेस का काम करने के लिये लेते थे, और वह खुशी से हम को देते थे । मैं चाहता हुं कि सरकार और हमारे देशमुख साहब इस बात पर विचार करें कि वह लोग देश की आज़ादी की लड़ाई में तो चन्दा देने के लिये तैयार होते थे और हम को रुपया देते थे, लेकिन वही लोग आज क्यों ब्लैक मार्केट करते हैं, और इनकम टैक्स से बचते हैं । जैसा मैं ने पहले कहा, वजह यह है कि आज टैक्सों की भरमार है और टैक्सों के मारे देश के नाकों दम हो रहा है । एक टैक्स हो तो बतलाया जाय । उदाहरण के लिये, अभी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लीजिये । पूंजीपति और व्यापारी लोगों पर यह कह कर कि यह बहुत रुपया पैदा करते हैं, उन पर टैक्स लगा दिया और अब तो किसानों पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है । मैं

भी एक किसान हूं मुझ पर भी ग़लती से टैक्स लगाया गया था । इन टैक्सों के अलावा सरकार ने सेल्स टैक्स भी लगाया है । क्या कहा जाय ; पब्लिक का टैक्सों के मारे नाक में दम है । जहां देखिये वहीं टैक्स लगा है । अगर भली और ईमानदार सरकार हो तो किसी को उस को टैक्स देने में दिक्कत और हिचकिचाहट नहीं होगी । क्योंकि वह पैसा तो देश के हित में ख़र्च किया जायेगा, लेकिन इस सरकार का तो पेशा बस मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी दनादन बढ़ाते जाना हो गया है और अब उन की तादाद ३९ तक पहुंच गई है और अगर यही रफ़्तार जारी रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब जितने कांग्रेस के सदस्य हैं, वह सब के सब मिनिस्टर हो जायें । उपसभापति महोदय, यह तरीका देश का पैसा खर्च करने का नहीं है और इसी कारण आज सरकार को पब्लिक से पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है, अगर सरकार में तनिक भी ईमानदारी होती तो यह हालत न होती । हम को ऐसा वायुमंडल इस देश में पैदा करना होगा कि जिससे लोग यह समझने लगें कि सरकार को पैसा देना धर्म है और कर्तव्य है । ऐसा वायुमंडल इस देश में लाना होगा जिससे पब्लिक सरकार को टैक्स ठीक अदा करे और यह तभी होगा जब वह यह समझेगी कि वह पैसा देश के हित में सरकार द्वारा खर्च किया जायेगा । आज जिस तरह से सरकार पैसा खर्च कर रही है, उस को देखते हुए मैं यह प्रचार करने के लिये तैयार हूं कि इस गवर्नमेंट को एक पैसा देना भी पाप है । उपसभापति महोदय आप भी कराची कांग्रेस के अवसर पर मौजूद थे, टंडन जी और हम सब लोग भी थे, शायद हमारे देशमुख भाई नही थे, वहां पर हम ने यह निश्चय किया था कि आजाद भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वेतन पांच सौ रुपया होगा, ऐसा कांग्रेस का ऐलान था । मैं पूछना चाहता हूं कि वह कांग्रेस का ऐलान कहां गया और हमारे टंडन जी क्या कर र हैं ? आज क्या हो पहा है ? किसी को दस हजार और किसी को पांच हज़ार रुपये मासिक दिया जा रहा है और इस देश को लूटा जा रहा है । उपसभापति महोदय, मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज की सरकार देश को लूट रही है, मैं यह किसी को व्यर्थ में बदनाम करने अथवा उसकी निन्दा करने के लिये नहीं कहता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अंग्रेजी सरकार लुटेरी थी, उसी तरह यह आज भी सरकार भी बिल्कुल लुटेरी सरकार साबित हो रही है ऐसा मैं दिल से कहता हूं । कोई गुस्से में आकर नहीं कह रहा हूं कि यह सरकार बिल्कुल लुटेरों की सरकार बनी हुई है, लूटें, बांटें और खायें, बस यही उस के सामने रहता है ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : श्रीमान्, इसका सम्पत्ति-शुल्क विधेयक में क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्टतया, वह यह कहना चाहते हैं कि यदि सरकार के खर्चे में कमी कर दी जाये तो सम्पत्ति-शुल्क की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी । परन्तु फिर भी मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह संगत बातें ही कहें क्योंकि यह कोई वित्त विधेयक पर चर्चा तो है नहीं ।

बाबू रामनारायण सिंह : उपसभापति महोदय, जैसी आप लोगों की राय होगी और जैसी आप की आज्ञा होगी, उस को तो मैं मान लूंगा , लेकिन मैं भी यह जानता हूं कि जब यहां पर टैक्सेशन की बात चल रही है, सरकार की तरफ से एक नया टैक्स लगाने की बात आती है, तो मैं इस पर बोल सकता हूं कि इस सरकार को टैक्स देना ही नहीं

[बाबू रामनारायण सिंह]

चाहिये । और मैं समझता हूं कि मैं ने जितनी बातें अब तक कहीं हैं, सब ठीक और समयानुकूल हैं, लेकिन अगरआप कहेंगे कि न बोलो तो मैं नहीं बोलूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बोलिये, बोलिये, लेकिन इतने धीरे धीरे नहीं ।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी इस बिल के समर्थन में बोलते हुए कुछ भाइयों ने बताया कि इस बिल के पास हो जाने से कितनी आमदनी होगी । मैं उस के बारे में नहीं कह सकता हूं, कुछ लोगों ने बताया कि इस प्रकार का कानून कनाडा व इंगलैंड में पास हो गया है, मैं उन से कहूं कि वहां की सरकारें ईमानदार हैं और वह देश का भला चाहने वाली हैं, इसलिये ऐसी सरकार को जितना पैसे मिले ठीक, है ।

चौ० रणवीर सिंह : उस सरकार के खिलाफ आप लड़े क्यों थे ?

बाबू रामनारायण सिंह : उसे तो खत्म कर दिया ।

चौ० रणवीर सिंह : उसे तो आप ईमानदार मानते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : हम लड़े थे अपने देश के लिये लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सरकार आ गई तो क्या करें । लेकिन जिस सरकार के खिलाफ़ लड़े थे उस को तो खत्म कर दिया और आगे चल कर इस सरकार को भी खत्म कर देंगे । वह तो दूसरी बात है । लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर्चे यह लोग बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं लेकिन अपने ही तो हैं ।

उप सभापति महोदय, हमारे देश में एक जाति है, शायद इधर भी होगी, जिस को कंटहा या महाब्राह्मण कहते हैं । उस महा ब्राह्मण को कभी खाने पीने के लिये निमन्त्रण नहीं मिलता । हिन्दू समाज में किसी उत्सव के अवसर पर भी उस को नहीं बुलाया जाता ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मगर आते ज़रूर हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : उन को थोड़ा बहुत दे दिया जाता है पर उन को बुलाया नहीं जाता क्योंकि उन का किसी के यहां जाना अपशगुन माना जाता है । तो उनकी ज़रूरत उस समय होती है जब कोई हिन्दू मर जाता है और श्राद्ध आदि होता है । उस समय कंटहा आता है ।

अब यह कहा जा सकता है कि इस का साइकौलॉजीकल इफैक्ट (मनोवैज्ञानिक प्रभाव) बहुत बुरा होगा । जब एक धनी आदमी मरेगा तो सरकार के आदमी उस के यहां पहुंचेंगे ।

वित्त राज्य-मन्त्री (श्री त्यागी) : मरने के बहुत दिन बाद पहुंचते हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : तो जिस तरह कंटहा बिना काम नहीं चलता उसी तरह किसी किसी परिस्थिति में सरकार भी कंटहा की तरह पहुंच जाया करेगी । तो मैं अपने भाई लोगों से कहना चाहता हूं कि जब सरकार को और अन्य तरह से रुपये नहीं मिलने वाले हैं तो रुपया लेने के लिये कंटहा का काम नहीं करना चाहिये और कंटहा की सरकार बनने की अभिलाषा नहीं करनी चाहिये । यह बात अच्छी नहीं है ।

उस के बाद मैं आप से कहूंगा कि जब सरकार कोई टैक्स लगाती है तो सब से पहली बात यह होनी चाहिये कि सरकार को अपना खर्चा भी तो कम करना चाहिये । अगर सरकार खर्चा कम करेगी तो उस के पास अपने काम के लिये काफी टैक्स हैं । अभी सरकार को लगभग चार अरब रुपये मिलते

हैं । अगर अन्दाज़ से खर्च किया जाये तो आज आधा खर्च हो सकता है । तो अगर खर्च कम किया जाय तो सरकार के पास काफी रुपया हो जायेगा और इस प्रकार के घृणित बिल को लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था, कि अगर सरकार देश के हित का काम करे तो लोगों को उसे पैसा देना चाहिये । लेकिन मेरा असली विरोध इसीलिये है कि इस सरकार के व्यवहार और खर्च से तो यही मालूम होता है कि यह सरकार जनता के लिए नहीं है । मैं ने पहले पूछा था कि प्रदेशों को कितने रुपये मिलेंगे तो कहा गया कि यहां पर प्रादेशिक सरकारों की बात क्या करते हैं । उपसभापति महोदय, यह कहा जाता है कि यह टैक्स लगा कर बंगाल को रुपया देंगे । लेकिन बंगाल में रुपया कैसे खर्च होता है यह कहना यहां पर आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है । शायद बंगाल में केवल १२ या १३ जिले हैं और मिनिस्टर कितने हैं ? ३२ । उपसभापति महोदय, तो यह किस तरह से खर्च किया जा रहा है । एक एक जिले पर तीन तीन मिनिस्टर ह । उपसभापति महोदय, आप भी पहले से हैं और हम भी हैं । हम देखते थे कि अंग्रेजों के समय में ६ मैम्बर होते थे और उन के ६ सेक्रेटरी होते थे और काम बहुत सुन्दर चलता था इसलिये वह लोग अगर ज्यादा लेते थे तो वह अखरता भी नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रशासन सम्बन्धी सब बातों की यहां चर्चा करने से क्या लाभ होगा ? मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर पहले ही बहुत कुछ कहा जा चुका है । अब यदि माननीय सदस्य को उन बातों की ओर निर्देश करना है जो मुख्य विधेयक के सम्बन्ध में हैं या यदि उन्हें विधेयक के सिद्धान्त अथवा **उपबन्धों की चर्चा करनी** है तो वह कर सकते हैं । अन्य बातों से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ?

बाबू रामनारायण सिंह : उपसभापति महोदय, यह तो विषय ऐसा है कि इस पर बहुत बातें कही जानी हैं लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं वैसा नहीं करूंगा लेकिन इस पर बहुत बोलना है और बोलना चाहिये । उप-सभापति महोदय, वह लोग तो मौज करते हैं । क्या हम लोगों को बोलने भी नहीं दीजियेगा । मैं थोड़ा समय और लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अब मध्यान्ह भोजन के पश्चात् जारी करें ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् ढाई बजे सदन की बैठक पुनः समवेत हुई ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अधिक समय तो नहीं लूंगा लेकिन थोड़ा और भी कह देना आवश्यक है । एक बात यह है कि अभी हमारे अर्थ मंत्री जी तो हैं नहीं, इसलिये उन की जगह हमारी बात कौन सुनेगा ।

एक माननीय सदस्य : श्री कृष्णमाचारी हैं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : ऐसी बात तो आप रोज़ ही कहते हैं, इस में क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह लोग हैं, सुनते हैं। आप की बात सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं।

बाबू रामनारायणसिंह : ठाकुर दास जी कहते ह कि ऐसी बात तो मैं रोज़ ही कहता हुं, लेकिन उस से क्या होता है। तो होता हो या नहीं होता हो, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो कहना ही पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था और मेरे कहने का मतलब था कि इस तरह का बिल सरकार को नहीं लाना चाहिये। मैं यह भी कहे देता हूं कि इस तरह का बिल, इस तरह का विधेयक इस सरकार को लाने का कोई हक़ भी नहीं है। यहां अभी इस तरह का बिल लाया गया है कि जिस से सरकार को आमदनी होगी। तो सरकार की तरफ से यह कहना भी बहुत ज़रूरी है कि कितने आदमियों पर यह टक्स लगेगा। यह तो हो सक्ता है कि ठीक ठीक संख्या तो यह नही दे सकते लेकिन अन्दाज़न संख्या तो इन को देनी चाहिये। फिर इस के साथ साथ यह भी कहना चाहिये था कि इस से कितनी आमदनी होगी। फिर जो आमदनी इस बिल से होगी वह किस मद में खर्च होगी यह बात अगर वह कह देते तो उन का कुछ हक़ इस बिल को लाने का हो सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सैक्शन ३ या ४ में है कि एक डिपार्टमेंट बनेगा, फिर बोर्ड बनेगा, कंट्रोलर आफ़ ऐस्टेट्स ड्यूटी होगा, वैल्युअर्स होंगे, इस तरह से यह सब लोग हो जावेंगें। तो जो रुपये लोगों से वसूल होंगे, जो डिपार्टमेंट बनेगा उसी पर सब रुपया खर्च हो जायेगा तो मैं पूछ सकता हूं, और हर एक व्यक्ति पूछ सकता है, कि उस दशा में इस तरह के टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है ? सरकार का स्थान हमारे देश में क्या है ? वह हमारे देश की मैनेज़र है, हमारे मुल्क की मैनेज़र है। जो हमारे देश की सम्मिलित शक्ति है, सम्पत्ति है, इस का उस को प्रबन्ध करना है। फिर यह प्रबन्ध किस के हक़ में, किस के हित में, करना है ? तो यह प्रबन्ध समाज के हित में, लोक हित म करना है। अगर एसा नहीं हो तो फिर जिस तरह से अभी तक चल रहा है, मुझे यह कहने में दुःख मालूम होता है और लज्जा मालूम होती है, और उन को शायद सुनने में भी बुरा मालूम होता है, उस प्रबन्ध से तो ऐसा मालूम होता है कि वह प्रबन्ध अपने हित में कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतबल यह है कि कम से कम यह तो पक्का हो जाना चाहिये कि कितना रुपया होगा और किस मद में खर्च होगा। यह तो इन को बताना चाहिये और अगर यह एसा नहीं बताते या नहीं बताना चाहते तो इस तरह का बिल भी इन को नहीं लाना चाहिये।

सब कोई जानते हैं कि स्विटज़रलैंड में यह नियम है कि जितने महत्वपूर्ण कानून होते है तो वहां प्लीबीसाइट (जनमत) की तरह हर एक आदमी से वोट ले लिया जाता है। तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि स्विटज़रलैंड की तरह अगर यह बिल प्रकाशित किया जाय और जितने इस देश के बाशिन्दे हैं सब से पूछा जाय तो शायद दस आदमी भी इस के पक्ष में वोट नहीं देंगे। कांग्रेस वालों का छोड़ दीजिये, क्योंकि यह लोग तो हुक्म के ऊपर चलते हैं इसलिये इन के बारे में तो ज्यादा शक नहीं है कि यह किधर वोट देंगे। लेकिन इन लोंगों के अलावा जो कांग्रेस पार्टी में है या नेहरू जी के हुक्म में हैं इन लोगों के अलावा अगर दूसरों से पूछा जाय तो शायद उन में से दस वोट भी उन को नहीं मिलेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप शायद उधर की पार्टी के लिये कह रहे हैं, वह तो बहुत ज्यादा इस बिल के हक़ में हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : यह तो मेरे कहने का मतलब नहीं है कि खाली कांग्रेस या नेहरू जी ही ग़लती करते हैं, इधर के नहीं करते हैं। य भी गलती करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस के लिये एक वायुमंडल होना चाहिये, इस के लिये प्रचार किया जाय और प्रचार करने के बाद जैसी देश की राय हो वैसे देश के हित में काम किया जाय। यह सब को याद रखना चाहिये कि यह देश के हित में हो, खाली सरकार के ही हित में न हो।

अब यह सवाल है कि यह टैक्स किस रेट से लगेगा। सैक्शन ३४ में कहा जाता है कि इस के लिये भी पार्लिया-मट कानून बनावेगी। यह कानून तो बन ही रहा है। तो फिर आज क्यों नहीं कह देते कि इस रेट से आप लगावेंगे। यह कह देना तो बिल्कुल ज़रूरी था। फिर उस के साथ यह भी बात है कि किस को आप छूट देंगे, या यह कि किसी को छूट देंगे भी या नहीं। हर एक आदमी पर टैक्स लगेगा या जो बहुत धनी लोग हैं, दस बीस लाख जिन की पूंजी है, केवल उन पर ही यह टैक्स लगेगा, यह भी तो निश्चित कर देना चाहिये। इस के बारे में शायद ऐसी बात है कि हर साल फायनेन्स बिल में यह बातें तय की जायेंगी। तो इस से हर साल जो फ़ायनेन्स बिल पेश होगा, जब वह समय आवेगा तो उस समय सारा देश ताकता रहेगा, कि इस साल देशमुख साहब या जो इन के उत्तराधिकारी होंगे, किन को छूट देते हैं या किन को नहीं देते हैं। सारा देश एक दम से ससपेंस में रहेगा। ज़रूरत होने पर तो देश को हर तरह का कष्ट उठाना पड़ता है और उठाना चाहिये। लेकिन बिना ज़रूरत कष्ट उठाना या देश को कष्ट देने का क्या मतलब है ? इस तरह के काम करने की क्या ज़रूरत है ? बहुत से काम हैं जिन को करना ज़रूरी है, फिर ऐसे बेकार कानून बनाना और देश के लोगों को तकलीफ देना, यह काम नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कोई जानते हैं कि सरकार का मतलब यह है कि वह देश के हित के लिये, देश की रक्षा के लिये होनी चाहिये। कानून भी इसी मतलब से बनाय जाते हैं। लेकिन यह इस तरह जैसे एक भाई ने कहा कि इस को इंजिन आफ आप्रैशन (दमन करने का साधन) नहीं होना चाहिये। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है कि जिस में दोनों पक्ष न हों, भला और बुरा। भर्तृ हरि ने किसी स्थान पर कहा है :

"न जाने संसारः ऽमृतमय : कि विषमय :"

यदि दोनों पक्षों को देखा जाय तो उल्टी बातें मालूम होती हैं। एक तरफ़ भलाई देखते हैं तो ऐसा मालूम होता कि ऐसा होना चाहिये। अगर बुराई की तरफ़ देखते हैं तो पता लगता है कि इतनी बुराई भी इस में हो सकती है। तो कानून के बारे में यथासम्भव यह तो कोशिश करनी चाहिये कि बुरे से बुरे आदमी के हाथ में पड़ कर के भी इस से किसी का बुरा न हो सके, किसी पर दबाव न डाल सके, किसी पर जुल्म न कर सके। लेकिन इतनी बड़ी उम्र हो गई, अभी तक तो उपाध्यक्ष महोदय, शायद ऐसा न कोई कानून मैं देख रहा हूं और न कोई ऐसी सरकार देख रहा हूं कि जिस के ज़रिए लाभ हो या लाभ के लिए चेष्टा की गई हो। कोशिश ऐसी करनी चाहिये कि कानून इस ढंग का बने जिस के ज़रिये किसी को

[बाबू रामनारायण सिंह]

धक्का न पहुंचाया जा सके, लेकिन वह तभी मुमकिन हो सकता है कि जब सरकार ईमानदार व सच्ची हो और देश तथा जनता का भला चाहनें वाली हो। तलवार अगर आप किसी भले आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो उस के ज़रिये बहुतों की रक्षा होगी, लेकिन अगर वही तलवार किसी पाजी आदमी के हाथ में रख दें तो वहां बहुतों का घात करने वाली सिद्ध होगी। इसी तरीके से कानून की बात है, अगर कानून को चलाने वाले भले आदमी हुए तो बहुतों को लाभ भी हो सकता है और अगर बुरे आदमियों के हाथ में कानून चलाने का काम चला गया तो सिवाय जुल्म और ज्यादती के उस कानून से कोई लाभ होने की आशा नहीं है। मैं चाहता हूं कि देशमुख साहब इस पर अच्छी तरह से विचार करें। जब सिलेक्ट कमेटी में यह बिल जा रहा है तो उस पर साफ़ साफ़ विचार होना चाहिये। इसे फ़ायनेंस बिल अथवा बोर्ड पर छोड़ देना उचित न होगा। मैं आप को यह सलाह दूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण कानून टैक्स के बारे म आप बनाने जा रहे हैं इस से भला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जब तक आदमी जीता है, उस से कितने ही टैक्स लिये जाते हैं, चलने पर टैक्स, पीने पर टैक्स और खाने पर टैक्स, गरज़ हर चीज पर उस से टैक्स लिया जाता है, अब उस से मरने पर भी टैक्स लिया जायेगा, लेकिन अगर वह मरेगा नहीं तो टक्स कह से मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय मरने वालों के साथ उन की जो ज़मीन और प्रापरटी आदि होती है, वह तो उन के साथ नहीं उठ जाती है।

बाबू रामनारायण सिंह : नहीं, वह तो पीछे रह ही जाती है, लेकिन कहने को तो रह ही जाती है कि मरने पर डैथ ड्यूटी लगेगी; आदमी जब मरेगा तब टैक्स लगेगा। ज़िन्दा रहने पर तो टैक्स का कोई हिसाब ही नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी बहुत से अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं। यदि आप को कोई नया तर्क पेश करना है तो कर दीजिये।

बाबू रामनारायण सिंह : मैं यही चाहता हूं कि इस बिल पर खूब ठीक तरह से विचार किया जाय और अगर इस को मुल्तवी करने के लिये सब लोग राज़ी हो जायें तो इस को अभी स्थगित कर दिया जाये। मेरी अपनी समझ में तो न इस तरह के बिल की ज़रूरत है और न ऐसा बिल लाने का सरकार को कोई हक़ ही है। लेकिन अगर यह बिल सरकार को पास ही करना हो, तो वह इस को ऐसा सुन्दर और ठीक बनाये जिस से किसी को दुःख न पहुंचे और इस तरह जो पैसा मिले, वह खाली सरकार ही न खा जाये, बल्कि वह ग़रीबों को भी पहुंचे। अगर रुपया आप किसी धनिक आदमी से लेते हैं तो वह ग़रीबों को भी पहुंचाया जाय, यह नहीं कि सरकार सब हड़प कर जाय। यह नहीं कि सरकार, जो काफ़ी मोटी है, गरीब और अमीर दोनों से रुपया वसुल करे और अकेली उस को हड़प कर और ज्यादा मोटी हो जाये। इस से देश को कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है। बस, मैं इतना ही कह कर अपनी बात को खत्म करता हूं और आप से मेरी यही मिन्नत है कि इस को पास करने में जल्दी न करें, वरन् इस पर पहले खूब सोच विचार कर लें, तब पास कर।

श्री रामचन्द्र रेडडी (नल्लोर) : पहले मैं इस प्रश्न की चर्चा करूंगा कि प्रकार का विधेयक सदन में प्रस्तुत भी किया जा सकता

है या नहीं। विधेयक के "उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण" के खंड २(१) में यह बतलाया गया है कि जब पहला विधेयक तैयार किया गया था तब केन्द्र को कृषि-भूमि के सम्बन्ध में विधान बनान का अधिकार नहीं था; किन्तु अब कुछ राज्यों ने संविधान के अनुच्छद २५२ के अन्तर्गत आवश्यक संकल्प पारित कर दिये हैं, अतः अब ऐसे राज्यों में विधेयक कृषि-भूमि पर भी लागू हो सकेगा। परन्तु श्रीमान्, मेरा निवेदन यह है कि संविधान के अनुच्छेद २५२ (१) के अन्तर्गत कृषि-सम्पत्ति नहीं आती। अनुच्छेद २५२ (१) में कहा गया है :

> "यदि किन्हीं दो अथवा अधिक राज्यों के विधान-मंडलों को यह वांछनीय प्रतीत हो कि उन विषयों में से, जिनके बारे में संसद् को, अनुच्छेद २४९ और २५० में उपबन्धित रीति के अतिरिक्त, उन राज्यों के लिये विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद् विधि द्वारा करे तथा यदि उन राज्यों के विधान-मंडलों के सब सदनों ने उस लिये संकल्पों पारण किया है तो उस विषय का तदनुकूल विनियमन करने के लिये किसी अधिनियम का पारण करना संसद् के लिये विधिसंगत होगा . . . . . "

परन्तु अनुच्छेद २५२ में जो कुछ कहा गया है उसे अनुच्छेद २६९ द्वारा सीमित कर दिया गया है। अनुच्छद २६९(१) में कहा गया है :

> "निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे, किन्तु राज्यों को खंड(२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे, अर्थात्—
>
> (क) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विषयक शुल्क;
>
> (ख) कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति शुल्क।"

अतः संसद् सम्पत्ति-शुल्क विधेयक कोई विधान केवल कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में बना सकती है। मेरा ख्याल तो यह है कि राज्य विधान-मंडलों द्वारा अनुच्छेद २५२ के अधीन संकल्प पारित कर दिये जाने पर भी कृषि-भूमि इसके अन्तर्गत नहीं आती। मैं समझता हूं कि यदि विधेयक उस रूप में प्रस्तुत किया जाता जिस रूप में कि यह सन् १९४८ में प्रवर समिति से आया था तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं रहती। हो सकता है कि यह विधान अच्छा हो; परन्तु मुझे इसकी सफलता में कुछ शक है क्योंकि आजकल देश में कुछ ऐसी प्रवृत्ति विद्यमान है कि अचल सम्पत्ति एक के अधिकार से दूसरे के हाथ में जा रही है। अतएवः ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का विधान बेकार होगा। यदि सरकार करारोपण जांच समिति तथा वित्त आयोग द्वारा रिपोर्टें प्रस्तुत किये जाने तक रुकी रहती तो अधिक अच्छा होता। सम्भव है कि करारोपण जांच समिति तथा वित्त आयोग सरकार के वर्तमान विचारों से भिन्न मत व्यक्त करें।

हम से कहा गया है कि अन्य प्रगतिशील देशों में सम्पत्ति-शल्क आरोपित किये जा चुके हैं तथा वहां ये विधान सफल रहे हैं। परन्तु अन्य राष्ट्रों या देशों के कानून अपनाने से पहले हमें अपने देश के सामाजिक तथा कानूनी ढांचे पर भी ध्यान देना चाहिये।

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

भारत की वर्तमान परिस्थितियों में इस जैसा विधान बेकार होगा। यह विधान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये अभिप्रत है। परन्तु राज्य तो स्वयं सम्पूर्ण स्थिति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आवश्यक कदम उठा सकते हैं। अतएव यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर केन्द्रीय सरकार को इसकी इतनी चिंता क्यों है।

इस सम्बन्ध में बहुत सी अन्य बातें भी हैं जिन पर प्रवर समिति में चर्चा की जाती है। इसलिये मैं इस समय उन की ओर निर्देश नहीं करना चाहता।

चौधरी रणबीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं; इसलिये नहीं कि मुझे शौक है कि मरने वालों के ऊपर कोई टैक्स लगा दिया जाये, या इसलिये कि टैक्स लगाने का हमें शौक है। टैक्स लगाना किसी सरकार के लिये भी बड़ी दुःखदायक बात होती है, खास तौर पर जहां पंचायती राज्य हो वहां तो इस के खिलाफ़ काफ़ी आवाज़ उठाने का डर होता है। लेकिन इस के साथ साथ हमें इस देश को आगे ले जाना है। मैं बहुत ज्यादा बातें इस सिलसिले में नहीं कहना चाहता। लेकिन बाबू रामनारायण सिंह ने एक बात शुरू में कही थी कि वह किसान हैं, मैं भी उसी नाते से एक बात कहना चाहता हूं, और वह यह कि यहां पर इस देश के अन्दर १०० साल से विदेशियों का राज्य रहा। इस अर्से में जो खेती की तरक्की के लिये पानी बढ़ाने का खर्च किया गया वह अन्दाज़न १५० करोड़ है, और आज की कीमत में वह ५०० करोड़ के करीब पहुंचता है। लेकिन इन आने वाले पांच सालों में खती के लिये पानी बढ़ाने की जो स्कीम है उस के उपर जो खर्च किया जाने वाला है वह ६०० करोड़ से भी ऊपर होगा। तो १०० साल का जो काम है उसको हम पांच साल में करना चाहते हैं। मगर हमारी सरकार के पास कोई ऐसा जादू का डंडा तो है नहीं जो इस काम को पूरा कर दे। उस काम के लिये कुदरती बात है कि रुपया चाहिये और रुपये के लिये हमें ज़राय तलाश करने हैं। तो जहां और कोई तरीके हो सकते हैं वहां यह भी एक तरीका है।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस बिल का जहां मैं समर्थन कर रहा हूं, उस के साथ साथ मैं सेलक्ट कमेटी के लिये एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं ताकि वह इस पर गौर करे। पहली बात तो यह है कि जहां आप मरने वालों पर टैक्स लगा रहे हैं वहां अगर आप चाहते हैं कि इस टैक्स की चोरी न की जाये तो जायदाद के ट्रान्सफर (हस्तान्तरण) पर भी टैक्स होना चाहिये क्योंकि प्रापर्टी दो ही कामों के लिये ट्रान्सफर की जायेगी। या तो इसलिये कि लोग टैक्स की चोरी करना चाहते हैं या इसलिये कि वह लैविशली खर्च करना चाहते हैं। तो हम जब एक तरफ उन भाइयों को टैक्स कर रहे हैं जो अपना रुपया बचा कर के और देश के दूसरे उत्पादन में लगा कर देश की तरक्की करना चाहते हैं, तब जो अपनी ज़िन्दगी में फिज़ूलखर्ची करके सारा रुपया खराब कर रहे हैं उन के ऊपर टैक्स लगना तो बहुत ज्यादा ज़रूरी है। जहां तक चोरी का ताल्लुक है, इस देश के सम्पत्ति के मालिकों के लिये यह कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे त्यागी जी जब से वज़ीर बने हैं उन्होंने इन्कम टैक्स का करोड़ों रुपया उन लोगों से बरामद किया है, और कर रहे हैं, जिन्होंने इस की चोरी की थी।

अगर फिर आप एक कमीशन बनाना चाहें या फिर एक त्यागी जी जैसा वजीर बनाना चाहें तो बात दूसरी है कि आप उन की सम्पत्ति ट्रान्सफर करने पर टैक्स न करें। वरना टैक्स तो आप को लगाना ही होगा।

एक और बात मैं बाबू रामनारायण सिंह जी के भाषण के सिलसिले में कहना चाहता हूं। हमारे यहां तो उस को चार्ज कहते हैं पता नहीं उन्होंने क्या कहा था.....

बाबू रामनारायण सिंह : कंटहा ब्रांह्मण।

चौ० रणबीर सिंह : एक बात मैं उन से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के एक मंत्री त्यागी हैं चाहे वह उन को कंटहा ही क्यों न कहें। इस लिये कंटहा त्यागी के होते हुए हमें डर की ज़रूरत नहीं है।

३ म० प०

दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता था वह यह है कि पहले की सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट और इस बिल में एक फर्क है और वह यह कि इस में मैक्सिमम एग्ज़म्पशन (अधिकतम छूट) की लिमिट (सीमा) नहीं रखी गई है और रेट (दर) प्रेसक्राइब (निश्चित) नहीं की गई है। इस के कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदय से और सिलैक्ट कमेटी से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज देश एक बहुत नाज़ुक हालत में से हो कर गुज़र रहा है और पिछले पांच साल में जिन्हें पैटी बुर्जुआ या इंटलीजेंशिया कह सकते हैं उनके ऊपर खासी सख्ती हुई है। वह ऐसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं जिन से आम लोगों को भड़का सकें। अगर हम लिमिट मुकर्रर नहीं करेंगे तो उनके हाथ में यह और एक हथियार होगा। इस सिलसिले में मैं आप को अपने प्रदेश की एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह ज़मींदारी ऐबोलीशन का कानून बना। हमारे इलाके में जिस आदमी के पास एक बटे पांच एकड़ ज़मीन भी है वह अपने को ज़मींदार कहता है। इधर पांच साल से रेडियो का भी प्रचार था, अख़बारों का भी प्रचार था और सरकार के पबलिसिटी महकमे का भी प्रचार था कि जमींदारी ख़त्म हो रही है। हमारे इलाके के लोगों ने यह समझ कर कि जो कायदे कानून आगे बनने वाले हैं इस से उन की भी ज़मींदारी ख़त्म हो जायगी इस लिये बहुत से छोटे छोटे किसान मालिकों ने भी कांग्रेस को मत नहीं दिया। मैं मानता हू कि आगे चल कर मंत्री महोदय को या सिलैक्ट कमेटी को या सरकार को और इस हाउस को अधिकार है कि जो कानून बने उस में तबदीली कर लें लेकिन फिलहाल जब हम एक नया काम कर रहे हैं उस को ठीक से करें। कानून बना रहे हैं तो ऐसा कानून बनायें जिस की कम से कम मुखालफत हो। आज ही एक भाई ने यह कहा कि इस कानून से जो ज़मीन के मालिक हैं उन पर भी टैक्स लगगा, इसलिये वह इस का समर्थन नहीं करना चाहते। तो हमारे इलाके का वह आदमी जिस के पास एक बटे पांच एकड़ ज़मीन है वह भी यह समझेगा कि उस के ऊपर भी टक्स लगेगा क्योंकि आप ने कोई लिमिट नहीं मुकर्रर की है। मैं तो इस चीज़ में श्री लंका सुन्दरम जी से मुत्तफिक हूं। यह कायदा और क़ानून बनाना ज़रूरी था इसलिये कि एक तरफ़ जो ज़मीन के मालिक थे उन के लिये जमींदारी एबोलीशन का क़ानून बनाया गया है, पर दूसरी तरफ जो भाई कारखानेदार हैं उन की सम्पत्ति को बांटने या टैक्स करने का हमारे पास कोई क़ायदा क़ानून नहीं था। ताकि पोलीटिकल और सोशल जस्टिस (राजनैतिक और सामाजिक न्याय) हो इसलिये यह कानून का मसविदा हाउस के सामने लाया गया है। इस कानून का कोई बुरा असर

[चौ० रणवीर सिंह]

न पड़े और कुछ लोगों को आम जनता को भड़काने के लिये एक साधन न मिल जाये इस लिये मैं सिलैक्ट कमेटी से प्रार्थना करता हूं कि वह छूट की कोई लिमिट मुकर्रर कर दें।

इस के अलावा एक और बात है। आप इस क़ानून को इनकम-टैक्स की तरह नहीं मान सकते, कम से कम जहां तक उस की दर का वास्ता है। इनकम टैक्स का कानून साल में सब के लिये एक सा होता है पर मरने वाले तो एक साल में नहीं मरते, कुछ पहले मरते हैं कुछ पीछे मरते हैं, इसलिये सब के लिये यह एक सा नहीं रहेगा। फ़र्ज़ कीजिये कि कोई बड़ा सेठ एक साल में मरता है और दूसरा छोटा आदमी दूसरे साल में मरता है। बड़ा सेठ जिस साल मरे अगर उस साल टैक्स कम होगा तो इस सरकार को बदनाम करने के लिये बहुत से भाई कहेंगे कि फलां सेठ ने टैक्स कम कराया था। वह कहेंगे कि यह समझ कर कि वह सेठ बीमार रहते हैं और गालिबन गुज़र जायेंगे यह टैक्स कम किया गया है। तो इसलिये भी कि सरकार की बे मतलब टीका टिप्पणी न हो यह ज़रूरी है कि लिमिट भी रखें और टैक्स की दर भी रखें।

सरदार लाल सिंह (फ़ीरोज़पुर-लुधियाना) : कम से कम सिद्धान्त रूप से तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता ही हूं। मैं यह जानता हूं कि प्रवर समिति को इस विधेयक पर विचार करते हुए अनेक कठिनाइयां आयेंगी। उदाहरण के लिये उसे यह ख्याल रखना होगा कि संयुक्त परिवार विभक्त न हो जायें। समिति को यह भी देखना होगा कि कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े न हो जायें। कृषि-भूमि के सम्बन्ध में छूट की सीमा भी काफ़ी अधिक रखनी होगी। इस के अतिरिक्त भूमि का मूल्य निर्धारित करते समय भूमि के बाज़ार-मूल्य पर ही नहीं बल्कि उससे होने वाली आय या उत्पादन मूल्य पर भी ध्यान देना होगा। प्रवर समिति को विधान का ऐसा रूप तैयार करना होगा जिस से हमारे अधिक उत्पादन करने के प्रयत्नों में बाधा न आये। प्रवर समिति को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि भारत में उपज संसार में सबसे कम होती है। यद्यपि कम उपज होने के अनेक कारण हैं, तथापि कृषकों के पास धन का अभाव इसके लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ऐसी दशा में यदि उन से मृत्यु शुल्क बहुत अधिक लिया गया तो उससे उपज और भी कम हो जायेगी। अतः प्रवर समिति को ऐसे मार्गोपाय ढूंढने होंगे कि १०० एकड़ या २०० एकड़ भूमि रखने वाले कृषकों के लिये उक्त शुल्क का भुगतान करना सम्भव हो सके।

देहाती क्षेत्रों में कृषि-भूमि के सम्बन्ध में छूट की सीमा अधिक रखें जाने के अतिरिक्त मकानों को भी कर से मुक्त रखना होगा। इस का मुख्य कारण यह है कि देहातों में मकान किराये पर नहीं उठ सकते — यानी उन्हें किराये पर उठा कर इतनी आय नहीं की जा सकती जितनी कि नगरों में। सरकार को चाहिये कि वह देहातों में प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करे ताकि अधिक से अधिक लोग गांवों में जा कर बसने को प्रलोभित हों।

प्रवर समिति को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस विधान के फलस्वरूप भूमि सुधार की कार्यवाहियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थक हूं। सच तो यह है कि यह विधान बहुत पहले प्रस्तुत

किया जाना चाहिये था। विगत काल में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने ही प्रयत्न किये गये, किन्तु किसी न किसी कारणवश यह न आ सका। यह विधेयक उससे कहीं अच्छा है जिस पर पहली प्रवर समिति द्वारा विचार किया गया था परन्तु कुछ बातें उस ने अधिक अच्छी रखी थीं। उसने छूट की सीमा एक लाख रूपये निश्चित की थी। अब यदि सीमा उतनी न रहे तो न सही, कुछ कम कर दी जाये। परन्तु यह सीमा बहुत कम भी न रखी जाये। वित्त मंत्री के कथनानुसार तो शुल्क की दरें तो प्रत्येक वर्ष वित्त अधिनियम द्वारा निश्चित की जायेंगी। परन्तु यह तरीका ठीक नहीं है। हमें यह भी नहीं मालूम है कि सम्पत्ति-शुल्क से होने वाली आय का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा। पहले भी सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि सम्पति-शुल्क से होने वाली आय ऐसे कामों में व्यय की जाये जो समाज का विकास करने वाले हैं। बहुत से लोगों को यह डर है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली आय का सदुपयोग नहीं होगा और वह विकास कार्यों या सामाजिक योजनाओं पर खर्च नहीं की जायेगी। अतः सरकार को चाहिये कि वह यह आश्वासन दे दे कि इसका उपयोग दिन प्रति दिन के खर्चे में नहीं, बल्कि विशेष प्रयोजनों के लिये ही किया जायेगा।

यह विधान स्वागत के योग्य हैं क्योंकि आज सारा देश आर्थिक संकट में फंसा हुआ है जिसका मूल कारण आय तथा उसके वितरण में असमानता होना है। जथार तथा बैरी के अनुसार देश की एक तिहाई से भी अधिक सम्पत्ति का उपयोग कुल जनसंख्या के केवल १ प्रतिशत भाग द्वारा किया जाता है। यदि देश में यही स्थिति रही तो उस दशा में जनसमुदाय के साथ आर्थिक न्याय करना असम्भव हो जायगा।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह यह निर्णय करले कि उस की नीति प्रत्यक्ष कर अधिक लगाने की रहेगी या अप्रत्यक्ष कर। अन्य सभी प्रगतिशील देशों में तो प्रवृत्ति यह है कि वे प्रत्येक्ष करों को अधिक पसन्द करते हैं। कारण स्पष्ट है। कर ऐसे लोगों पर लगाना चाहिये जो देने में समर्थ हों। इसका अधिकांश बोझ अमीरों पर होना चाहिये, गरीबों पर नहीं। भारत सरकार की भी यही नीति होनी चाहिये। परन्तु खेद का विषय है कि आज हमारी सरकार की नीति यह नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार गरीबों को राहत दे जो बेचारे पहले से ही बहुत दबे हुए हैं। यदि सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है तो इसे विरोधी पक्ष का रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा और वह सरकार के साथ होगा।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : यदि यह विधेयक केवल करोड़पतियों पर ही कर लगाने तक सीमित रहता तो मुझे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न होती। परन्तु, मुझे आशंका है कि इससे देश के मध्यम वर्ग के लोगों को हानि पहुंचेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इसके प्रति कुछ आशंकायें हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है। हम सभी जानते हैं कि हिन्दू कोड बिल की कितनी कटु आलोचना की गई थी। अब सरकार इस विधेयक के द्वारा हिन्दू कोड बिल को ही अप्रत्यक्ष रूप से पेश कर रही है। परिवार से अलग हुए व्यक्ति से तो कर लिया जा सकता है, परन्तु आम किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर कैसे लगा सकते हैं? यह तो केवल हिन्दू विधि में परिवर्तन करके ही किया जा सकता ह। अतएव मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह हिन्दू कोड बिल का ही एक रूप है और

[डा० एन० बी० खरे]

जनता उसके विरुद्ध है। ऐसा विधेयक तो केवल मिताक्षर विधि को रद्द करके ही प्रस्तुत किया जा सकता है।

अब तक तो यह कहा जाता था कि कृषि-सम्पत्ति पर कर नहीं लगेगा। परन्तु अब कृषि-भूमि भी इस के अन्तर्गत सम्मिलित की जा रही है। एक ओर तो आप सहकारी ढंग पर खेती करने के स्वप्न देख रहे हैं और दूसरी ओर इस विधेयक को लाकर भूमि के टुकड़े करवा रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। ये दो बातें किस प्रकार संगत हैं?

तीसरी आपत्ति मुझे यह है कि मैं यह नहीं चाहता कि सरकार के हाथ में अतिरिक्त धन आये क्योंकि उसके दुरुपयोग किये जाने का डर है।

श्री पी० सुब्बा राव (नौरंगपुर) : मैं इस विधेयक का एक राजकर सम्बन्धी विधान के रूप में समर्थन करता हूं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह आशा प्रकट की गई है कि सम्पत्ति शुल्क के आरोपण से धन वितरण की असमानता एक बड़ी सीमा तक दूर हो सकेगी। परन्तु मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा किस प्रकार हो सकेगा। यदि कर के डर से लोग सम्पत्ति को भेंट, दान आदि द्वारा वितरित करने को प्रलोभित हों तब तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। परन्तु खंड ८, ९ और १० के द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भी प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। यदि उद्देश्य यह है कि सम्पत्ति का समान रूप से वितरण हो तो फिर ये प्रतिबन्ध क्यों लगाये जा रहे हैं? मेरी राय में तो इस विधेयक से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती।

दूसरी आपत्ति मुझे यह है कि सम्पत्ति शुल्क विधेयक साझेदारी तोड़ कर हिन्दू विधि का उल्लंघन करता है।

बहुत से लोग अपनी जीविका कृषि करके अर्जित करते हैं। कुछ राज्यों ने, उदाहरणार्थ उड़ीसा ने, ५,००० रुपये तक की कृषि आय को कर से मुक्त कर रखा है। ५,००० का पन्द्रह बीस गुना ७५,००० या १,००,००० रुपया हुआ। तो विधेयक में कृषि आय के सम्बन्ध में छूट की सीमा इतनी ही रखी जानी चाहिये। बीमे इस शुल्क से मुक्त रहने चाहियें। इसके अतिरिक्त स्त्री-धन पर भी कर नहीं लगना चाहिये। यदि स्त्री-धन पर भी कर लगाया गया तो इससे स्त्रियों को बहुत कठिनाई होगी विशेष रूप से ऐसी स्त्रियों को जो ग़रीब हैं।

शुल्क की दर विधेयक में भी निर्धारित कर दी जानी चाहिये --वित्त विधेयक पर नहीं छोड़ी जानी चाहिये। जहां तक छूट की सीमा का प्रश्न है, पहले विधेयक में तो यह एक लाख रुपये रखी गई थी। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई सीमा निश्चित की जानी अत्यावश्यक है और यह मुख्य विधेयक में होनी चाहिये न कि वित्त विधेयकों में।

श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मृत्यु कर के सम्बन्ध में विरोधी दल में खड़े रहने के कारण कहीं यह स्वाभाविक न समझा जाय कि हम हर एक बात में सरकार का विरोध करते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ कारणों से विरोध करना पड़ रहा है और वह कारण यह है कि हमारे कुछ माननीय भाइयों ने, जिन में भाई लाल सिंह जी और श्री गुरुपादस्वामी हैं, यह कहा कि वे पूर्ण हृदय से इस का समर्थन करते

हैं। परन्तु यदि उनके तर्कों को देखा जाये तो यही मालूम होगा कि उन्होंने भी इस का विरोध ही किया है। मैं उन्हीं के शब्दों में यह कहूंगा कि लाल सिंह जी ने प्रारम्भ में यह कहा कि मैं इस का पूर्ण समर्थन करता हूं, यह बहुत उन्नतिशील और प्रगतिशील विधेयक है, किन्तु हिन्दु संयुक्त प्रथा का ध्यान अवश्य रखना चाहिये, एग्रीकल्चरल प्रापर्टी (कृषि-भूमि) का ध्यान अवश्य रखना चाहिये। यह सब कहने के बाद यदि कोई कहे कि मैं इस का समर्थन कर रहा हूं तो मैं कहूंगा कि वस्तुतः विरोध करते हुए वह मुख से समर्थन कर रहा है। यह भी आजकल का एक फ़ैशन है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि अर्थ नीति में हमारे अर्थ मंत्री समय समय पर कहा करते हैं: 'पुष्पं पुष्पं विचिन्वीत' किन्तु आज 'मालावार इवारामे न इवांगारकारकः' को भूल कर सारे वृक्ष को आग लगा कर भस्म कर देने की तैयारी कर रहे हैं। कारण यह है कि किसी व्यक्ति की इनकम पर यह टैक्स नहीं है। यह टैक्स एक ही प्रापर्टी पर चलेगा और जितनी ही बार उस धर में कोई मरेगा उतनी ही बार वह टैक्स चलता रहेगा और एक तरह वह सारी प्रापर्टी सरकार की जेब में चली जायेगी और फिर उस का चक्र ब्याज चलता ही रहेगा। वह कभी भी समाप्त होने में नहीं आयेगा। इस के उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है कि इसका उद्देश्य सम्पत्ति का विकेंद्रीकरण और असमानता निवारण है। इस से सम्पत्ति जनता से हट कर राष्ट्र के पास आ जायेगी और सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण होगा परन्तु यह भी एक धोखा है। वस्तुतः सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं है वरन् सम्पत्ति का सरकारीकरण हो है, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि यह सम्पत्ति का दलीकरण है। यह कानून सारी प्रापर्टी को एक ही दल के हाथ में दे देगा। परन्तु इस दलीकरण में कुछ दोष है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत से महानुभाव हैं जिन के मन में सदा राष्ट्र के लिये दर्द रहता है और जो जनता के सुख दुःख का ध्यान रखते हैं। अभी सुना है कि आठ करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन द्वारा खर्च हुआ है। आशा है कि इस का अच्छा फल निकलेगा। यह ठीक है कि यह सरकार दूध की धोयी हुई है और व्यक्तियों के हित में काम करती है। परन्तु यदि यह कल दूसरों के हाथ में चली जाय तो आप समझ सकते हैं कि उस परिस्थिति में जनता के हाथ से निरन्तर इस शक्ति को खींचते जाना जनता की हत्या करना है।

दूसरे जो मैं इस का विशेष रूप से विरोध कर रहा हूं वह हिन्दू धर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि इस का प्रधान प्रभाव हिन्दू धर्म शास्त्र पर पड़ता है। पिछले आठ वर्ष या इस से भी ज्यादा समय से हिन्दू कोड बिल का विरोध जनता एक कोने से दूसरे कोने तक करती रही है। इस के दो ही प्रधान कारण थे, एक आर्थिक और दूसरा धार्मिक। उन के जन्मसिद्ध अधिकारों को नष्ट करने के लिये इस विधेयक का विशेष उद्देश्य है। कारण जन्मसिद्ध अधिकार हिन्दू शास्त्र के अनुसार और मिताक्षर के अनुसार कभी नष्ट नहीं होते हैं। हम अमरीका, कनाडा और इंगलैंड की ओर तो ध्यान देते हैं, पर जब हम स्वराज्य मांगते थे तो हम कहते थे कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम यह नहीं कहते थे कि यह हमारा मृत्युसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार होने पर मृत्युसिद्ध अधिकार कैसे हो सकता है। देखा जाय तो हिन्दू शास्त्र के अनुसार सम्पत्ति का मालिक नहीं मरता है। इसलिये हमारे यहां सन्तान शब्द आता है। सन्तान का अर्थ यह है कि तागा टूटता नहीं है, कोई ऐसी स्टेज नहीं आती कि जन्मसिद्ध अधिकार बिना अधिकारी के रह जाये। माता के गर्भ में आने

[श्री नन्दलाल शर्मा]

के दिन से जो व्यक्ति अपने पिता और पितामह की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है उस की सम्पत्ति पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। किसी की मृत्यु के बाद उस का अधिकार नष्ट नहीं होगा। जब मृत्यु के ज़रिये अधिकार नष्ट नहीं होता तो टैक्स कैसे लग सकता है। ऐसा करना हिन्दू धर्म पर कुठाराघात करना होगा।

इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा विविध वर्गों के सम्बन्ध में विविध बातें कही जा चुकी हैं। सब से उत्तम तर्क यह था कि राजा-महाराजाओं ने देश को लूट लिया और खूब टैक्स लिये। लेकिन आज हम उन से सैंकड़ों गुना ज्यादा टैक्स लगाने को तैयार हो रहे हैं और अपनी सरकार का खर्चा किसी प्रकार कम करने को तैयार नहीं हैं। वस्तुतः यह रोग का इलाज नहीं है। आप लोग इंगलैंड अमरीका आदि के बाह्य दिखावे की तरफ़ आंख लगाये उस तरफ़ खिंचे चले जा रहे हैं। हमारा निवेदन है कि इस से आपके जीवन की समस्यायें बढ़ जायेंगी और समस्यायें बढ़ने से आप का दुःख और कष्ट बढ़ता ही चला जायेगा। सरकार अपना खर्च कम करे और जहां तक हो सके जनता के ऊपर कम बोझ डाले ऐसी ही सरकार का जनता स्वागत करती है।

इस लिये मैं ने जैसा पहले कहा "न इवागंरकारक:" के अनुसार ही सदा भारत की नीति रही है। मैं फिर अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि हम चाहते हैं कि यह सरकार बनी रहे। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार से इस का सिंहासन डोल जाये। हम यह बात निश्चित रुप से कहते हैं, चाहे इस के लिये हमारे कम्युनिस्ट भाई कुछ भी कहें। उन के मन में तो यह भावना आती है कि यह सोसायटी किसी तरह से टूट जाये और वह सरकार ऐसे भयंकर से भयंकर टैक्स लगाये जिस से कि जनता इस के विरुद्ध हो जाये और इस का तख्ता पलट जाये। हम चाहते हैं कि यदि यह सरकार सचमुच जनता की भलाई करने को तैयार है तो यह सदा अटल रहे। हमें यहां किसी शत्रु को नहीं बिठाना है। लेकिन साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप जनता के हृदय को ठेस न लगायें, जनता के जीवन पर आप लात न मारें। इस बिल से यह दोनों बातें होती हैं। एक तो जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है उस को ठेस लगाना है और दूसरे उनके ऊपर निरन्तर आर्थिक बाधा डालना है। प्रति बार जब कोई मृत्यु हो जायेगी तो टैक्सेशन होगा यद्यपि उस प्रापर्टी से कोई चीज बढ़ने वाली नहीं है। इसलिये मैं इस का फिर विरोध करता हूं।

अभी इस के अन्दर सिलैक्ट कमेटी द्वारा और परिवर्तन होंगे। अभी तो यह भी नहीं बतलाया गया कि किस के ऊपर टैक्स लगेगा, किस दर से टैक्स लगेगा। यह सब बातें जब सामने आवेंगी तब उन के विषय में मैं फिर कहूंगा। अभी तो हमें यह पता चला है कि हिन्दू कोड बिल के पीछे जो एक थैला था उस में यह एक छिपा हुआ बिलाव था। वह तो बाहर आया। अब उस में न जाने कितने और छिपे पड़े हैं, वह धीरे धीरे सामने आवेंगे तब उन के सम्बन्ध में बोलूंगा।

श्री नामधारी (फाजिल्का-सिरसा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं ने जब यह बिल पढ़ा तो मैं ने सोचा कि इस को जो पेश करने वाले हैं आया वह कोई इन्सान है या फरिश्ता हैं, क्योंकि इस में सिर्फ़ समाज सुधार ही नहीं है, बल्कि इस के द्वारा मुक्ति भी प्राप्त हो सकेगी। जो बच्चे कुनैन बिल्कुल नहीं खाते उन को जब मलेरिया होता है तो मां बाप का फ़र्ज होता है कि ज़बरदस्ती

उस को कुनैन पिलाई जाये। हमारे मुल्क में चूंकि इस वक्त बहुत सारे कंजूस भी हैं तो उन के लिये यह बिल मुक्ति का दरवाज़ा है। एक आदमी मुझ से कहने लगा कि एक कंजूस थे। उन से एक आदमी ने कहा कि मुझे दवाई के लिये चालीस वर्ष का पुराना नीबू चाहिये। उस ने कहा कि मेरे पास हैं। तो उस ने कहा कि मुझ दवा के लिये दे दो तो उसे कंजस ने जवाब दिया कि अगर मैं ऐसे ही देता रहा तो फिर वह चालीस वर्ष का पुराना कैसे होगा। तो ऐसे लोग जो कभी दान पुन्य नहीं करते और नरकगामी होते हैं, उन के लिये मां बाप की तरह हमारे परम पूज्य श्री देशमुख साहब ने, जो देश के मुख हैं, उन के मुंह में ज़बरदस्ती कुनैन पिलाने के लिये बिल रखा है। मैं समझता हूं कि अगर हमारे बुजुर्ग माननीय पंडित जी को या हिन्दू महासभा के प्रेसीडेंट साहब को, जो हिन्दू धर्म के वृक्ष हैं, इस बात का पता होता तो हमारे भाई, जिन को जबरदस्ती नरक से निकाल कर स्वर्ग में डाला जा रहा है, इसको अपोज़ नहीं करते। मैं इस बिल के ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता, थोड़ा ही कहना चाहता हूं।

इस बिल में दूसरी बात मैं यह समझता हूं कि बहुत सारा लिटिगेशन (मुकदमेबाज़ी) लड़कों में और बाप में होता है वह टल जायेगा। अगर एक आदमी दस लाख रुपये की सम्पत्ति रखता है तो कुदरती बात है कि अगर २५ फ़ी सदी टैक्स लगाया गया तो वह टैक्स ढाई लाख रुपये हो जायेगा। ऐसे आदमी होते हैं कि जो इतनी सम्पत्ति रखते हुए भी अपने लड़कों को जायदाद नहीं देते। तो अब वह ज़िन्दा रहते हुए भी कम से कम अपनी जायदाद को तकसीम कर देंगे। तो अगर एक चौथाई हिस्सा सब को दिया तो उस के पास दस लाख का चौथाई हिस्सा ही आयेगा और उसी पर टैक्स लगेगा। तो इस बिल से एक यह भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जितने खान्दान के मैम्बर हैं वह बड़ी अच्छी तरह से अपनी ज़िन्दगी बसर कर सकेंगे। कई कंजूस आदमी जो अपनी सारी उम्र जायदाद पर क़ब्ज़ा किये रहते हैं और बच्चों को कुछ नहीं देते, एक तरह से 'फिक्स्ड डिपाज़िट' की तरह अपने पास ही रखते हैं, तो उन का वह सैल्फिश मोटिव ठीक करने के वास्ते हमारे जो माननीय मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। इस सिलसिले को कामयाब करने के वास्ते, खास कर के जो धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उन का यह फ़र्ज़ है कि जो ज़बर्दस्ती लोगों को पाप से बचा कर, नरक से निकाल कर स्वर्ग में पहुंचाने का तरीका है उस की मदद करें। अगर गलती से कोई बच्चा आग में हाथ दे देता है तो आग का धर्म है कि वह उस को जला दे और वह हाथ जल जाता है; इसी तरह से अगर गलती से भी राम का नाम निकल जाता है तो जन्मों का पाप चला जाता है। इसी गलती से यह दान हो जायेगा तो उन की भलाई ज़रूर हो जायेगी और इसलिये मैं इस बिल को बड़े ज़ोर से सपोर्ट करता हूं।

श्री आलतेकर : इस अमुक विधान द्वारा उत्तराधिकार के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके फलस्वरूप हिंदू संयुक्त परिवारों के विभक्त होने का भी कोई भय नहीं है। अतएव यह आलोचना कि इस विधान के फलस्वरूप उत्तराधिकार के अधिकार पर या हिन्दू संयुक्त परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, पूर्णतः अर्थहीन है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

एक और बात जो मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं यह है कि जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, किसी वर्ग विशेष

[श्री आल्तेकर]

को इससे मुक्त नहीं किया जाना चाहिये । यह सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होना चाहिये। इससे किन्हीं व्यक्तिगत कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा । इन सब बातों को देखते हुए मेरी अपनी राय तो यह है कि यह अमुक विधान पूर्णत: न्यायोचित है और इससे किसी भी दिशा में हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

सम्पत्तियों में समानता स्थापित करने के प्रयत्न तो हम राष्ट्र के हित के लिये ही कर रहे हैं। धनवान् लोगों द्वारा इतना अधिक धन कमाये जाने में आखिर सरकार का भी तो कुछ हाथ है। सरकार ने उन के लिये अनेक सुविधायें उपलब्ध कर रखी हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार के कारण ही वे इतने वैभव का उपयोग करते हैं। अब यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु के पश्चात् उनकी सम्पत्ति का कुछ अंश सरकार को भी मिले ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में मुझे प्रवर समिति को कुछ सुझाव देने हैं ताकि वह इस पर विचार करते समय उन पर पूरा पूरा ध्यान दे । मेरा ख्याल है कि जहां तक धर्मार्थ तथा सार्वजनिक संस्थाओं का सम्बन्ध है, यह कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिये। यदि कोई सम्पत्ति ऐसी किसी धार्मिक संस्था को भेंट में दे दी जाती है तो उस पर इस विधेयक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये । ऐसे धन का उपयोग तो लोक-हितकारी कार्यों में किया जाता है, अत: उस में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

दूसरा सुझाव मुझे यह देना है कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से — जैसे प्लेग, हैजा आदि भीषण बीमारियों के कारण —किसी सम्पत्ति विशेष का उत्तराधिकार जल्दी जल्दी एक से दूसरे के हाथों में चला जाये तो उस परिस्थिति के लिये कोई स्पष्ट तथा विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रवर समिति को चाहिये कि वह विधेयक में कोई ऐसी बात न रहने दे जो अस्पष्ट हो या जिसके एक से अधिक अर्थ निकल सकते हो । मैं चाहता हूं कि जब यह विधेयक प्रवर समिति से वापस लौटे तो पूर्णत: स्पष्ट हो तथा इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश ही न रहे । मैं चाहता हूं कि विधेयक के खंड ३० के अन्तर्गत – जो भूमि या व्यापार के उत्तराधिकार के जल्दी जल्दी एक से दूसरे के हाथ में जाने के सम्बन्ध में है — मकान तथा अन्य सम्पत्ति भी शामिल कर ली जायें । मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पूर्वज तो बहुत बड़े बड़े मकान छोड़ गये हैं, परन्तु उनके पास उन मकानों की मरम्मत करवाने के लिये भी धन नहीं है । अब यदि ऐसे मकानों पर भी सम्पत्ति शुल्क लगा तो वे लोग तथा उनके उत्तराधिकारी—कुछ समय में बेघर हो जायेंगे । अतएव उत्तराधिकार के जल्दी जल्दी बदले जाने की दशा सम्बन्धी उपबन्ध में मकान तथा अन्य सम्पत्ति शामिल कर ली जानी चाहिये यदि उत्तराधिकारी निकट सम्बन्धी हों तब तो उन्हें यह छूट मिलनी चाहिये; हां, अगर सम्पत्ति उनके अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को मिले, तो उन पर कर लगाना ही चाहिये । क्योंकि उनके लिये तो यह एक अप्रत्याशित लाभमात्र है । ऐसी दशा में, उन पर पूरा पूरा कर लगाना चाहिये और उन्हें कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिये ।

इन सुझावों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सदन से इसे पारित करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मैंने इस विधेयक पर दिये गये भाषणों को सुना है

और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि इस की तीन दृष्टिकोणों से आलोचना की गई है—विधि सम्बन्धी, सामाजिक तथा आर्थिक। जहां तक विधि सम्बन्धी आलोचना का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि यह सदन इस प्रकार का विधान पारित करने को सक्षम नहीं है। इस विधेयक के फलस्वरूप समझदारी नहीं टूटेगी; ऐसा तो केवल तभी हो सकता है जब बटवारे के लिये मुकदमा दायर किया जाये या संयुक्त परिवार सम्पत्ति का बटवारा कराने के लिये नोटिस दिया जाये। अपने आप इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतएव इस विधेयक द्वारा कोई अवैध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

दूसरा दृष्टिकोण है सामाजिक न्याय। हमें इस दृष्टिकोण से भी इस पर विचार करना है। हमारे देश में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता विद्यमान है। अतएव यह सरकार का नैतिक कर्त्तव्य ही नहीं अपितु वैध कर्त्तव्य भी है कि वह ऐसे विधान बनाये जिन से ये असमानतायें दूर हों तथा सब को समान अवसर प्राप्त हों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सन् १९४७ में एक संकल्प पारित किया था जिसमें उसने यह माना था कि हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था स्थापित की जाये जिसमें कुशल प्रशासन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का मिश्रण हो। अतएव उक्त पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इस जैसा विधान प्रस्तुत करे। यदि प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देने हैं तो धन के असमान वितरण को पहले समाप्त करना होगा और धन को इस प्रकार फिर से बांटना होगा कि न कोई बहुत अधिक अमीर हो और न कोई बहुत अधिक गरीब। आर्थिक असमानता का मूल कारण यह है कि हमारे देश में उत्तराधिकार की प्रथा विद्यमान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुत विधेयक पूर्णतः न्यायोचित है। सच तो है कि यह सुझाव सन् १९३८ में भी वित्त मंत्रियों के एक सम्मेलन में रखा गया था। परन्तु उस समय इसका कई कारणों से विरोध किया गया था जिस में सब से अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि तत्कालीन सरकार राष्ट्रीय सरकार नहीं थी। अब जब कि देश में हमारी अपनी सरकार कायम हो गई है, इस विधान को एक दिन के लिये भी स्थगित नहीं किया जा सकता। हमें इसे एक विधान मात्र ही नहीं समझना चाहिये, बल्कि यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इसके साथ कुछ ऐसी विकास योजनायें बंधी हुई हैं जिनसे देश में जीवन-स्तर बहुत उच्च बहुत अधिक हो जायेगा और पूंजी-निर्माण तथा उत्पादन भी बहुत अधिक होगा।

यह बात गलत है कि यह कोई नया कर है। हमारे देश में ही यह कर किसी न किसी रूप में लिया जाता रहा है। नज़राना तथा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्रों पर दिया जानेवाला शुल्क भी तो ऐसा ही कर है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक द्वारा कोई नयी बात नहीं की जा रही है और इसमें धर्म तथा नैतिकता के विरुद्ध भी कोई बात नहीं है।

मृत्यु शुल्क कई प्रकार से संगृहीत किया जा सकता है। एक है सम्पत्ति-शुल्क; दूसरा है पत्ररिक्थ-कर; तीसरा उत्तराधिकार शुल्क। यदि आप सम्पत्ति-शुल्क को वित्तीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसके अन्तर्गत करदाता की आर्थिक स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता। एक की सम्पत्ति दूसरे के हाथ में जाने पर यह शुल्क लेना ही होगा। हां, उत्तराधिकार शुल्क के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी की (स्थिति का ध्यान रखा जा सकता है। यदि वह हिन्दू विधि के अनुसार निकट सम्बन्धियों में

[श्री गाडगिल]

से एक है तो उससे कम कर लिया जा सकता है और यदि वह दूर का कोई सम्बन्धी है तो अधिक कर लिया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तराधिकार की वर्तमान प्रणाली हमारे देश में चालू रहनी चाहिये या नहीं। यदि यह प्रथा चालू रही आयेगी तो समस्त नागरिकों को संविधान में प्रत्येक समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। आजकल धन ही सब कुछ है। धनवान् को ही अधिक अवसर मिलते हैं; जिसके पास धन होता है उसी को प्रतिष्ठा, शक्ति तथा मान मिलता है। तो इस का अर्थ यह हुआ कि आज प्रतिष्ठा, शक्ति तथा मान प्राप्त करने का एक मात्र साधन धन है। जिनके पास धन है उनको ये सब चीज़ें सहज में ही मिल जाती हैं और जो बेचारे निर्धन हैं वे यों ही रह जाते हैं। अतएव हमें अमीरों और गरीबों के बीच इस असमानता को नष्ट करना होगा। उत्तराधिकार प्रणाली का इस आर्थिक समानता में एक बहुत बड़ा हाथ है। उत्तराधिकार का सार है कि निजी सम्पत्ति और निजी सम्पत्ति का मुख्य लक्षण है उत्तराधिकार। हमें निजी सम्पत्ति को सीमित करना है। यद्यपि इस समय हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है, फिर भी धीरे धीरे यह उस दिशा में अग्रसर हो रही है जहां एक स्थान पर पहुंच कर निजी उपक्रमों को लोक हित में समाप्त होना ही पड़ेगा। इसके दो उपाय हैं। एक तो किसी व्यक्ति से उसके जीवन-काल में कर वसूल किया जाये और दूसरा यह कि उसकी मृत्यु के पश्चात् भी उसकी सम्पत्ति पर कर लगाया जाये। मेरी राय में यह दोनों कर एक दूसरे के पूरक हैं।

कुछ लोगों ने कहा है कि इस शुल्क के फलस्वरूप छोटी छोटी सम्पत्तियां प्रायः बिल्कुल ही खत्म हो जायेंगी : कहा जाता है कि आप लोगों की कर देने की सामर्थ्य पर ध्यान नहीं देते। मेरा कहना यह है कि यदि यह कर लोगों की सामर्थ्य के बाहर है तो भी इसका मतलब यह नहीं कि यह आर्थिक रूप से अनुचित या अवैध है। यह भी कहा गया है कि यह शुल्क एक प्रकार का पूंजी कर है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि यह पूंजी कर है, परन्तु यही एक ऐसा कर है जो देश में उथलपुथल मचाये बिना लगाया जा सकता है। यदि कोई बकायदा पूंजी कर लगाया जाये तो उस दशा में हर एक व्यक्ति को पूंजी कर देना पड़ेगा, चाहे वह जीवित हो या मर चुका हो। परन्तु यदि सम्पत्ति-शुल्क लगाया जाये तो यह किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् ही वसूल किया जायेगा। इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि इस से पूंजी का निर्माण रुक जायेगा। यदि सम्पत्ति शुल्क से पूंजी में कमी हो जायेगी तो उसके साथ साथ भविष्य में कर देने का दायित्व भी तो कम होता जायेगा। यह कोई मेरी राय ही नहीं है। अनेक प्रतिष्टित अर्थशास्त्रियों ने भी यही राय व्यक्त की है। हमारा इरादा धीरे धीरे पूंजीवाद को खत्म करना है। सच तो यह है कि निजी सम्पत्ति के मोर्चे पर यह हमारा पहला आक्रमण है। यदि आप इस सरकार को चाहते हैं और यदि आप देश में वास्तविक प्रजातंन्त्र स्थापित करना चाहते हैं तो आप को इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करना होगा। न केवल इसका ही समर्थन करना होगा, बल्कि भविष्य में ऐसे अन्य विधानों की मांग करनी होगी। परन्तु यह काम जल्दी के नहीं हैं; धीरे धीरे किये जाने चाहिये।

अब प्रश्न यह उठता है कि निजी सम्पत्ति में राज्य का अधिकार है या नहीं। सम्पत्ति की उत्पत्ति में समाज या राज्य निष्क्रिय

जागीरदार होता है। ग्लैडस्टन ने भी कहा है कि प्रत्येक नागरिक के व्यापार में राज्य निष्क्रिय भागीदार होता है और राज्य के रक्षण के बिना किसी के लिये व्यापार करना या धन अर्जित करना असम्भव है। उनका कहना है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु से भागीदारी समाप्त होती है तो इस निष्क्रिय भागीदार को भी सम्पत्ति का एकअंश मिलना चाहिये। अतः यह शुल्क पूर्णतः न्यायोचित है। पूंजीनिर्माण विषयक जो आपत्ति उठाई जाती है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पूंजी निर्माण के सम्बन्ध में हमने जो भी विचार बना रखे हैं वे वास्तव में ऐसी अर्थव्यवस्था से सम्बन्ध रखते हैं जो पूंजीवाद पर आधारित हो। हमारी अर्थ-व्यवस्था तो मिश्रित है। किसी पूंजीवादी देश में जो चीज़ें संगत हैं वे हमारे यहां असंगत भी हो सकती हैं। जैसा कि श्री देशमुख द्वारा कल बतलाया गया, इस शुल्क का प्रभाव पूंजी-निर्माण पर नहीं पड़ता। संयुक्त स्कन्ध समवाय तथा निगम तो इस विधान के अन्तर्गत नहीं आते। केवल प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां ही इसके अन्तर्गत आती हैं। यहां भी वही होगा जो अन्य देशों में हुआ है अर्थात्, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां धीरे, धीरे पब्लिक कम्पनियों का रूप ले लेंगीं तो मैं कह रहा था कि इसका पूंजी-निर्माण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि थोड़ा बहुत-प्रभाव पड़ेगा भी, तो उसकी कमी उन सामाजिक विकासों से पूरी हो जायेगी जो लोक व्यय की सुविचारित नीतियों के फल-स्वरूप होंगे।

इसका कार्य और कार्यकुशलता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत लोग अधिक परिश्रम से कार्य करेंगे क्योंकि वे सोचेंगे कि उत्तराधिकारी होने के नाते उन्हें जो कुछ मिलेगा उस पर उन्हें सम्पत्ति-कर देना पड़ेगा और इस प्रकार उनके पास कोई विशेष सम्पत्ति शेष नहीं रहेगी।

वित्त मंत्री ने विधेयक में न्यूनतम छूट सीमा न रख कर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। वित्त विधेयक पर चर्चा करने के समय सदन को सम्पूर्ण स्थिति की विवेचना करने का अवसर मिल जाता है। अतएव यह आवश्यक नहीं है कि दर का उल्लेख स्वयं विधेयक में ही कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे ?

श्री गाडगिल : श्रीमान्, मैं कल भाषण जारी रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात सदन की बैठक शुक्रवार, ७ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—509 PSD—25-7-53—285.